लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 9.1.91
Parliament Library

चतुर्थ माला
Fourth Series

खंड 5, 1967 / 1889 (शक)
Volume (V), 1967/1889 (Saka)

[20 जून, 1967 से 3 जुलाई 1967 / 30 ज्येष्ठ 1889 से 12 आषाढ़ 1889 (शक)]
[June 20 to July 3, 1967/ Jyaistha 20 to Asatha 12, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)
Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 5 में अंक 21 से 30 तक हैं)
(Volume (V) contains Nos. 21 to 30)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय-सूची / CONTENTS

अंक 22 बुधवार, 21 जून, 1967/31 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

No. 22 Wednesday, June 21, 1967/Jyaistha 31, 1889 **(Saka)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTION

ता. प्र. संख्या / S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
631	आम चुनावों में विदेशी दूतावासों का रुचि लेना	Foreign Embassies taking interest in the General Elections ...	2811-2815
632	पाकिस्तानी आप्रवासी	Pak Immigration ..	2815-2823
633	राष्ट्रपति का चुनाव	Presidential Election ..	2823-2825
634	विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान	Pay Scales of University Teachers	2825-2830
अल्प-सूचना प्रश्न		**SHORT NOTICE QUESTIONS**	
16	बिहार में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानें	N. C. D. C. Collieries in Bihar	2831-2834

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या S. Q. Nos.

635	पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Migrants from East Pakistan ...	2834-2836
636	टेलीफोन राजस्व	Telephone Revenue	2836
637	लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण-निधि	Iron ore Mines Labour Welfare Fund ..	2836-2837
638	दिल्ली में अवैतनिक दण्डाधिकारी	Honorary Magistrates in Delhi	2837
639	नवीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाएं	New Indian Institutes of Technology ..	2837
640	विमान द्वारा नेफा में अनाज ले जाना	Airlifting of Food to NEFA ..	2837-2838

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

641	उड़ीसा के सोदों के बारे में विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	Special Audit Report on Orissa Transactions	2838
642	भारी रसायन तथा उर्वरक कारखानों के कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for Workers of Heavy Chemicals and Fertilisers Factories	2838–2839
643	शिक्षा सम्बन्धी नीति	Education Policy ...	2839
644	विदेशी तेल कम्पनियों में स्वचालित मशीनों का प्रयोग	Automation in Foreign Oil Companies	2839–2840
645	मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों तथा कालेजों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Non-Government Recognised Schools and Colleges ...	2840
646	विश्वव्यापी संचार, उपग्रह प्रणाली	Global Communications Satellite System ...	2840
647	राज्य विधान परिषदें	State Legislative Councils	2840–2841
648	निजाम की सम्पति	Property of Nizam	2841
649	अमीचन्द प्यारेलाल सार्थ समूह द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच	C.B.I. Probe into Irregularities Committed by Amin Chand Payarelal Group ..	2841–2842
650	छात्र मार्ग-दर्शन केन्द्र	Students Guidance Centres ..	2842
651	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्ति करने के लिये आर्थिक पूल की स्थापना	Economic Pool for Staffing in Public Sector Undertakings	2842–2843
652	दिल्ली में पब्लिक स्कूल	Public Schools in Delhi	2843
653	भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार	Privileges of Ex-Rulers ...	2843–2844
654	माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिये सेवा की शर्तें	Service Conditions of Secondary School Teachers	2844
655	मनीपुर में कालेज अध्यापक	College Teachers in Manipur	2844

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

656	दिल्ली टेलीफोन निर्देशका का हिन्दी संस्करण	Hindi Version of Delhi Telephone Directory	2845
658	राष्ट्रीय युवक बोर्ड	National Youth Board ..	2845
659	राज्य सरकारों को जानकारी देना	Supply of Information to State Governments	2845-2846
660	अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संबंधी भारतीय स्कूल	Indian School of International Studies ...	2846

अता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.

3069	दिल्ली नगर निगम की बकाया राशि	Arrears of Delhi Municipal Corporation ...	2846-2847
3070	संविधान का अनुच्छेद 18 (1)	Article 18(1) of Constitution	2847
3071	भोपाल में डाक निकालने तथा बांटने की व्यवस्था	Clearance and Delivery of Dak at Bhopal ...	2847-2848
3072	विज्ञान मन्दिर	Vijnan Mandirs	2848-2849
3073	मध्य प्रदेश में टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchange in Madhya Pradesh ...	2849
3074	पंजाब में अभिरक्षकाधीन भूमि की बिक्री	Sale of Custodian Land in Punjab	2849-2850
3075	स्मारक टिकट	Commemorative Stamp	2850
3076	गुजरात में लोथाल में संग्रहालय	Museum at Lothal in Gujarat	2850-2851
3077	भारतीय भाषाओं का विकास	Development in Indian Languages	2851
3078	गुजरात राज्य में डाकखाने	P.O's in Gujarat State	2851-2852
3079	मारगाओं में डाक व तार विभाग के स्टाफ क्वार्टर तथा इमारतें	Posts and Telegraphs Staff Quarters and Buildings in Margao	2852-2853
3080	टेलीफोन	Telephone Connections	2853

3081	गोआ में टेलीफोन लाइनों का खराब हो जाना	Failure of Telephone Lines in Goa ...	2853–2854
3082	अत्यावश्यक वस्तुओं का चोरी छिपे पाकिस्तान ले जाया जाना	Essential Commodities smuggled into Pakistan	2854
3083	इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनालोजी, कानपुर	I.I.T. Kanpur	2855
3084	चंडीगढ़ के एक कारखाने द्वारा आयातित सामान का तस्कर व्यापार	Smuggling of Imported Material by a Chandigarh Factory	2855–2856
3085	भारी रसायनों तथा उर्वरक उद्योगों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Heavy Chemicals and Fertiliser Industries — ..	2856
3086	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	Consumer Price Indices —	2856–2857
3087	रेलवे डाक सेवा का विभाजन	Bifurcation of Railway Mail Service	2857
3088	पाकिस्तानियों द्वारा ढोर उठा ले जाना	Cattle Lifting by Pakistani	2858
3089	संयुक्त अरब गणराज्य के साथ परस्पर वीजा व्यवस्था समाप्त करना	Mutual Cancellation of Visas with UAR ...	2858
3090	संसद्-सदस्यों के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करना	Codification of Privileges of M.P. ..	2858–2859
3091	विदेशों से उपहार के रूप में खाद्य	Food Gifts from Foreign Countries ..	2859
3092	दिल्ली के विद्यार्थियों के साथ धोखा	Cheating of Delhi Students ..	2859
3093	अमरीका के श्रम मंत्री का भारत के श्रम मंत्री के साथ विचार विमर्श	U.S. Labour Secretary's discussions with the Union Labour Minister	2859–2860
3094	कलकत्ता गोदी श्रमिक	Calcutta Dock Workers	2860

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
3095	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का कार्य संचालन	Working of C.S.I.R.	2860
3096	दिल्ली जिला न्यायालय	Delhi District Courts	2861
3097	गोआ में कोयला खान में विस्फोट	Explosion in Colliery in Goa	2861
3098	भूटान को मनीआर्डर भेजने की व्यवस्था	M.O. Service in Bhutan	2861
3099	कोमेक्स की अगस्त, 1967 में भारत यात्रा	Visit by 'COMEX' to India in August, 1967	2862
3100	दिल्ली में पोलीटेकनिक	Polytechnics in Delhi	2862
3101	दिल्ली में नया उच्चतर माध्यमिक बोर्ड	New Higher Secondary Board in Delhi ..	2862–2863
3102	गोआ में स्कूल	Schools in Goa	2863
3103	विधायकों के लिये संहिता	Code for Legislators ...	2863
3104	भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति	Persons Arrested under D.I.R.	2863–2864
3105	पेट्रोलियम तेल कम्पनियों और उन के कर्मचारियों के बीच विवाद	Dispute between Petroleum Companies and their workers	2864
3106	तार इंजीनियरी विभाग के कर्मचारी	Employees of Telegraph Engineering Department ... —	2864–2865
3107	नागालैंड में तैनात एम. एस. पी. III बटालियन को तोडना	Disbanding of MSP III Battalion Serving in Nagaland	2865–2866
3108	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार	S.C. and S.T Candidates in Orissa ...	2866
3109	राज्य के तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में जांच	Enquiries about state and Central Government Officials	2866–2867

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3110	स्कूलों और कालेजों में श्रोतशालाओं (आडिटोरियम) का निर्माण	Construction of Auditorium in Schools and Colleges	2867
3111	उड़ीसा में कनिष्ठ तकनीकी स्कूल	Junior Technical Schools in Orissa ..	2867
3112	कार्मिक संघ	Trade Unions	2867–2868
3113	दिल्ली प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी	Officers on Deputation to Delhi Administration ... —	2868
3114	पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले हिन्दू	Hindu Migrants from East Pakistan —	2868–2869
3115	उड़ीसा राज्य संग्रहालय के लिये अनुदान	Grants to Orissa State Museum ..	2869–2870
3116	हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय के लिये नई इमारत	New Building for Salarjung Museum, Hyderabad	2870–2871
3117	भुवनेश्वर के बड़े डाकघर में चौथी श्रेणी के कर्मचारी	Class IV Staff in G.P.O. Bhubaneswar ...	2871
3118	उत्तर प्रदेश में प्रकाशकों को सहायता	Assistance to Publishers in U.P.	1871–2872
3119	जम्मू में स्वायत शासन	Autonomy for Jammu	2872
3120	दिल्ली में हत्याएं	Murders in Delhi	2872–2873
3121	हाई स्कूल तथा कालेजों वाले ग्रामों के लिये टेलीफोन	Telephones for Villages having High Schools and Colleges	2873
3122	गांवों के थानों में टेलीफोन	Telephones for Police Stations in Villages	2173
3123	मेरठ–बड़ौत के बीच सीधी टेलीफोन लाइन	Meerut–Baraut Direct Telephone Line ..	2873–2874
3124	लक्कदीव प्रशासन में विपणन अधिकारी (मार्केटिंग आफिसर)	Marketing Officers in Laccadive Administration	2874
3125	अन्दमान द्वीप में पुलिस की द्रुतगामी नावों का दुरुपयोग	Misuse of Police Speed Boats in Andaman...	2874-2875

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3126	पहली व दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय सचिवालय सेवायें	Central Secretariat Services for Class I and II Employees	2875–2876
3127	उत्तर भारत में भयङ्कर तूफान	Cyclone in North India	2876
3128	उत्तर प्रदेश की संस्कृत संस्थाओं को सहायता	Assistance to U.P. Sanskrit Organisations ..	2876–2877
3129	उत्तर प्रदेश में टेलीफोनों का दिया जाना	Telephone Connections in U.P.	2877
3130	उत्तर प्रदेश में पुस्तकालय	Libraries in U.P.	2877–2878
3131	भारत सुरक्षा नियम के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्ति	Detenus under D.I.R. ...	2878
3132	महावीर जन्मदिवस को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की मांग	Demand for Holiday on Mahavir Birthday..	2878–2879
3133	सार्वजनिक टेलीफोन बूथ	Public Call Telephone Booths	2879
3134	शेख अब्दुल्ला	Sheikh Abdullah ...	2879–2880
3136	अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against all India Services Personnel	2880–2881
3137	दिल्ली तथा नई दिल्ली में सरकारी टेलीफोन	Government Telephones in Delhi and New Delhi	2881
3138	दिल्ली में अपराध	Crimes in Delhi	2881
3139	संघ राज्य क्षेत्रों में आपराधिक मामले	Criminal Cases in Union Territories..	2881–2882
3140	उड़ीसा में प्रकाशकों को सहायता	Assistance to Publishers in Orissa ...	2882
3141	राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षक	National Discipline Scheme Instructors	2882
3142	डाक तथा तारघर	Post and Telegraph Offices ...	2882–2883

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3143	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये वर्दियां	Uniforms for Class IV Employees ...	2883
3144	मिट्टी के तेल के तस्कर व्यापारी	Kerosene Oil Smugglers	2883
3145	पर्वतीय राज्यों के लोग	Hill States People	2884
3146	आंध्र प्रदेश का डाक तथा तार और रेलवे डाक सेवा विंग	P&T and R.M.S. Wing of Andhra ..	2884–2885
3147	मनीपुर गोलीकांड	Manipur Firing ...	2885
3148	चांदीपुर (उड़ीसा) स्थिति प्रतिरक्षा मंत्रालय के संस्थान के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Corruption Charges against Defence Ministry Establishment, Chandipore (Orissa) ...	2886
3149	अमरीका की सेन्ट्रल इन्टेलीजेंस एजेंसी के धन का दुरुपयोग किये जाने के बारे में जांच	Enquiry into the Misuse of C.I.A. Funds ..	2886
3150	ऐक्सेलसियर फूड एण्ड केमिकल्स, दिल्ली में हड़ताल	Strike in Excelsior Food and Chemicals, Delhi	2887
3151	बर्मा से स्वदेश लौटे व्यक्ति	Repatriates from Burma ..	2887–2888
3152	शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिकाएं	Quarterly Magazines published by Education Ministry	2888
3153	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सङ्गठन की उपसन्धियों की अभिपुष्टि	Ratification of I.L.O. Conventions ...	2888-2889
3154	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय तथा सिफारिशें	I.L.O. Conventions and Recommendations	2889
3155	मध्य प्रदेश में डाकघर	Post Offices in Madhya Pradesh	2889–2890
3156	भारतीय भू-विशेषज्ञ	Indian Soil Experts	2890–2891

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3157	मिजो विद्रोही	Mizo Hostilities	2891
3158	सतर्कता आयोग के पास शिकायतें	Complaints with Vigilance Commission ...	2891-2892
3159	मध्य प्रदेश में टेलीफोन सलाहकार समितियां	Telephone Advisory Committees in M.P. ...	2892-2893
3160	टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections	2893
3161	दिल्ली में निशुल्क उच्चतर माध्यमिक शिक्षा	Free Higher Secondary Education in Delhi..	2893-2894
3162	गोपाल रेड्डी समिति का प्रतिवेदन	Gopala Raddi Committee's Report	2894
3163	अनुशासन संहिता	Code of Discipline ... —	2894
3164	तेल कम्पनियों में रोजगार की सुरक्षा	Job Security in Oil Companies ..	2895
3165	उच्च प्रशिक्षण के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Advanced Training	2895
3166	सहकारी समितियों के लिये टेलीफोन	Telephones for Cooperatives ..	2895-2896
3167	वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में पोलैंड का सहयोग	Polish Cooperation in Scientific Research...	2896
3168	दिल्ली के लिये 1967–68 के लिये धन का नियतन	Funds for Delhi for 1967-68	2896-2897
3169	रेलवे पास तथा सुविधा टिकट आदेश (पी. टी. ओ.)	Passes and P.T.Os.	2897
3170	पुलिस के इन्स्पैक्टर जनरलों और डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरलों के पदों को चुनाव वाले पद बनाना	Elective Posts for I.Gs and D.I.Gs. of Police	2897-2898
3172	सरकारी कर्मचारियों के कामिक संघ	Trade Unions for Government Employees..	2898

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3173	ब्रह्मपुर टेलीफोन केन्द्र	Barhampur Telephone Exchange	2898
3174	पाकिस्तान से मिज़ो लोगों की वापसी	Return of Mizos from Pakistan	2898–2899
3175	नागा युवक द्वारा चोरी छिपे हथियार लाये जाना	Smuggling of Arms by Naga Youth	2899
3176	उपूसी (नेफा) में स्वायत्त शासन	Self Government in NEFA	2900
3177	मनीपुर में लूटमार	Looting in Manipur ..	2900
3178	मनीपुर में विश्वविद्यालय	University in Manipur ..	2900–2901
3179	मनीपुर में क्रीडांगण (स्टेडियम)	Stadium in Manipur ..	2901
3182	भुवनेश्वर में डाक तथा तार कालोनी में जल की सप्लाई	Water Supply in P&T Colony, Bhubaneshwar	2901–2902
3183	विज्ञान सम्बन्धी पत्रिकाओं के बारे में राष्ट्रीय नीति	National Policy in respect of Scientific Journals	2902
3184	कारों के चोर	Car Thieves ..	2902–2903
3185	मजूरी बोर्डों की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of the recommendations of Wage Boards	2903
3186	शराब की तस्करी	Smuggling of Liquor ...	2903
3187	दिल्ली-हिमाचल प्रदेश संयुक्त सेवा संवर्ग	Delhi–Himachal Pradesh Joint Services Cadres	2904
3188	पुनर्वास उद्योग निगम	Rehabilitation Industries Corporation ...	2904–2905
3189	कलकत्ता टेलीफोन विभाग	Calcutta Telephones Dept. ..	2905
3190	आसाम में गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों के वेतन क्रम	Pay Scales of Assam Private College ... Teachers	2905–2906
3191	अकादमियों को अनुदान	Grants to Academies	2906–2907
3192	आसाम में चाय बागान के श्रमिक	Tea Garden Labourers in Assam	2907–2908

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3193	तामिल तथा हिन्दी से भिन्न भाषाओं में डाक विभाग के फार्मों की छपाई	Printing of Postal Forms in Tamil and non-Hindi Languages	2908
3194	मध्य प्रदेश में टोकखुरद गांव में तारघर	Telegraph Office for Village Tokkhurd (M.P.)	2908
3195	चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये वर्दियां	Uniforms to Class IV Employees	2908-2909
3196	नक्सलबाडी में गडबड	Trouble in Naxalbari	2909
3197	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Accommodation for P&T Employees ...	2909–2910
3198	पश्चिम जर्मनी से मुद्रणालय की मशीने	Printing Presses from West Germany ...	2910
3199	नेहरू अधिछात्रवृत्ति	Nehru Fellowship	2910–2911
3200	उच्चतम न्यायालय में मुकद्दमें	Cases in Supreme Court	2911
3201	मध्य प्रदेश में डाकघर	Post Offices in Madhya Pradesh	2911–2912
3202	होशगाबाद में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी	East Pakistan Refugees in Hoshangabad ..	2912–2913
3203	मध्य प्रदेश में पहली और दूसरी श्रेणी के कर्मचारी	Class I and II Employees of Madhya Pradesh	2913
3204	वीर सावरकर स्मृति डाक टिकट	Vir Savarkar commemorative Stamps ...	2913–2914
3205	हिन्दी टेलिप्रिंटर	Hindi Teleprinters	2914
3206	दिल्ली में प्राथमिक पाठशालाओं का पाठ्यक्रम	Syllabus of Primary Schools in Delhi ...	2914–2915
3207	निश्चित अवधि से अधिक समय तक भारत में ठहरे पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की गिरफ्तारी	Arrest of Pakistani Nationals overstaying in India	2915

3208 शिलांग में पोस्ट-मास्टर जनरल का कार्यालय	P.M.G. Office, Shillong ...	2915–2916
3209 ब्रिटेन में सागर वर्णना शास्त्रियों का सम्मेलन	Conference of Oceanographers in Britain ..	2916
3210 प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission	2916–2917
3212 सागर वर्णना की भारतीय संस्था	Indian Institute of Oceanography	2917
3213 विदेशियों को भारत छोडने का आदेश	Foreigners asked to leave India	2917–2918
3214 गांधी भवन	Gandhi Bhavan	2918
3215 पोस्टकार्डों पर हुई हानि	Loss suffered on Post Cards ..	2918–2919
3216 गोआ में गैर-सरकारी स्कूलों के लिए सहायता	Aids to Private Schools in Goa	2919
3217 श्रमिक प्रबन्धक परिषदें	Labour Management Councils	2919
3218 नई दिल्ली में झुग्गियों में आग लगने की घटना	Fire in Jhuggies in New Delhi	2920
3219 हरियाणा तथा पंजाब के लिये एक ही राज्यपाल	Common Governor for Haryana and Punjab	2920–2921
3220 सुरक्षित विषयों पर दिल्ली महानगर परिषद में प्रश्नों के उत्तर	Reply to Questions in Delhi Metro Politan Council on Reserved subjects	2921
श्री अर्जुन अरोडा, राज्य–सभा सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against Shri Arjun Arora, Rajya Sabha Member	2921–2931
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	2931–2933
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	2933
पाँचवा प्रतिवेदन	Fifth Report	2933
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	2933
तीसरा प्रतिवेदन	Third Report	2933

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1967–68 (जारी)	Demands for Grants (Railways), 1967–68 (Contd.)	2934
श्री बृजभूषणलाल	Shri Brij Bhushan Lal	2934
श्री निरुमल राव	Shri Thirumala Rao — ...	2934–2935
श्री मंगलथुमाडोम	Shri Mangalathumadom -- --	2935–2937
श्री राजदेव सिंह	Shri Raj Deo Singh ... —	2937-2938
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	2938
श्री भोलानाथ	Shri Bhola Nath ...	2938–2939
श्री अनिरुद्धन	Shri K. Anirudhan	2939–2940
श्री शशिरंजन	Shri Shashi Ranjan	2940–2941
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri ... —	2941–2942
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	2942
चीन द्वारा उद्जन बम का विस्फोट	Explosion of Hydrogen Bomb by China	2942
श्री जार्ज फर्नेन्डीज	Shri George Fernandes ... —	2942
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh ... --	2942–2946
सरकारी पदों पर आरुढ व्यक्तियों की सम्पत्ति के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. Wealth of persons holding public offices	2947
श्री जार्ज फर्नेन्डीज	Shri George Fernandes — —	2947
डा. राममनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	2947
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .. —	2947–2948
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	2948
श्री क० लकप्पा	Shri Lakkappa	2948
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	2948–2949

लोक-सभा वाद-विवाद का

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

बुधवार , 21 जून, 1967 । 31 ज्येष्ठ , 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
IX	अतारांकित प्रश्न संख्या `3170 ` के स्थान पर `3171 ` पढ़िये ।
2822	श्री राम किशन के प्रश्न के पश्चात् निम्नलिखित पढ़िये : `श्री विद्याचरण शुक्ल : कुछ मामले जरूर हुए हैं और उन पर हमने प्रभावी ढंग से समुचित कार्यवाही की है । `
2862	पंक्ति 11 में `शिक्षा मंत्री (डा. त्रिगुण सेन ) ` के स्थान पर `शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद ) ` पढ़िये ।
2282	पंक्ति 21 में `शिक्षा मंत्री (डा. त्रिगुण सेन ) ` के स्थान पर `शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद ) ` पढ़िये ।
2886	प्रश्न संख्या 3148 का निम्नलिखित शीर्षक पढ़िये : `चांदीपुर (उड़ीसा) स्थित प्रतिरक्षा मंत्रालय संस्थान के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप `
2919	पंक्ति 15 में , `शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद ) ` के स्थान पर `शिक्षा मंत्री (डा. त्रिगुण सेन) : पढ़िये ।
2931	पंक्ति 10 तथा 11 के बीच में उसी संदर्भ में पंक्तियां 16 से 22 तक पढ़िये ।
2935	पंक्ति 14 के बाद `श्री चपलकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए Shri C.K. Bhattacharya in the Chair ' पढ़िये ।

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 21 जून, 1967/31 ज्येष्ठ, 1889 (शक)
Wednesday, June 21, 1967/Jyaistha 31, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Foreign Embassies taking Interest in the General Elections.

+

*631. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the organisers of the election campaign against Shri Kamraj, Congress President had established contacts with some foreign embassies several weeks before the elections;

(b) if so, the names of the Embassies;

(c) whether any enquiry has been made by Government into the matter; and

(d) if so, the findings thereof?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार ने समाचार पत्रों में ऐसे समाचार देखे हैं।

(ख) से (घ) : जांच की जा रही है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Will Government enquire into the fact that a large section of people within the Congress itself desired that a crushing defect should be given to Shri Kamraj and they have done so inconvenance with foreign embassies.

Shri Y. B. Chavan : No such allegations have been levelled. Whatever reports had appeared in the Press, the inquiries are being made about them and inquiries are in progress.

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस प्रश्न को पूछने की अनुमति दे दी गई है और माननीय मंत्री का कथन है कि समाचार पत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुए हैं उन की जांच की जा रही है। यदि उन्होंने अभी तक कोई जानकार एकत्रित नहीं की है, तो इस प्रश्न को पूछने की अनुमति देना का लाभ ही क्या है।

अध्यक्ष महोदय : जब प्रश्न पूछा जाता है, तो हो सकता है कि उसकी जानकारी उनके पास न हो, परन्तु उन्हें उत्तर तो देना ही पड़ता है। इस प्रश्न को पूछने की अनुमति देने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, two months have lapsed since I had given notice for this question but Government had made no enquiry about it and it is being said that enquiry is in progress. I want to know by what time this enquiry will be completed and when a report will be laid on the Table of the House ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस सभा में उपस्थित होने के तुरन्त पहले मैंने सोचा था कि यह प्रश्न पूछा जायेगा अतः मैंने इस सम्बन्ध में पूछताछ की थी और मुझे बताया गया था कि कुछ आरोप बहुत गंभीर है। टेलीफोन के द्वारा बातचीत किये जाने इत्यादि के आरोप हैं। कुछ आरोपों का समाचार पत्रों में उल्लेख किया गया था। इनकी जांच करने में कुछ समय लगेगा। मैं इस मामले में जांच अवश्य करूंगा, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि इस मामले में सभा की रुचि है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, it has not been stated how much time Government will take–be it one month, two months or more to enquire into this matter ? Two months already elasped, when notice for asking this question was given. I want to know how much time will be taken ?

Shri Sidheshwar Prasad : I want to know the nature of these allegations and the nature of the enquiry which is being made by Government ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक इन आरोपों का सम्बन्ध है. मैंने समाचार पत्रों के कुछ समाचारों का निर्देश दिया है। ये समाचार दिल्ली के समाचारपत्र "पैट्रियट" और बम्बई के "ब्लिट्ज़" में प्रकाशित हुए थे। मैं माननीय सदस्य को उन समाचारों की कतरने दे दूंगा और वह उन्हें देख लें। ये आरोप लगाये गये हैं कि कुछ विदेशी दूतावासों ने श्री कामराज के चुनाव में हस्तक्षेप किया है और ये भी आरोप लगाये गये हैं कि कुछ व्यक्तियों ने टेलीफोन द्वारा बातचीत की इत्यादि। मामले की जांच की जा रही है।

Shri Sidheshwar Prasad : The nature of enquiry has not been disclosed.

Shri Y. B. Chavan : It is difficult for me to tell that at the moment

श्री उमानाथ : चुनाव के दौरान कुछ ऐसे समाचार प्रकाशित हुए थे कि श्री कामराज के एक महत्वपूर्ण समर्थक का दिल्ली में अमरीकी दूतावास द्वारा अतिथि सत्कार किया गया।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की जा रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं, कम से कम मुझे इस समाचार की जानकारी नहीं है और इसकी जांच मैंने आरम्भ नहीं की है।

Shri K. N. Tiwary : May I know whether it is a fact that D. M. K. also mustered suport from other sources against Shri Kamraj and whether Government are aware as to how much money was spent by D. M. K. for defeating Shri Kamraj ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : डी० एम० के द्वारा श्री कामराज का विरोध राजनैतिक था। उन्होंने उनके विरुद्ध अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। इसके अतिरिक्त उनके विरुद्ध और किसी आरोप की मुझे जानकारी नहीं है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : अब तक की गई जांच से मंत्री महोदय को किन किन दूतावासों के नामों का पता चला है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जांच की रिपोर्ट प्राप्त हुए बिना मैं नाम नहीं बता सकता हूँ।

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री ने बताया है कि ये समाचार दो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं और उन्होंने उन समाचार पत्रों के नाम भी बताये हैं। वह उन समाचार पत्रों से उन दूतावासों के नाम, जिन पर कि उन्हें संदेह है पूछ सकते थे। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों में दूतावासों के नाम भी दिये गये हैं।

Shri Kamal Nayan Bajaj : It has been widely stated in Bombay during elections that huge amounts have been spent by foreign embassies against Shri Barve, who is no longer among us and the people there still think that it is true. May I know whether the hon. Minister has collected some information regarding that and if so he will be kind enough to give us the information he has collected ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने ऐसे समाचार नहीं देखे हैं। यदि मुझे कोई जानकारी दी गई, तो मैं अवश्य उसकी जांच करूंगा।

डा० रानेन सेन : यह प्रश्न इस समय नहीं उठाया जा सकता।

श्री वासुदेवन नायर : आपने यह प्रश्न पूछने की अनुमति क्यों दी है ?

श्री कन्डपान : अन्ततः हमने श्री कामराज को हराया है। आपको हमें भी अवसर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आपने श्री कामराज को हरा दिया है। अब आप प्रश्न क्यों पूछना चाहते हैं। अब और तो कुछ करना शेष नहीं है।

श्री कन्डपान : हमें उनके हराने का श्रेय मिलना चाहिये । मैं समझता हूँ उन्हें हराने का श्रेय डी. एम. के. को ही है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Will the hon. Minister be pleased to state the date on which this enquiry was instituted and the name of the agency which is making this enquiry ? May I know whether that agency has submitted any interim report to you or whether they have given you some information and, if so, the details thereof ?

Shri Y. B. Chavan : I have received no interim information.

श्री हेम बरुआ : क्या उन्होंने जांच आरम्भ की है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी हां, और जांच करने वाली ऐजन्सी का नाम है आई. बी. है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : उन्होंने यह मामला पुलिस को कब सौंपा था ?

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या इस विशेष मामले की जांच करते समय सरकार उन समाचारों को भी ध्यान में रखेगी जिनमें कहा गया है कि कांग्रेसी सदस्यों को हराने के लिये मद्रास में धन दिया गया है । क्या वह इसकी भी जांच करेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं, मैं इसकी जांच नहीं कर सकता ।

श्री कन्डपान : इस मामले के अतिरिक्त कि श्री कामराज को चुनाव में हराने के लिये विदेशी दूतावासों द्वारा धन दिया गया, ऐसे और बहुत से मामले समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए हैं । क्या उन मामलों के बारे में भी वही सिद्धान्त अपनाया जायेगा, ताकि सब मामलों की जांच की जाये और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले की जांच इसलिये की जा रही है, क्योंकि कहा गया है कि देश के महत्वपूर्ण नेताओं के चुनावों में विदेशी दूतावासों ने भाग लिया है ।

श्री कन्डपन : मेरा एक प्रश्न विशिष्ट है । इस विशेष मामले को छोड़कर जिसमें श्री कामराज के चुनाव के बारे में विदेशी दूतावासों पर धन खर्च करने का आरोप लगाया गया है, ऐसे और भी मामले हैं, जो समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए हैं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक सामान्य बात है और हमारे विचाराधीन है कि विदेशी धन का चुनाव में किस प्रकार प्रयोग किया गया । यह एक सामान्य जांच का मामला है ।

श्री कन्डपन : फिर इस एक मामले की पृथक विशेष जांच क्यों की जा रही है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या अमरीका दूतावास द्वारा अक्तूबर, 1966 से फरवरी 1967 तक की अवधि में पी. एल. 480 निधि से निकाले गये धन की कोई जानकारी सरकार

को प्राप्त हुई है और क्या सरकार को यह भी ज्ञात हुआ है कि यह धन राशि इन तीन महीनों में खर्च की गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं इस सम्बन्ध में एक तारांकित प्रश्न का उल्लेख कर कर सकती हूँ, जिसे इसी सभा में पूछा गया था एवं संभवतः जिसके उत्तर में वित्त मंत्री ने बताया था कि इतना धन निकाला गया। तब के बाद उस सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नहीं है। जहां तक मुझे याद है, यह गलत भी हो सकता है उन्होंने कहा था कि 19 करोड़ रुपये निकाले गये। क्या मैं जान सकती हूँ.........

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अगला प्रश्न।

पाकिस्तानी आप्रवासी

+
*632. **श्री लीलाधर कटकी** : **श्री श्रद्धाकर सूपकार** :
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री श्रीगोपाल साबू** :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस द्वारा वास्तविक नागरिकों से अवैध रूप से घूस लिए जाने तथा उनको तंग किये जाने की बढ़ती हुई शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार आसाम में तथा अन्य सीमावर्ती राज्यों में अवैध रूप से घुसे हुए पाकिस्तानी आप्रवासियों का पता लगाने के लिये नागरिक जत्थे नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : एक तरफ तो यह शिकायत है कि पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग आसाम में दाखिल हो रहे हैं और दूसरी ओर स्थानीय लोगों की यह शिकायत है कि पुलिस उन्हें तंग कर रही है तथा उनसे अवैध रूप से घूस ले रही है। इन दोनों शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस शिकायत को दूर करने के लिये हमने न्यायीक न्यायाधिकरण स्थापित किये हुए हैं तथा ये न्यायिक न्यायाधिकरण प्रत्येक मामले की ध्यानपूर्वक जांच करते हैं कि कोई भी वास्तविक भारतीय सीमा से बाहर न निकाला जाये तथा किसी को नाजायज तंग न किया जाये।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मैं जानना चाहता हूं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में–विशेषतया पाकिस्तान और आसाम के बीच लगने वाली सीमा के सीमावर्ती क्षेत्रों में, इस बात को

सुनिश्चित करने के लिये कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आसाम में अवैध रूप से घुसने न पाये, क्या पहचानपत्र जारी करना संभव होगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस प्रश्न पर विचार किया गया था, परन्तु इसे कार्य-रूप नहीं दिया गया, क्यों इसे कार्यरूप देना संभव नहीं समझा गया।

डा० रानेन सेन : कुछ समय पूर्व आसाम विधान सभा में इस बात पर चर्चा की गई थी कि आसाम में अवैध, अप्रवासियों के घुसने तथा उनके वहां रहने के नाम पर लोगों को काफी तंग किया जाता है और चर्चा के दौरान आसाम सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि ऐसे कुछ मामले हुए हैं परन्तु इसके होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। न्यायिक न्यायाधिकरण अवैध अप्रवास के मामले की जांच करता है, परन्तु वह वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, जो जाति के मुसलमान हैं, के तंग किये जाने के मामले की जांच नहीं करता। अतः मैं जानना चाहता हूं कि भारत के इन सीधे साधे मुसलमानों को पुलिस की घूसखोरी तथा तंगी से बचाने के लिये इस न्यायिक न्यायाधिकरण के अतिरिक्त क्या कोई अन्य सक्रिय कार्य-वाही की गई है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं ये न्यायाधिकरण वस्तुतः पुलिस द्वारा तंग किये जाने की घटनाओं को रोकने के लिये बनाये गये थे, क्योंकि पहली प्रक्रिया में पुलिस द्वारा तंग किये जाने की कुछ गुंजाइश बाकी थी। अतः वर्ष 1964 में भारत और पाकिस्तान के गृह मन्त्रियों की मुलाकात के बाद एक नई प्रक्रिया बनाई गई और इस प्रक्रिया में तंग किये जाने की गुंजाइश को कम से कम किया गया और यदि इसके बाद भी तंग किये जाने का कोई मामला होता है तो स्थानीय सरकार—आसाम सरकार उसकी देखभाल करती है और यह प्रयत्न करती है कि तंग किये जाने का कोई मामला न हो।

श्री क० ना० तिवारी : कुछ वर्ष पूर्व इस सभा में कहा गया था कि लगभग 4 लाख पाकिस्तानी अवैध रूप से आसाम में घुस आये हैं। मैं जानना चहाता हूँ कि इनमें से कितनों को निष्कासित किया गया अथवा पाकिस्तान भेजा गया और कितनों को भारतीय नागरिक घोषित किया गया।

श्री विद्याचरण शुक्ल : न्यायाधिकरणों के काम आंरम्भ करने के बाद मार्च 1967 तक पाकिस्तानियों की घुसपैठ के 41,313 मामले उनके समक्ष पेश किये गये हैं। 35,861 मामलों में सम्बद्ध व्यक्तियों को घुसपैठिये समझा गया तथा 1,363 मामलों में सम्बद्ध व्यक्तियों को घुसपैठिये नहीं समझा गया और 5,089 मामले अभी आनीर्णित हैं।

Shri A. B. Vajpayee : I want to ask a question about Jammu and Kashmir. The term "Assam and other bordering States" includes Jammu and Kashmir. May I know whether it is a fact that during last Indo-Pak conflict a large number of people crossed over to Pakistan and now they are coming back and whether it is also a fact that they are 60,000 in number ? An assurance was given in Parliament by Shri G. L. Nanda that those persons, would not be allowed to come back again. I want to know what Government are doing about that assurance ? May I know whether Government do not consider it dangerous to allow such a large number of persons to settle in our border state ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ये दूसरे प्रकार के व्यक्ति है, जो अस्थायी तौर पर पाकिस्तान चले गये थे तथा वापस आ गये हैं। इस प्रश्न का सम्बन्ध पाकिस्तानियों अथवा पाकिस्तानी नागरिकों से है जो छुप कर भारत आते हैं। इस प्रश्न में हम इस प्रकार के घुसपैठियों के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : गत भारत-पाक संघर्ष के दौरान गैर सीमावर्ती राज्यों में ऐसे इक्के दुक्के मामले हुए थे जिनमें वास्तविक भारतीय नागरिकों को पाकिस्तानी राष्ट्रजन समझा गया तथा उन्हें पाकिस्तान जाने को बाध्य किया गया। क्या सरकार का विचार कम से कम इन मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक पुनर्विचार करने का है, जिनमें भारतीय नागरिक सम्बद्ध हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मूल प्रश्न से यह प्रश्न नहीं उठता।

Shri A. B. Vajpayee : Mr. Speaker, on a point of order. The hon. Minister can not refuse to give answer to my question on the ground that it does not relate to Assam and it relates to Jammu and Kashmir, because the term "bordering States" includes Jammu and Kashmir. Such Pakistani citizens are coming in Jammu and Kashmir, those who had not crossed over to Pakistan from India. Those Pakistanis are coming alongwith those Indians who had crossed over to Pakistan and are settling in Jammu and Kashmir. I want to know how the hon. Minister can refuse to answer this question ?

Shri Vidya Charan Shukla : We are not here discussing about those persons who went to Pakistan during the conflict and returned after ceasefire. This is all what I have said. If he wants information about Pakistani nationals crossing over to India after ceasefire, he may give me a separate notice and I shall give the information.

Shri Madhu Limaye : The hon. Member Shri Vajpayee has said that during last Indo-Pak conflict some Indians crossed over to Pakistan and they returned after ceasefire. He has stated that some Pakistanis have also come alongwith those Indians. We have also given a Calling Attention Notice in this regard. So this question should be answered. There is no need for a separate notice.

Shri Vidya Charan Shukla : I require a separate notice for answering this question.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I fail to understand why the hon. Minister is insising for a separate notice for answering this question. The question is relevant to the main question.

अध्यक्ष महोदय : बात यह है कि उनके पास इस समय जानकारी नहीं है, अन्यथा प्रश्न संगत है।

Shri A. B. Vajpayee : Does the hon Minister deny this fact that a large number of Pakistanis are inflitrating into Jammu and Kashmir and the State and Central Governments are not taking any action.

Shri Vidya Charan Shukla : I have already stated that I require a separate notice for answering this question.

अध्यक्ष महोदय : पूछा गया प्रश्न तर्क संगत है। परन्तु इस समय उनके पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री बलराज मधोक : जब उन्हें यह पता था कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जायेगा तो उन्हें उस विशेष सम्बन्धी प्रश्न की जानकारी प्राप्त करनी चाहिये थी ।

श्री शिवाजी राव श० देशमुख : मेरा अनुपूरक मुख्य प्रश्न से ही सम्बन्धित है । उसका जवाब नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये ।

श्री शिवाजी राव श० देशमुख : पिछले भारत–पाकिस्तान संघर्ष के दौरान और उसके बाद वास्तविक भारतीय मुस्लिम नागरिकों को पाकिस्तानी मुसलमान समझा गया और उनको जबरदस्ती बेदखल किया गया। क्या सरकार उन मामलों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम इस पर जनरल विचार करेंगे ।

श्री हुंमायून कबिर : आसाम में मुसलमानों पर गैर-कानूनी तरीके से प्रवेश करने के आरोप लगाये जाने, उच्च्य न्यायालय के निर्णय, जिसमें कुछ परेशान करने के मामलों के आरोप को उचित बताया गया है और 1953 या 1954 में आसाम में वास्तविक नागरिकों का एक रजिस्टर रखे जाने के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार को सीमा क्षेत्रों पर रहने वाले नागरिकों को पहिचान पत्र देने में हिचक क्यों है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस सुझाव पर आसाम सरकार से विचारविमर्श किया गया था और जैसा कि मैने पहले कहा है कि इस सम्बन्ध में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, जिनके कारण इस सुझाव को समाप्त करना पड़ा ।

श्री वी० चं० शर्मा : मैं आसाम या जम्मू काश्मीर के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में मुसलमान घुसपैठियों ने प्रवेश किया है और क्या मैं माननीय मंत्री और राज्य मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या इस घुसपैठ को रोकने के लिये उन्होंने कोई व्यवस्था की है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हिन्दु और मुसलमान दोनों ही देश के सम्मानित नागरिक हैं । यदि आप इस शहर में आते हैं तो इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । हम इस पर कोई आपति नहीं करते ।

श्री हेम बरुआ : एक प्रश्न का उत्तर देते समय माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि किसी भी भारतीय मुसलमान को पाकिस्तान नहीं भेजा गया । इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य नहीं है कि जनरल करियप्पा, जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान और वहां के कुछ शरणार्थी शिविरों का दौरा किया था, सरकार को और प्रधान मंत्री को अपनी

रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि वह ऐसे भारतीय मुसलमानों से मिले जिन्हें इस देश से बाहर कर दिया गया था और जो अब पाकिस्तान में हैं। यदि यह ठीक है तो क्या श्री करियप्पा द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के सम्बन्ध में सरकार ने कोई जांच की है ताकि पाकिस्तानी घुसपैठियों की आड़ में भारतीय मुसलमानों को परेशान न किया जाये ? हम पाकिस्तानी घुसपैठियों को हमेशा के लिये समाप्त करना चाहते हैं, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय मुसलमानों को परेशान किया जाये, जैसा कि आज आसाम में हो रहा है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जैसा कि मैने पहले भी कहा था कि हमने किसी भी भारतीय मुसलमान को जान-बूझ कर बाहर नहीं भेजा है। हमने भेजने से पहले इस बात की पूरी तौर से जांच की है कि भेजे जाने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक है अथवा नहीं।

इसके लिये कानूनी तरीका निर्धारित है।

अध्यक्ष महोदय : जनरल करियप्पा की रिपोर्ट किस सम्बन्ध में है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इस सम्बन्ध में पता करूंगा।

श्री हेम बरुआ : जनरल करियप्पा ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में नहीं जानते हैं। यह हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिये तैयारी करके क्यों नहीं आते ?

श्री रंगा : क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि हाल ही के कुछ महीनों में यह रिपोर्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है जिसमें कहा गया है कि बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी लोग काश्मीर में प्रवेश कर रहे हैं और काश्मीर की जनता से मेलजोल बढ़ा रहे हैं। क्या इसको रोकने के लिये या उनको प्रवेश की अनुमति न देने के लिये सरकार ने कोई प्रयास किया है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : इसके दो पहलू हैं। एक तो यह कि भारत-पाक संघर्ष के समय बड़ी संख्या में लोगों ने सीमा क्षेत्र को पार किया। उसमें से बहुत से लोग वापिस आ रहे हैं। मुझे उनकी संख्या के सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं है परन्तु उनकी संख्या बहुत अधिक है, शायद 50,000 और 60,000 तक है, जैसा कि श्री बाजयी ने बताया है। यह एक पहलू है। गृह-कार्य मंत्री ने उस समय सभा में बताया था कि उन्हें वापिस लौटने की अनुमति नहीं दी गई थी, परन्तु जब सामान्य सम्बन्ध स्थापित हो गये तो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय महिलाओं और बच्चों को, जो भारत वापिस लौटना चाहते थे, भारतीय सुरक्षा दल के लिये रोकना बहुत कठिन हो गया। उनमें से बहुत से लोग वापिस लौट रहे हैं। इसके साथ ही हम इस बात की पूरी जांच कर रहे हैं कि उनमें कोई पाकिस्तानी वापिस न आ जाये—विशेष तौर से दूसरी ओर के खतरनाक तत्व। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Shri Bibhuti Mishra : Hon. Minister has just mentioned that those Indians who had left for Pakistan, are coming back. I want to know whether they had left because

they were faithful to Pakistan or due to some other reasons ? Whether they had been loyal to India evenafter leaving India ? If it was not so, why the Indian Government is insisting to bring them back.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने भी ठीक यही कहा है। अब जब वे वापिस आ रहे हैं तो हम उनकी पूरी जांच कर रहे हैं, और स्थिति का पूरा पता लगायेंगे। यह सम्भव है कि कुछ लोग वहां इसी इरादे से गये हों। कुछ लोग भय के कारण गये होंगे, कुछ लोगों के लिये यहां रहना कठिन था और कुछ लोगों के वहां सम्बन्धी थे, और वे वहां ही अपने को अधिक सुरक्षित महसूस करते थे। इतनी बड़ी संख्या में लोग केवल एक कारणवश नहीं जा सकते।

अब जब वह वापिस लौट रहे हैं तो हम इस बात की पूरी जांच कर रहे हैं कि कहीं वह भारत विरोधी लोग तो नहीं हैं।

श्री बलराज मधोक : इस बात की जांच कौन कर रहा है ?

श्री रंगा : स्थानीय सरकार या केन्द्रीय सरकार ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : दोनों।

Shri Prakash Vir Shastri : I want to know whether it is a fact that the people from Pakistan have not only rehabilitated themselves in large number not only in the adja. cent areas of Jammu and Kashmir and Assam, but in Rajasthan, Jaisalmer, Ganganagar and West Bengal also. Some political elements are helping them in getting settled. If it is in the knowledge of the Home Ministry, the steps taken by the Government stopping it ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : कुछ घुसपैठिये त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल में भी आ गये हैं। लगभग उन सबको त्रिपुरा से बेदखल किया गया है। पश्चिमी बंगाल से भी हमने उनमें से बहुतों को निकाला है। कुछ लोग बाकी रह गये हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

Shri Prakash Vir Shastri : What about Rajasthan ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : राजस्थान से ऐसे समाचार मिले हैं और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री समर गुह : हजारों मुसलमानों ने जिन पर पाकिस्तानी नागरिक होने का संदेह था, पाकिस्तान वापिस लौटते समय रंगपुर, मेमनसिंह, सिहलेट, त्रिपुरा, पहाड़ी त्रिपुरा और चिट्टागांव जिलों में रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों के मकानों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप हजारों अल्पसंख्यक बेघरबार हो गये हैं। उन्होंने न केवल कुछ मकानों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है बल्कि कुछ शिक्षा संस्थाओं पर भी जिसमें से एक प्रसिद्ध संस्था महेश पाठशाला भी है और जिसमें एक पुस्तकालय और संग्रहालय है, पर उन मुसलमानों ने आसाम से निकाले जाने पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है इसके परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिये गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार यह कैसे सोचती है कि इन गैरकानूनी पाकिस्तानी

नागरिकों को निकालने से पूर्वी पाकिस्तान में भी इसकी प्रतिक्रिया होती है। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन लोगों के उनके घरों पर जबरदस्ती कब्जा करने के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान से कितने लोग पिछले पांच वर्षों में बेघरबार हो गये हैं और जो वापिस आसाम लौट आये हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह कठिन प्रश्न है। बंगाल और पाकिस्तान से पाकिस्तानी नागरिकों के निकालने पर पूर्वी पाकिस्तान में इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको बताना कठिन है। इसका अवश्य वहां प्रभाव पड़ा होगा और कुछ हिन्दुओं को निकाला या बेदखल किया गया होगा।

लेकिन हम किसी भी विदेशी नागरिक को अपने देश में बिना उचित दस्तावेज और उचित स्वीकृति के रुकने की अनुमति नहीं देते हैं। यदि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो हम उसे उसके देश वापिस भेज देते हैं।

श्री समर गुह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन लोगों के परेशान करने के परिणाम स्वरूप पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने हिन्दु, बुद्ध और इसाइयों ने पूर्वी पाकिस्तान से आसाम में प्रवेश किया।

श्री विद्या चरण शुक्ल : इन आंकड़ों को इस समय बताना बहुत कठिन है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : ऐसे असंख्य मामले हुए हैं जिनमें उच्च न्यायालय तथा न्याधिकरण द्वारा नागरिकता स्वीकार किये गये आसाम के मुस्लिम नागरिकों को बेदखल किया गया और उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

यदि हां, तो सरकार ने उन्हें वापिस इस देश में लाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस तरह की कुछ शिकायतें 1964 से कुछ पूर्व प्राप्त हुई थीं। इसीलिये ये न्याधिकरण की स्थापना की गई थी। इन न्याधिकरणों की स्थापना के पश्चात ऐसे मामलों में बहुत कमी हुई है।

श्री हेम बरुआ : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पिछले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि किसी भारतीय मुसलमान को इस देश से पाकिस्तान नहीं भेजा गया था। अब वह यह स्वीकार करते हैं कि कुछ लोगों को भेजा गया था। उन्हीं मंत्री महोदय द्वारा इन दो वक्तव्यों का दिया जाना वे कैसे सुसंगत समझते हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने जो कहा है उसे वह ठीक नहीं समझ पाये हैं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मैं इस प्रकार के मामलों की संख्या जानना चाहता हूँ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : ऐसी शिकायतें 1944 से पूर्व प्राप्त हुईं थी। यदि अलग से सूचना दी जाए, तो मैं ये आंकड़े दूंगा।

श्री समर गुह : इसके कारण पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। मैं यह चाहता हूं कि गृह-कार्य मन्त्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

Shri Ram Krishan : Whether the Government is aware that before and at the time of Pakistani agression, pakistan sent people in the garb of Muslim priest, Sadhus and Granthi in large numbers in different parts of Punjab and they acted as spies there and tried to uproot the stratigic lines. They also sent spies in large numbers in Bombay and Poona as well. I want to know whether the whole gang has been liquidated ? If not, the steps Government have taken for the future ?

Shri Madhu Limaye : I have to raise a point of order with regard to question No. 633· It is a very serious issue. It concerns with the Judge of a Supreme Court.

अध्यक्ष महोदय : उनका व्यवस्था का प्रश्न है। मैं उसे पहले सुनूंगा।

Shri Madhu Limaye : I have got two kinds of objections on it. To one, I will call fundamental and the other due to wrong wordings. First of all, I placed my objection with regard to use of wordings. It has been said as follows:-

"Whether it is a fact that the farmer Chief Justice of the Supreme Court of India, before resigning his post, had expressed his desire to some political party Chiefs that he would like the contest the presidential Election."

Nothing can be so untrue as this that the Chief Justice had ever expressed this desire to the leader of any political party-(interruptions)

This wording is altogether wrong. Please see Rule 43 (1). In that rule this right has been given to you by the House.

"Speaker shall decide whether a question, or a part thereof, is or is not admissible under these rules. Now you see that in those words an allegations has been made against a great man like the Chief Justice of India. If the wordings had been like this that whether it is a fact that leader of the parties had requested him, then I would have no objection. My first objection is with regards" to wording. I think that under Rule 43 (1)..

श्री कमल नयन बजाज : अध्यक्ष ने इसे स्वीकार कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपके चिल्लाने से मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। हमें व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करना है। मैं यह देखूंगा कि व्यवस्था का प्रश्न उठता है अथवा नहीं। आप इस सम्बन्ध में अध्यक्ष को निर्णय देने की बजाये इस प्रकार क्यों चिल्ला रहे हैं ? इसे अध्यक्ष पर छोड़ दें।

Shri Madhu Liamaye : I am not attacking. I am simply requesting. As these wordings are objectionable, so change the wording by using the power given to you under Rule 43 (1). My fundamental objection is based one on some Artical of the Constitution and other on some Rule. Article 121 of the Constitution is as follows restriction on discussion in Parliament.

"No discusion shall take place in Parliament with respect to the conduct of the Judge of the Supreme Court or of a High Court."

This includes question and answer also.

"......in the discharge of his duties except upon a motion for presenting an address to the President......"

अध्यक्ष महोदय : परन्तु शब्दावली यह है 'कर्त्तव्य पालन में किये गये'

वह धारा इस प्रकार है :

"उच्चतमन्यायालय या उच्चन्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के अपने कर्त्तव्य पालन में किये गये आचरण के सम्बन्ध में कोई चर्चा संसद् नहीं होगी ।"

Shri Madhu Limaye : Please see the Rule. It is the provision of the Constitution. Rule 41 (2) (9) is like this—

"It shall not reflect on the character or conduct of any person whose conduct can only be challenged on a substantive motion."

I mean to say that if they want to bring some substantive motion then they must.

We are never afraid of discussion. I am always in favour of discussion. But this question cannot come under our Rules regarding questions. At least its wording should be changed.

अध्यक्ष महोदय : कोई भी किसी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधिपति के आचरण के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं पूछ रहा है । इस प्रश्न में तो केवल जानकारी मांगी गई है । वह 'ना' या 'हाँ' में दी जा सकती है । यह तो सिर्फ जानकारी का मामला है । कोई भी कर्त्तव्य के पालन में किये गये आचरण के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं कर रहा है ।

अब हमें इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए ।

Shri Madhu Limaye Please read 'B' Code of Conduct has been written.

श्री हेम बरूआ : प्रश्न का भाग (ख) विशेषकर कोड आफ कन्डक्ट से सम्बन्धित है ।

Presidential Election

***633. Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the former Chief Justice of the Supreme Court of India, before resigning from his post, had expressed his desire to some political party chiefs that he would like to contest the Presidential Election;

(b) if so, whether this step is considered consistent with the code of conduct for the Chief Justice of the Supreme Court of India; and

(c) if not, the action proposed to be taken by Government in this regard for future guidance ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ अब हमें अगला प्रश्न लेना चाहिये, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अब आपको सावधान रहना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि उनके पास बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है और उन्हें कुछ नहीं कहना है······(व्यवधान) इसलिये चाहे कितने भी प्रश्न क्यों न पूछे जायें आपको अतिरिक्त जानकारी नहीं मिल सकेगी । फिर भी श्री विभूति मिश्र कोई आक्षेप लगाये बिना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

Shri Bibhuti Mishra : On what date did he tender his resignation and on what date did he give out to the press that he had decided to contest the Presidential election. Has Government any information as to the date on which leaders of different political parties had met him as reported in the press ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि उन्होंने किस दिन इस्तीफा दिया क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी देना संगत है । हमें इस मामले में थोड़ा संयम रखना होगा । 21 अप्रैल, 1967 के समाचार पत्रों में यह छपा था कि जब अखबार वालों ने यह जानने का अनुरोध किया कि क्या उनका नाम देने से पहले राजनीतिक दलों ने उनसे परामर्श किया था तो श्री सुब्बाराव ने कहा कि उनका अभिनन्दन करते समय पहली बार किसी व्यक्ति के मुख से उन्होंने यह सुना था कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिये प्रतिपक्षी दलों के सर्वसम्मत उम्मीदवार के रूप में आकाशवाणी से उनके नाम की घोषणा की गई थी और यह उनके लिये आश्चर्य की बात थी । मैं समझता हूँ कि हमें उनकी बात को स्वीकार करना चाहिये ।

Shri Bibhuti Mishra : On what date did he submit the resignation and on what date were the nomination papers filed ?

Shri Madhu Limaye : Have some consideration atleast; one hand you are offering assignments to the judges and on the other hand you feel so much enraged if a judge contests an election after tendering his resignation and after strictly complying the provisions of the Constitution.

Shri Pahdia : You are corrupting the judiciary.

Shri Madhu Limaye : You offer them diplomatic and other appointments, you should feel ashamed. He has fought the election according to the Constitution.

अध्यक्ष महोदय : आपस में बात करने से काम नहीं चलेगा । यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो मुझे सम्बोधित करके पूछिये ।

Shri Randhir Singh : Sir, "you should feel ashamed" is the often repeated remark of Shri Madhu Limaye, Has he the monoply to speak like that ? Is he the only shameful Member here ? We feel his remarks very much (interruptions).

Shri Kanwar Lal Gupta : If you feel ashamed, say that you feel like that.

श्री विभूति मिश्र : मैंने केवल एक प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर नहीं दिया गया। मुझे दूसरा प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास कोई जानकारी नहीं है। मैं मंत्री को जानकारी देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता।

Shri Y. B. Chavan ; The information asked for by Shri Bibhuti Mishra is not at present available with me. I require notice for it.

Shri K. N. Tiwari ; Are Government aware that some political leaders, particulary Shri Masani, had met Shri Subba Rao when he was still holding office of the chief justice and he stated that he would think over that proposal and later on tell what he decided ? Was this decision taken when he was still in office ?

श्री यशवन्त राव चव्हान : यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिये मुझे स्वभावतः प्रतिपक्षी नेताओं और भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश आदि से पूछना होगा। यह जांच करने के बराबर है। मैं समझता हूँ कि हमें इस मामले को यहीं पर छोड़ना चाहिये और इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिये।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या सरकार का ध्यान इस सभा के निष्ठावान सदस्यों द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि मुख्य न्यायाधीश एक राजनीतिक पद के लिये कोशिश कर रहे थे या इस देश के सब से ऊंचे पद के लिये अपने आपको पेश कर रहे थे, और यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मुझ से जानकारी की आशा की जाती है, राय की नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

Pay-Scales of University Teachers

+

***634. Shri Sidheshwar Prasad**
Shri Ram Kishan Gupta
Dr. Ranen Sen

Will the Minister of **Education** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the University Grants Commission has recommended enforcement of new pay-scales for teachers of universitis;

(b) if so, the details of old and new pay-scales; and

(c) the universitis where new pay-scales have been introduced so for ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख)

तीसरी आयोजना के वेतन मान रुपये		पहली अप्रैल, 1966 से संशोधित वेतन मान, रुपये
प्रोफेसर	1000–50–1500	1100–50–1300–60–1600*
रीडर	700–40–1100	700–50–1250
लेक्चरर	400–30–640–40–800	400–40–800–50–950

(ग) अब तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा विश्व भारती ने संशोधित वेतनमानों को लागू कर दिया है। उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र सरकारों के इस सम्बन्ध के प्रस्तावों को भी स्वीकार कर लिया है।

*विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की कुल संख्या के एक तिहाई प्रोफेसरों को 1600-100-1800 के वरिष्ठ वेतनक्रम में नियुक्त किया जाए।

Shri Sidheshwar Prasad : The pay-scales recommended by the University Grants Commission have been enforced in the Central Universitis only. What are the reasons for not introducing the revised pay scales in other Universites and what steps are being taken by the Government in this direction ?

डा० त्रिगुण सेन : यह सही है कि चारों केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने पुनरिक्षित वेतन-क्रमों को लागू कर दिया है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है और अन्य राज्यों को हमने शीघ्र कार्यवाही करने के लिये स्मरण पत्र भेजे हैं।

Shri Sidheshwar Prasad : Are Government aware that apart from the Universities there are thousands of Colleges where the condition of the teachers is extremely miserable which accounts for the falling standards of education; if so, what steps are being taken by Government to improve their pay scales ?

डा० त्रिगुण सेन : हम जानते हैं कि कालेजों के अध्यापकों को कम वेतन मिलता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ये सिफारिशें विश्वविद्यालय तथा कालेज दोनों के अध्यापकों पर ही लागू होती है।

Shri Ram Krishan Gupta : Has the Haryana Government sent any proposal in this regard ?

Shri Prakash Vir Shastri : Is there a University ?

डा० त्रिगुण सेन : हमें अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

डा० रानेन सेन : क्या माननीय मंत्री को पता है कि पश्चिम बंगाल कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापक संगठन ने, जिसमें सब से अधिक संख्या में पश्चिम बंगाल के विश्व-विद्यालयों और कालेजों के अध्यापक हैं, यह मांग की है कि उनके वेतनक्रमों में सुधार किया

जाये और विभिन्न श्रेणियों को समाप्त करके कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की केवल दो श्रेणियां बनाई जायें ? उस माँग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार को पता है कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों से अब भी असंतुष्ट हैं ? क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा पश्चिम बंगाल के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति में विलम्ब होने के कारण अध्यापकों में बड़ा असंतोष है, और यदि हां, तो उन सिफारिशों को शीघ्र क्रियान्विति के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ।

डा० त्रिगुण सेन : हमें अध्यापकों के असंतोष का पता है । वे मुझसे भी मिले थे । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षा और वित्त मंत्रालयों द्वारा विशिष्ट वेतनक्रम स्वीकार किये गये हैं । मैं जानता हूँ कि पश्चिम बंगाल के अध्यापक विभिन्न वेतनक्रमों से असंतुष्ट हैं ?

श्री हेम बरुआ : यह भेदभाव क्यों ?

डा० त्रिगुण सेन : यह भेदभाव नहीं है । मैंने उनको सलाह दी थी कि पहले वे उन वेतन क्रमों को स्वीकार कर लें जो सभी सरकारों को भेजे गये हैं, क्योंकि हम सभी सरकारों से अनुरोध कर रहें हैं कि वे उन वेतन क्रमों को स्वीकार कर लें जिनकी विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सिफारिश की गई है और जिनको स्वीकार भी किया गया है और फिर वेतनक्रमों में सुधार करने के लिये कहें । वे मेरी बात से संतुष्ट थे ।

डा० रानेन सेन : पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें क्रियान्वित कराने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ।

डा० त्रिगुण सेन : इसको स्वीकार करना राज्य सरकार का काम है, क्योंकि भारत सरकार बढ़े हुए वेतनों का 80 प्रतिशत भाग दे रही है और राज्य सरकार शेष 20 प्रतिशत । हम राज्य सरकार से बातचीत कर रहे हैं न कि विश्वविद्यालयों के साथ ।

श्री रा० की० अमीन : क्या सरकार को पता है कि गुजरात विश्वविद्यालय ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के वेतनक्रमों को भी क्रियान्वित नहीं किया है और यदि हां, तो क्या सरकार वेतनक्रमों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू कराने के लिये कदम उठायेगी ?

डा० त्रिगुण सेन : गुजरात के शिक्षा मंत्री के साथ, जब वह यहां पर थे, इस विषय पर मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वह वापसी पर उनको क्रियान्वित कराने का प्रयत्न करेंगे । मैं उनके उत्तर की प्रतिक्षा कर रहा हूँ ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने वेतनक्रमों को स्वीकार कर उन्हें क्रियान्वित कर लिया है और यदि नहीं, तो क्रियान्वित के मार्ग में क्या मुख्य बाधाएं और रूकावटें हैं ।

डा० त्रिगुण सेन : उत्तर प्रदेश सरकार ने वेतन क्रमों को स्वीकार कर लिया है और हमने उसके प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है । ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister has stated that the proposals of Uttar Pradesh, W. Bengal and Maharashtra Governments have been approved by the Central Government. Will these proposals be implemented from the beginning of the Fourth Five Year Plan, and will the arrears be paid to the teachers.

डा० त्रिगुण सेन : इनको 1 अप्रैल, 1966 से लागू किया जायेगा ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि ये सिफारिशें करते समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी कहा था कि बढ़े हुए वेतनों का थोड़ा भाग राज्य सरकारें भी दें ? चूंकि राज्य सरकारें ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वहां पर कठिनाई पैदा होती है । जिन विश्वविद्यालयों ने इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया है वे केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं और केन्द्रीय सरकार ने सारा वित्तीय आवंटन दिया है । जो राज्य सरकारें वित्तीय सहायता देने के लिये तैयार नहीं हैं उनको मनाने के लिये सरकार क्या करना चाहती है ?

डा० त्रिगुण सेन : यह एक नीति सम्बन्धी मामला है । भारत सरकार 80 प्रतिशत तक देने के लिये तैयार है, यदि राज्य सरकारें भी 20 प्रतिशत तक देने के लिये सहमत हों ।

श्री हेम बरुआ : यदि वे ऐसा नहीं करतीं तो आप क्या करना चाहते हैं ?

डा० त्रिगुण सेन : यदि राज्य सरकारें व्यय का अपना भाग उठाने के लिए तैयार न हों, तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इसका अर्थ तो यह हुआ कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों का कोई अर्थ नहीं है ।

श्री क० लकप्पा : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये कोई समय-सीमा नियत की गई है ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं पहले बता चुका हूं कि वे जब भी स्वीकार कर लेंगे उनको 1 अप्रैल, 1966 से धन दे दिया जायेगा ।

श्री क० नारायण राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ राज्य अपनी कठिन वित्तीय परिस्थितियों के कारण 20 प्रतिशत व्यय उठाने की स्थिति में भी नहीं हैं, क्या सरकार इस मामले में सारे देश में एक समानता लाने के लिये शेष 20 प्रतिशत भी देने का विचार करेगी ?

डा० त्रिगुण सेन : माननीय सदस्य को पता होना चाहिये कि शिक्षा राज्यों का विषय है ।

श्री संझियान : परन्तु वित्त तो केन्द्रीय विषय है ।

श्री क० नारायण राव : मैं नहीं समझता कि एक राज्य विषय पर हम 80 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दे सकते हैं और 20 प्रतिशत राज्य सहायता हो । जब 80 प्रतिशत भार वहन किया जा सकता है तो क्या पूरा भार वहन नहीं किया जा सकता ?

Shri Ramavtar Shastri : May I know whether Patna University is experiencing difficulty in implementing the report of University Grants Commission and if so, whether the Minister propose to give some aid to Patna University for this purpose ?

डा० त्रिगुण सेन : हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे इसके लिए 20 प्रतिशत सहायता दें । परन्तु यदि कोई विश्वविद्यालय देता है तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

Shri Ramavtar Shastri : I asked whether the Govt. intend to halp the Patna University, which is not in a position to pay. it.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा विश्वविद्यालय के सम्बद्ध अध्यापकों के वेतन मानों में बहुत अन्तर है और इसके परिणामस्वरूप कुछ उच्चतर स्कूलों और प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक 'घेराव' का आश्रय ले रहे हैं ? उदाहरणार्थ, कुछ स्कूल के अध्यापकों ने पंजाब के मुख्य मन्त्री के घर पर घेरा डाला था । सरकार इस अनिश्चितता की स्थिति को और वेतनमानों में विद्यमान असमानता को कब तक समाप्त करेगी ?

डा० त्रिगुण सेन : मुझे पता नहीं है कि किस मन्त्री पर घेराव डाला गया था ।

श्री दी० चं० शर्मा : पंजाब के मुख्य मन्त्री पर ।

डा० त्रिगुण सेन : हम राज्यों से केवल अनुरोध या अपील कर सकते हैं या उन्हें याद दिला सकते हैं । यदि राज्य सरकारें इस बात पर सहमत नहीं होती तो हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते ।

श्री कंडप्पन : जिन विश्वविद्यालयों ने संशोधित वेतनमानों सम्बन्धी सिफारिशों को लागू किया है वे सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं । राज्यों के विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के वेतनमानों में बड़ा अन्तर है । केन्द्रीय सरकार ने शर्त भी रखी है कि वह पांच वर्ष के बाद इसके लिए अनुदान नहीं देगी । क्या यह सच है कि इस शर्त के कारण ही राज्य सरकारें उक्त सिफारिश नहीं मान रही हैं ? क्या सरकार इस शर्त को कुछ ढीला करेगी ।

डा० त्रिगुण सेन : जी नहीं । यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इसके लिये राज्यों को पांच वर्ष तक अनुदान दिया जायेगा । मुझे बताया गया है कि पाँच वर्ष पश्चात यह वचनबद्ध खर्च का रूप धारण कर लेता है और फिर वित्त आयोग राज्यों के लिए इसका प्रबन्ध करता है ।

श्री वासुदेवन नायर : क्या यह बिलकुल सच है ?

श्री कन्डप्पन : यही तो समस्या है । इसके बारे में मंत्री महोदय को स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिये ।

डा० त्रिगुण सेन : इस शर्त के स्पष्टीकरण के लिये अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की ओर से हम वित्त आयोग से मिले थे और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि राज्यों को अनुदान देते समय इस वचनवद्ध खर्च पर भी विचार किया जाता है ।

श्री कंडप्पन : क्या यह बात राज्यों को बता दी गई थी ।

डा० त्रिगुण सेन : जी, हां । राज्यों को पता है ।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं । वह तो केन्द्रीय विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे । चिन्तनीय दशा तो राज्यों के विश्वविद्यालयों की है ।

डा० त्रिगुण सेन : मैं राज्य के एक विश्वविद्यालय में था ।

श्री दी० चं० शर्मा : प्राथमिक स्कूलों के स्तर के अध्यापकों से लेकर विश्वविद्यालय के स्तर के प्रोफेसरों तक सभी असंतुष्ट हैं, चाहे वे राज्यों के विश्वविद्यालयों में हैं अथवा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन : यदि राज्य सरकारें 20 प्रतिशत देने के लिये सहमत नहीं होती, तो यह उनकी असमर्थता है, अनिच्छा नहीं है । क्या सरकार को पता है कि कुछ राज्यों ने यह सुझाव दिया है कि चाहे राज्य 20 प्रतिशत दें या न दें, परन्तु केन्द्र अपना 80 प्रतिशत अंश देता रहे ताकि अध्यापकों को कम से कम 80 प्रतिशत लाभ होता रहे ।

डा० त्रिगुण सेन : हम ऐसा नहीं कर सकते ।

Shri Manibhai J. Patel : Will the Minister be pleased to state the names of the Universities of Madhya Pradesh, which facing financial difficulties ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यद्यपि पश्चिम बंगाल सरकार ने 20 प्रतिशत देना स्वीकार कर लिया है, फिर भी उस राज्य के विश्वविद्यालयों, विशेषतः कलकत्ता विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश को नहीं माना है । इसके क्या कारण हैं ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं इस महीने की 30 तारीख को वहां जा रहा हूँ और कलकत्ता विश्वविद्यालय से इसके बारे में पूछताछ करूंगा ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

बिहार में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानें

+

अ. सू. 9 प्र० सं० *16. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री योगेन्द्र झा:
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की बिहार की सभी कोयला खानों में पूर्ण हड़ताल करने का आह्वान किया है;

(ख) क्या इस हड़ताल का उद्देश्य मजूरी बोर्ड के निर्णयों को लागू करने, बोनस की बकाया राशि का भुगतान करने तथा कर्मचारियों की छंटनी को रोकने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना है; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रुप से विचार कर रही है। जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है उन्हें निपटाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

Shri Ramavtar Shastri : In view of the serious famine conditions in Bihar is it not desirable to stop retrenchment or to provide some financial assistance to the retrenched workers ?

श्री हाथी : इन बातों पर विचार किया जा रहा है ।

Shri Ramavtar Shastri : Is it a fact that Shri S. K. Nargunder, the Managing Director of N. C. D. C., Ranchi, has tendered his resignation and whether it relates to the question pertaining to workers ?

श्री हाथी : इस समय हम तीन बातों पर विचार कर रहे हैं, मजूरी बोर्ड के निर्णय का क्रियान्वयन बकाया बोनस का भुगतान तथा छंटनी के बारे में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने बताया है कि एक दूसरी कोयला खान को छोड़कर, जो बन्द होने जा रही है, किसी भी जगह से कोई व्यक्ति नौकरी से नहीं हटाया जायेगा । जिन लोगों की छंटनी की जायेगी, उन्हें प्रतिकर दिया जायेगा ।

Shri Ramavtar Shastri : I had asked whether the Managing Director has resigned and if so, the reasons therefor ?

श्री हाथी : यह प्रश्न खान तथा धातु मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक है जिससे इस निगम को भारी हानि उठानी पड़ी है ?

श्री हाथी : ऐसी बात नहीं है । केवल एक कोयला खान बन्द की जा रही है और स्वभावतः वहां पर बेकारी की समस्या सामने आयेगी, परन्तु वहां के मजदूरों को पर्याप्त मात्रा में प्रतिकर दिया जायेगा ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर सरकार का कौनसा विभाग विचार कर रहा है ? यदि सिफारिशों को क्रियान्विति के बारे में स्वयं सरकार के विभाग एक मत नहीं हो सकते, तो मजूरी बोर्ड बैठाने का क्या लाभ है ?

श्री हाथी : जहां तक मजूरी बोर्ड की स्थापना की बात है, उसके सम्बन्ध में तो मतभेद होने का प्रश्न ही नहीं उठता । जहां तक सिफारिशों को लागू करने की बात है या कोयले की कीमत बढ़ाने की बात है, इस सम्बन्ध में कोई भी निश्चित रूप से पहले से कुछ भी नहीं सोच सकता । कोयले से रेलवे, विद्युत उपक्रमों तथा अन्य अनेक उद्योगों का सम्बन्ध होता है । इसलिये कोयले के मूल्य में वृद्धि करने से इन सब पर बुरा प्रभाव पड़ता है जिस पर विचार करना आवश्यक हो जाता है । अतः यहां प्रश्न मतभेद का नहीं है बल्कि सम्बन्धित उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करने का है ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : आप उन्हें हड़ताल करने दे ।

श्री हाथी : वे हड़ताल पर हैं ।

Shri Shiv Chandika Prasad : Will the Minister be pleased to state that a strike was to take place there on the issue of Wage Board and payment of arrears and the strike was postponed because there was a conciliation in this respect and it was decided that strike would not take place ? Was the issue of said Colliery not settled along that conciliation ?

Shri Hathi: A conciliation was reached and some issues are still under consideration. They gave notice for strike also but consequently they hvae extended it for a few days. I think they will not go on strike.

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has admitted that some collieries have been closed...

Shri Hathi : Only one.

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know the number of workers being rendered unemployed on account of the closure of the said colliery and the measures being taken by the Govt. to provide them employment some where else and the time likely to be taken in arriving at decision in respect of Wage Board recommendations ?

Shri Hathi : The decision is likely to be taken within a month. I am anxious that decision should be taken as soon as possible and something should be done for the workers to be retrenched soon. They should be given alternative jobs,

श्री प्र० कु० घोष : क्या सरकार को पता है कि उनकी शिकायतों पर बहुत समय से विचार न किये जाने, बोनस का भुगतान न किये जाने और मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित न किये जाने के कारण सभी मजदूरों में भारी निराशा व्याप्त है ? क्या यह सच है कि उन्हें सूखे से राहत पाने के लिये अग्रिम राशिय तथा ऋण भी नहीं दिये गये हैं जैसा कि अन्य सरकारी उपक्रमों में किया जा रहा है, और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इस महीने की 14 तारीख से हड़ताल कर रखी है ? क्या सरकार ऐसा प्रयास करेगी जिससे उन्हें ये रियायतें और ऋण शीघ्र ही दिये जा सकें, और हड़ताल को रोका जा सके ।

श्री हाथी : जब तक मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है, तब तक उन्हें क्रियान्वित करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । मैं यह प्रयास कर रहा हूँ कि सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्रताशीघ्र निर्णय करे । मैं इस सम्बन्ध में संसद सदस्यों तथा अन्य श्रम नेताओं से बातचीत कर चुका हूं ।

डा० रानेन सेन : जब भी मजूरी बोर्ड कोई निर्णय करता है, तभी वह कोयले की कीमत उपभोक्ताओं और कोयला खान मालिकों के दृष्टिकोण तथा अन्य सम्बद्ध बातों पर विचार करने के बाद निर्णय करता है । फिर सरकार किस कारण उसके निर्णय को स्वीकार करने में इतनी देर लगाती है, जिससे श्रमिकों में उत्तेजना फैलने का अवसर मिलता है ।

श्री हाथी : यह बात सच है कि मजूरी बोर्ड इन सब बातों पर विचार करता है । साथ ही साथ वह कुछ सुझाव भी देता है जैसे कोयले की कीमत में वृद्धि की जाना । इस वृद्धि का प्रभाव किस उद्योग पर किस प्रकार से पड़ेगा इस बात पर विचार करना सरकार के लिये अनिवार्य हो जाता है । वस्तुतः यह प्रयास किया जा रहा है कि निर्णय शीघ्र से शीघ्र किया जाये । लगभग एक महीने में निर्णय कर लिया जायेगा ।

श्री कार्तिक ओराओ : क्या यह सच है कि उनकी माँगों को धनवाद के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के पास भेज दिया गया था और वह इस मामले में अनावश्यक विलम्ब कर रहा है, जिससे मजदूरों की निष्ठा और मिलकर काम करने की भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । क्या मंत्री महोदय इसके बारे में उस अधिकारी से शीघ्रता करने के लिये कहेंगे ?

श्री हाथी : मैं उससे शीघ्रता से काम करने के लिये अवश्य कहूंगा ।

Shri George Fernandes : Is it a fact that an agreement regarding the payment of bonus was reached between the Management of N. C. D. C. and the representative of workers on 6th May but its implementation did not take place on account of interference by a Central Minister in the matter ?

श्री हाथी : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रबन्धक 1965–66 के लिये बोनस देने के लिये सहमत हो गये हैं । यदि इससे पहले साल के बोनस के भुगतान के बारे में कोई कठिनाई है, तो उसका मुझे पता नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : मजदूरों की छंटनी की प्रवृत्ति आजकल बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर जगह कोयले के स्थान पर डीजल का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। क्या डीजल के प्रयोग को अपनाने से पहले रेलवे आदि मंत्रालय श्रम मंत्रालय से इसके बारे में परामर्श करते हैं ताकि कोयला खानों में छंटनी की नौबत न आये।

श्री हाथी : मेरे विचार से कोयले या डीजल के प्रयोग का सम्बन्ध छंटनी से नहीं है, क्योंकि कोयले की मांग ज्यों की त्यों बनी हुई है।

Shri Yogendra Sharma : The Wage Board was appointed in 1962 and it gave its award after 5 years. Even then N. C. D. C. has not agreed to implement the recommendations of the Wage Board. All the workers' Unions there including A. I. T. U. C. and I. N. T. U. C. have decided to resort to strike as a result thereof. I would like to know what steps the Government are going to take so that strike may be averted and peace is maintained ?

श्री हाथी : मुझे इन सब बातों का पता है। यहां प्रश्न मजूरी बोर्ड के निर्णयों को कार्यान्वित करने का नहीं है, बल्कि प्रश्न यह है कि कोयले के मूल्य में वृद्धि का अन्य उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? सिफारिशों को स्वीकार करना पहला चरण है और उन्हे कार्यान्वित करना दूसरा। मैं स्वयं यह चाहता हूं कि यह मामला जल्दी से जल्दी तय हो जाये।

Shri Kanwar Lal Gupta : Several Wage Board have been appointed. A Wage Board textile workers has been set up. Has it given its report, if not, by what time it will give its report ?

Shri Hathi : In all, about 22 or 23 Wage Boards have been appointed. But at the moment I cannot give detailed information about each Wage Board.

श्री काशीनाथ पाण्डेय : सामान्यतः यह देखा जाता है कि विभिन्न मंत्रालय कर्मचारियों की भरती करते समय श्रम मंत्रालय से परामर्श नहीं करते हैं। परन्तु छंटनी श्रम मंत्रालय के लिये समस्या बन जाती है। क्या श्रम मंत्रालय भरती के प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार करेगी कि भविष्य में छंटनी की समस्या उग्र रूप धारण न करने पाये ?

श्री हाथी : यह सच है कि छंटनी श्रम मंत्रालय के लिये समस्या बन जाती है, क्योंकि बेकार लोगों को उसे वैकल्पिक काम देना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि अधिक से अधिक लोगों को काम पर लगाया जाये। श्रम मंत्रालय का भी यह प्रयास रहता है कि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिले और छंटनी के समय उसके परिणाम भी हमें ही भुगतने पड़ते हैं।

प्रश्नों के लिखित उतर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लोगों का पुनर्वास

*635. **श्री जार्ज फरनेंडीज** :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आये लोगों को बसाने की योजनाओं को कार्यान्वित करने में बहुत अधिक विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए नए प्रव्रजकों के पुनर्वास प्रगति सम्बन्धी एक विवरण नीचे दिया जाता है। समस्या के आकार तथा प्रकार को ध्यान में रखते हुए यह कहना सही नहीं होगा कि इन प्रव्रजकों को बसाने में बहुत अधिक बिलम्ब हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1-4-1958 से पहले पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले प्रव्रजकों के पुनर्वास सम्बन्धी समस्या पश्चिम बंगाल में कुछ अवशिष्ट योजनाओं को छोड़ कर 1961-62 तक लगभग हल हो गई थीं। इन अवशिष्ट योजनाओं को 1961-62 में निर्धारिण किया गया था और इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये 22 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। पाक समीक्षा समिति नियुक्त की गयी है जो कि 1961-62 के अवशिष्ट योजनाओं के मूल्यांकन के अन्तर्गत कार्यान्वित किये गये कार्य का मूल्यांकन करेगी और वर्तमान योजनाओं में सुधार तथा पुनरनुस्थापन का सुझाव देगी।

जनवरी, 1964 से भारत में आने वाले 1.9 लाख विस्थापित परिवारों में से, लगभग 55,000 परिवारों ने पुनर्वास सहायता के लिए प्रार्थना की थी। इनमें लगभग 34,000 परिवार शामिल नहीं हैं जिन्हें सहायता आवाजाही शिविरों में दाखिल किया गया था और वे वहां से अपने व्यक्तिगत कारणों से चले गये हैं। 1964-65 में इस मंत्रालय का मुख्यतया कार्य नये प्रव्रजकों को आवाजाही कैम्पों में स्थान देना और पश्चिमी बंगाल से बाहर अन्य राज्यों में इन्हें बसाने के लिये आधार भूमि तैयार करनी थी। 1965-66 में लगभग 13,000 परिवार और 1966-67 में भी लगभग इतने ही परिवार पश्चिमी बंगाल से बाहर अन्य राज्यों तथा दण्डकारण्य में पुनर्वास स्थलों पर भेजे गये।

इसके अतिरिक्त लगभग 1200 व्यक्तियों को विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण दिया गया है और लगभग 2500 व्यक्तियों को स्थायी रूप से रोजगार दिलाया जा चुका है। अतः मार्च, 1967 तक लगभग 28500 परिवारों को पुनर्वास सुविधायें दी जा चुकी हैं।

अब तक लगभग 45,000 परिवारों के पुनर्वास की योजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं और विशिष्ट 10,000 परिवारों के पुनर्वास के लिये योजनाएं विचाराधीन हैं। लगभग 27,000 परिवार अब सहायता शिविरों में हैं। 1967-68 में लगभग 14,000 परिवारों को मंजूर की गयी योजनाओं के अन्तर्गत पुनर्वास स्थलों पर भेजे जाने की आशा है। मंजूर की गयी

योजनाओं के कार्यान्वित करने और शेष परिवारों को पहले मंजूर की हुई योजनाओं या अभी बनाई जाने वाली योजनाओं के अन्तर्गत बसाने के कार्य की प्रगति को लगातार और सावधानी से देखा जा रहा है ताकि नए प्रव्रजकों को शीघ्र बसाया जा सके।

टेलीफोन राजस्व

636. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन राजस्व की बकाया राशि प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है और यदि हां, तो 31 मार्च, 1967 को (सर्किलवार) कितनी राशि बकाया थी;

(ख) क्या सरकार का विचार वसूल न हुई बकाया राशियों की वसूली करने की दृष्टि से पिछली बकाया राशियों तथा चालू बकाया राशियों को अलग-अलग हिसाब रखने का है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) विगत वर्षों में बकाया राशि बढ़ गई थी किन्तु पिछले वर्ष जुलाई से राशि घटना आरम्भ हो गई है। 31 मार्च, 1967 को बकाया राशि की स्थिति फिलहाल उपलब्ध नहीं है, किन्तु एक विवरण-पत्र रखा जाता है, जिसमें 1 जनवरी, 1967 की स्थिति दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 724/67]**

(ख) लेखे पहले से ही अलग-अलग रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) दोषी उपभोक्ताओं के टेलीफोन काटने की कार्यवाही की गई है। बकाया राशि का शीघ्र भुगतान कराने के उद्देश्य से दोषी उपभोक्ताओं को समझाने-बुझाने तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने जैसे अन्य कदम भी उठाये गए हैं।

लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि

*637. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि का उपयोग देश में समान आधार पर नहीं किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में खर्च एक-सा नहीं होता। प्रत्येक सम्बन्धित राज्य में स्थापित सलाहकार समितियों की सिफारिशों और विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं की क्रियान्वित की प्रगति के कारण ऐसा होता है। नियत किया गया धन भी प्रत्येक राज्य के उत्पादन पर आधारित होता है।

Honorary Magistrates in Delhi

638. **Shri Mohan Swarup :**
Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :
Shri Manibhai J. Patel :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to abolish the post of Honorary Magistrates in Delhi with immediate effect;

(b) if so, the number of such Magistrates as would be affected thereby; and

(c) the time by which this decision would be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

नवीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाएं

*639. **श्री विश्वम्भरन :**
श्री नायनार :
श्री प० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री चक्रपाणि :
श्री श्रीधरन :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री अनिरुद्धन :
श्री अदिचन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में कोई नवीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाएं आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) क्या केरल राज्य में एक संस्था आरम्भ करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

शिक्षा मंत्री (श्री त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विमान द्वारा नेफा में अनाज ले जाना

640. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री प्र० के० देव :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान द्वारा नेफा को अनाज तथा अन्य सामान ले जाने के मामले की जांच करने हेतु नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) श्रीमान् अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा के सौदों के बारे में विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

***641. श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री प० मु० सैयद :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री मधु लिमये :
श्री सेक्वीरा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 2 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 157 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की लोक लेखा समिति ने उड़ीसा सरकार द्वारा किये गये कुछ सौदों के बारे में विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारी रसायन तथा उर्वरक कारखानों के कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड

***642. श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री उमानाथ :
श्री गणेश घोष :
श्री भगवान दास :
श्री वि० कु० मोदक :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 में कितनी फैक्टरियां भारी रसायन तैयार कर रही थीं;

(ख) उनमें से कितनी फैक्टरियां भारी रसायनों तथा उर्बरकों सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के अन्तर्गत आती हैं;

(ग) क्या कुछ फैक्टरियां उक्त मजूरी बोर्ड के अन्तर्गत नहीं आती हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) मजूरी बोर्ड के अन्तर्गत न आने वाले सार्थों में काम करने वाले कर्मचारियों की मजूरी नियत करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) सन् 1965 में एकत्रित सूचना के अनुसार 124 कारखाने भारी रसायनों और उर्वरकों का उत्पादन कर रहे थे। इनमें से 88 मजूरी बोर्ड के अन्तर्गत लाये गये हैं।

(ग) और (घ) इस मजूरी बोर्ड ने 36 कारखानों को अपने अधिकार क्षेत्र से अलग रखा है। अलग रखे गये कारखाने अधिकांशतः ग्रहीत इकाइयां हैं और कुछ या तो अन्य मजूरी बोर्डों के अन्तर्गत आ जाते हैं या सूक्ष्म रसायन, जिनमें फोटोग्राफिक रसायन भी शामिल हैं, तैयार करने वाले हैं, इनसे इस बोर्ड का सम्बन्ध नहीं है।

(ङ) यदि वर्तमान मजूरी की दरें सन्तोषजनक न समझी जावें तो सम्बन्धित पक्ष मजूरी दरों में संशोधन करने के लिए द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय विचार-विमर्श करने के लिए स्वतन्त्र हैं। विवाद, यदि कोई हों, तो उनके बारे में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और राज्य के ऐसे ही कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त मशीनरी द्वारा कार्यवाही की जा सकती है।

शिक्षा सम्बन्धी नीति

***643. श्री च० का भट्टाचार्य :**
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा सम्बन्धी कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) मामला विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी तेल-कम्पनियों में स्वचालित मशीनों का प्रयोग

***644. श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियों में वैज्ञानिकन, पुनर्गठन तथा स्वचालित मशीनें लगाने का प्रश्न एक जांच न्यायालय को सौंपने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस न्यायालय में कौन-कौन व्यक्ति होंगे और उसके निर्देश-पद क्या होंगे ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) सारे मामले की छानबीन करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत एक जांच आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया गया है।

(ख) व्यक्तियों के नाम और आयोग के विचारार्थ विषयों की घोषणा यथाशीघ्र कर दी जाएगी।

मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों तथा कालेजों को वित्तीय सहायता

***645. श्री रणधीर सिंह** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों तथा कालेजों के सम्बन्ध में दिल्ली राज्य के मामले में अपनाई जाने वाली वित्तीय सहायता की व्यवस्था देश में लागू करने का सरकार का विचार है ताकि शिक्षा के लक्ष्य तथा प्रसार को वित्तीय और अन्य कठिनाइयों के कारण, जिनका इन संस्थाओं को गैर-सरकारी प्रबन्ध व्यवस्था के कारण सामना करना पड़ता है, नुकसान न पहुंचे ;

(ख) यदि हां, तो किस वर्ष से ऐसी व्यवस्था की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ग) जी, नहीं। सहायता अनुदान के नियमों का प्रश्न पूर्ण रूप से राज्य सरकारों के निर्णय का विषय है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्व-व्यापी संचार उपग्रह प्रणाली

***646. डा० कर्णी सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी विदेश संचार व्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए विश्व-व्यापी संचार उपग्रह प्रणाली का लाभ उठाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली वाणिज्य प्रयोग के लिए कब तक तैयार हो जायेगी ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) भूमाण्डलिक संचार उपग्रह व्यवस्था के 1968 के उत्तरार्ध में प्रचलन में आने की संभावना है। उस समय तक पूना के निकट उपग्रह-संचार का भूमिस्थित केन्द्र स्थापित कर लेने का प्रस्ताव है।

राज्य विधान परिषदें

***647. श्री दामानी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन राज्यों में, जहां पर केवल विधान सभा ही है, किसी राज्य में विधान परिषद् (अपर हाउस) बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में और इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 8 (2) एवं राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 33 के अन्तर्गत अधिसूचित की जाने वाली तिथि से मध्य प्रदेश में विधान परिषद् बनाने का उपबन्ध किया गया था। राज्य सरकार की प्रार्थना पर दिसम्बर, 1966 में यह अधिसूचित किया गया था कि 15 अगस्त, 1967 से मध्य प्रदेश में विधान परिषद् होगी। राज्य सरकार से अब एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि उस तिथि को 15 जनवरी, 1968 तक बढ़ाया जाये, जो कि विचाराधीन है।

Property of Nizam

***648. Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Rabi Ray:
Dr. Karni Singh :
Shri Kameshwar Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that details of movable and immovable property of the late Nizam of Hyderabad were not prepared by Government at the time of his death or thereafter ;

(q) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government would furnish details of his property and the position in regard to present ownership thereof ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b) Government had already settled the details of the private properties of His late Exalted Highness the Nizam, in accordance with the provisions of the agreement with him at the time it was executed. The question of Government preparing a fresh list of such properties after the death of the Nizam does not arise.

(c) Government do not consider it proper that either the value or the details of the property recognised as the private property of Rulers should be a matter for public disclosure.

अमीचन्द प्यारेलाल सार्थ समूह द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच

***649. श्री प० अ० प्रसाद :**
श्री न० कु० सांघी :
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) अमीचन्द प्यारेलाल सार्थ समूह द्वारा की गई अनियमितताओं के कितने मामलों की जांच केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा की जा रही है;

(ख) उनमें से कितने मामलों की जांच लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुपालन में की जा रही है; और

(ग) जांच का निष्कर्ष कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) चार

(ख) चारों मामलों की जांच या तो केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा की गई शिकायतों अथवा उन्हें प्राप्त हुई सूचनाओं के आधार पर आरम्भ की गई है।

(ग) ये मामले विभिन्न अवस्थाओं में हैं तथा कार्यवाही को पूरा करने के लिये हर प्रयत्न किया जा रहा है।

Students' Guidance Centres

***650. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the Uuiversity Grants Commission has suggested the formation of Students, Guidance Centres in educational institutions;

(b) whether these Centres would function as an alternative to the Students' Unions; and

(c) the nature of responsibility to be borne by these Guidance Centres according to the Commission and the extent to which Government agree with that?

The Minister of Educa ion (Dr. Triguna Sen) : (a) The Commission has suggested provision of counselling and guidance facilities in universities and colleges.

(b) No, Sir

(c) These facilities would enable students to receive advice and guidance with regard to their vocational, educational and personal problems. The Government agrees with the proposed scope of these facilities.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्ति करने के लिये आर्थिक पूल की स्थापना

651. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :
श्री निहाल सिंह :
श्री शिवपूजन शास्त्री :
श्री जि० ब० सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 16 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 315 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबन्ध पदों पर नियुक्ति करने के लिये एक आर्थिक पूल बनाने के संबंध में इस बीच अन्तिम निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो यह पूल कब से काम करना आरम्भ करेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : सरकारी क्षेत्र के उवक्रमों में विभिन्न प्रबन्ध पदों पर नियुक्ति करने के लिये एक आर्थिक पूल बनाने के बारे में विभिन्न सम्बन्धित पहलुओं पर विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली में पब्लिक स्कूल

*652. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने अगले शिक्षा वर्ष से पब्लिक स्कूलों की मान्यता वापिस लेने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद): (क) से (ग) : पब्लिक स्कूल दिल्ली प्रशासन से मान्यता प्राप्त नहीं हैं । अतः प्रशासन द्वारा उनकी मान्यता वापिस लेने का प्रश्न नहीं उठता है ।

भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार

*653. **श्री गुणानन्द ठाकुर** :
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व रियासतों के भूतपूर्व शासकों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, यथा बिजली की निःशुल्क सप्लाई;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिजली की निःशुक्ल सप्लाई का वह विशेषाधिकार केवल निजी उपयोग के ही लिये है न कि उन नरेशों की उन इमारतों के लिये, जो उन्होंने किराये पर दे रखी हैं अथवा जिनमें कारोबार किया जाता है;

(ग) क्या बहुत से भूतपूर्व नरेश बिजली की निःशुल्क सप्लाई के इस विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां; तो सरकार ने इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) और (ख) भूतपूर्व भारतीय रियासतों के शासकों के साथ किये गये विलय समझौतों तथा प्रसंविदाओं में इस बात की गारंटी दी गई थी कि उन के विशेषाधिकार वहीं रहेंगे जो 15 अगस्त, 1947 को थे । कुछ शासकों को अपने निजी निवासस्थानों में मुफ्त बिजली प्राप्त करने का विशेषाधिकार प्राप्त था । यह विशेषाधिकार केवल घरेलू उपयोग के लिये था ।

(ग) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिये सेवा की शर्तें

***654. श्री अदिचन :**
श्री मेघचन्द्र :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने यह मांग की है कि समूचे देश में शिक्षकों के लिये सेवा की शर्तें समान होनी चाहिए,

(ख) क्या सरकार ने इस मांग पर विचार कर लिया है, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) : जी, हां ।

(ख) और (ग) : शिक्षकों की माध्यमिक तथा अन्य श्रेणियों की सेवा-शर्तों को निर्धारित करने के लिए प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । केन्द्रीय सरकार एक ही राज्य के सरकारी तथा गैर सरकारी प्रबन्धों के अधीन कार्य करने वाले शिक्षकों की सेवा-शर्तों में बराबरी के विचार का समर्थन अवश्य करती है पर उसकी दृष्टि में देश के विभिन्न भागों में सेवा शर्तों की समानता पर ज़ोर देना व्यावहारिक नहीं है ।

मनीपुर में कालेज अध्यापक

***655. श्री मेघचद्र :**
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने राज्य में सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों के अध्यापकों के वेतन-क्रम बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी थी,

(ख) यदि हां, तो कितनी और किस प्रकार की सहायता मांगी गई थी,

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई सहायता दी गई है, और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Hindi Version of Dehli Telephone Directory

*** 656. Shri Molahu Prasad :**
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Rabi Ray :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Communication** be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring out a Hindi Edition of the Telephone Directory in the capital ; and

(b) if so, the time by which the said edition is likely to be published ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communication (Shri I. K. Gujaral) : (a) Yes, Sir.

(b) No definite time limit can be indicated. Delhi Telephone directory is a Voluminous publication. Considerable amount of work is involved in translating and printing. Efforts are being made to publish it as early as possible.

राष्ट्रीय युवक बोर्ड

*** 658. श्री स० कुन्डू :**
श्री लषरण लाल कपूर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने समाज कल्याण बोर्ड की भांति एक स्वायत्तशासी राष्ट्रीय युवक बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की है,

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बोर्ड के गठन के लिये क्या कार्यवाही की है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) योजना आयोग ने युवक सेवा कार्यकारी दल की राष्ट्रीय युवक बोर्ड की स्थापना से सम्बन्धित सिफारिशों को शिक्षा मन्त्रालय में भेजा था ।

(ख) और (ग) सरकार ने प्रस्ताव की जांच की थी । चूंकि एक स्वतन्त्र राष्ट्रीय युवक बोर्ड की स्थापित करने में बहुत अधिक व्यय होगा, इसलिए सरकार ने इस विषय पर विचार करना फिलहाल स्थगित कर दिया है ।

राज्य सरकारों को जानकारी देना

*** 659. डा० रानेन सेन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मन्त्रालय राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हलचलों तथा कुछ वर्गों और दलों की सरकार-विरोधी गतिविधियों के बारे में राज्य सरकारों को सूचित रखते रहने के हेतु उन्हें विशेष साप्ताहिक रिपोर्टें भेजा करता था ;

(ख) क्या चौथे आम चुनावों के बाद उनका भेजना बन्द कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) राज्य सरकार को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय हलचलों के बारे में जो विशेष साप्ताहिक रिपोर्टें भेजी जाती थी, अब प्रशासनिक सुविधा के कारण उनके स्थान पर विशेष अर्द्ध मासिक रिपोर्टें भेजना आरम्भ कर दिया गया है ।

Indian School of International Studies

* **660. Shri Madhu Limaye :**
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri George Fernandes :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Mudrika Singh :
Shri Himatsingka :
Shri Rabi Ray :
Shri O. P. Tyagi :
Shri Hem Barua :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Nihal Singh :
Shri Indrajit Gupta :
Shri J. H. Patel :
Shri H. N. Mukerjee :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Vedic, a Scholar in the Indian School of International studies, in an application to the Academic Council, Indian School of International Studies had requested them to reconsider their decision on the subject of not evaluating his papers and withdrawal of his scholarship ;

(b) whether it is also a fact that he had given any assurance to Shri Vedic that he would not be penalised in any way ;

(c) whether in spite of the request made by Shri Vedic and the assurance given to him, the Governing Body has decided that he would not be admitted nor his request would be acceded to unless he tenders his apologies to the School authorities and submits an English version of his answers ; and

(d) if so, whether Government are reconsidering the question of giving grants to such an institution ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Shri Vedic had requested the School authorities to evaluate his examination papers written in Hindi, if necessary, by translating them into English. No request was made regarding the restoration of the scholarship.

(b) I gave an assurance in the Rajya Sabha on March 31, 1967 that I would take up the matter with the Board of Governors and see that the student was not penalised.

(c) The Board considered the Matter in a special meeting on April 16, 1967 and decided that if Shri Vedic expressed regret and agreed to give authenticated translation of his answer papers into English, evaluation of the papers might be considered by the Academic Council. The Council has yet to consider this recommendation of the Board.

(d) No, Sir.

दिल्ली नगर निगम की बकाया राशि

3069. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली नगर निगम की कुल कितनी बकाया राशि देनी है ;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम ने बकाया राशि को वसूल करने में सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जैसाकि दिल्ली नगर निगम ने बताया है 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाली अवधि तक सम्पत्ति कर/सर्विस चार्जीज़ के रूप में दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली नगर निगम की जनरल विंग को 28,89,-887/–रुपये देने है ।

(ख) जी हां ।

(ग) 31 मई, 1967 तक दिल्ली नगर निगम को 26,21,533/–रुपये प्राप्त हो गये हैं ।

संविधान का अनुच्छेद 18 (1)

3070. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विधि के किस संलेख के अन्तर्गत भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री जैसी उपाधियां बनाई हैं ;

(ख) क्या मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में उच्चतम् न्यायालय द्वारा हाल में दिये गये निर्णय को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार इन उपाधियों को प्रदान करने की प्रथा को या तो बन्द करने अथवा संवैधानिक तरीके से इस बारे में आवश्यक विधान लाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री उपाधियां नहीं हैं प्रत्युत् आलंकरण हैं, जिनके प्रदान करने के लिये किसी विधान की आवश्यकता नहीं है ।

(ख) और (ग) ऐसे आलंकरणों के प्रदान किये जाने से मौलिक अधिकारों तथा संविधान के किन्हीं अन्य उपबन्धों का हनन नहीं होता है ।

भोपाल में डाक निकालने तथा बांटने की व्यवस्था

3071. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि भोपाल में डाक निकालने तथा बांटने की व्यवस्था बहुत खराब है ;

(ख) यदि हां, तो ये शिकायतें क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि नई दिल्ली तथा बम्बई से एक एक्सप्रेस पत्र को भी भोपाल पहुँचने में चार पाँच दिन लग जाते हैं ।

(घ) क्या यह भी सच है कि वहां एक्सप्रेस तारें भी दो तीन दिन में पहुंचती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कारगर उपाय किये गये हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री, (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) डाक निकालने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, लेकिन पिछले तीन महीनों के दौरान डाक बांटने की 10 शिकायतें प्राप्त हुई थी।

(ख) शिकायतें डाक-वितरण में हुई देरी, डाक के वितरण न होने, और डाक गलत वितरण हो जाने के बारे में थीं।

(ग) ऐसे किसी विलम्ब की सूचना नहीं मिली है।

(घ) ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। फिर भी तार संकेतकों के 'नियमानुसार काम करो' आन्दोलन के कारण फरवरी और मार्च, 1967 के दौरान तारों के भेजने में देरी हुई थी ; किन्तु जनता को देरी की सूचना पहले ही दे दी गई थी।

(ङ) उन कर्मचारियों के विरूद्ध जिनकी गलतियों से गलत वितरण की शिकायतें हुई, उचित कार्रवाई की गई है।

विज्ञान मन्दिर

3072. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान मन्दिर स्थापित करने की योजना त्याग दी गई है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में अब तक कितने कितने विज्ञान मन्दिर स्थापित किये गये हैं तथा प्रत्येक पर कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) क्या जिस उद्देश्य से ये स्थापित किये गये थे वह पूरा हो रहा है तथा उनसे प्रति वर्ष कितनी आय होती है ?

शिक्षा मन्त्री डा० त्रिगुण सेन : (क) जी नहीं।

(ख) नीचेलिखे विभिन्न राज्यों में अभी तक 52 विज्ञान मन्दिर स्थापित किए गए हैं :—

आन्ध्र प्रदेश	4
असम	2
बिहार	4
दिल्ली	1
गुजरात	2
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू और कश्मीर	1
केरल	3
मध्य प्रदेश	2
मद्रास	6
महाराष्ट्र	1
मैसूर	8

उड़ीसा	3
पंजाब	1
राजस्थान	4
उत्तर प्रदेश	4
प० बंगाल	5
जोड़	52

प्रत्येक विज्ञान मन्दिर के लिए केन्द्रीय खर्च 16,000 रु० अनावर्ती और 12,000 रु० आवर्ती वार्षिक तक सीमित है।

(ग) विज्ञान मन्दिरों की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने तथा उनके दैनिक जीवन पर प्रभाव डालने वाली महत्वपूर्ण समस्यों से सम्बन्धित वैज्ञानिक सिद्धान्तों को और अधिक ठीक ढंग से समझने में उनकी सहायता देने के लिए की गई थी। विज्ञान मन्दिर 1963-64 से राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियन्त्रणों में कार्य कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके कार्य का कोई प्रणालीबद्ध मूल्यांकन नहीं किया गया है, यद्यपि आयोजना आयोग ने यह राय जाहिर की है कि विज्ञान मन्दिरों की उपयोगिता संदिग्ध है। मंत्रालय का उनके कार्य के बारे में पुनर्विलोकन करने का राज्य सरकारों को सुझाव देने का प्रस्ताव है।

विज्ञान मन्दिरों का उद्देश्य कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करने का नहीं था।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन केन्द्र

3073. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में डाक व तार विभाग के मध्य प्रदेश सर्किल में कितने स्वचालित टेलीफोन केन्द्र खोलने का विचार है ;

(ख) 1956 से, जब यह नया राज्य बना था, उस राज्य में कितने स्वचालित टेलीफोन केन्द्र खोले जा चुके हैं ; और

(ग) उन केन्द्रों के द्वारा कितने टेलीफोनों का नियन्त्रण किया जाता था तथा नये केन्द्रों के द्वारा कितने टेलीफोनों का नियन्त्रण किया जायेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) लगभग 90।

(ख) 89।

(ग) मौजूदा स्वचल टेलीफोन केन्द्रों से लगभग 3500। नये स्वचल टेलीफोन केन्द्रों से लगभग 12000 कनेक्शन दिये जाएंगे। किन्तु इनमें मौजूदा करचल टेलीफोन केन्द्रों से बदले गए लगभग 5000 कनेक्शन शामिल रहेंगे।

पंजाब में अभिरक्षकाधीन भूमि की बिक्री

3074. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 31 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3772 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में अभिरक्षकाधीन कुछ अतिरिक्त भूमि बिक्री के लिये पंजाब के प्रादेशिक बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपने के बजाय राज्य सरकार को बेच दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने पंजाब तथा हरियाना की राज्य सरकारों को अभिरक्षकाधीन इस अतिरिक्त भूमि को उस मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने की अनुमति दी है जिस मूल्य पर केन्द्रीय सरकार ने यह भूमि बेची थी ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकता से जो भूमि फालतू थी वे सारी की सारी एक साथ राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दी गई है ।

(ग) सारी भूमि राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर देने के बाद केन्द्रीय सरकार का इससे सम्बन्ध नहीं कि राज्य सरकार उस भूमि को किस दर से बेचती है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्मारक टिकट

3075. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़ौदा के महाराजा शाहजी राव गायकवाड़ की स्मृति में स्मारक टिकट जारी करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 1967 के दौरान ऐसा कोई डाक-टिकट जारी करने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) 1967 के दौरान महाराजा शाहजी राव गायकवाड़ के सम्मान में स्मारक डाक-टिकट जारी करने के प्रस्ताव पर डाक-टिकट संकलन सलाहकार समिति द्वारा, जो ऐसे डाक-टिकट जारी करने के प्रश्न पर सरकार को सलाह देती है, विचार किया गया था, किन्तु उसकी सिफारिश नहीं की गई ।

गुजरात में लोथाल में संग्रहालय

3076. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में लोथाल में एक संग्रहालय का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 50,000 रुपये मंजूर किये हैं ;

(ख) क्या पुरातत्व विभाग ने इस संग्रहालय का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने लोथाल में एक अतिथी-गृह (गेस्ट हाऊस) बनाया है ;

(ङ) यह संग्रहालय कब तक तैयार हो जायेगा ; और

(च) इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) 2,81, 711 रुपये की रकम मंजूर की गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) निर्माण कार्य की जिम्मेदारी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) कार्य कब पूरा होगा, यह केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करता है । हमने उन्हें कार्य की अविलम्बिता के बारे में बता दिया है ।

(च) स्वीकृत खर्च दे दिया गया है और कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है, जो इसके लिए टेंडर आमंत्रित कर चुकी है । वर्ष के दौरान, इस कार्य के लिए अपेक्षित वास्तविक रकम की व्यवस्था बजट प्राक्कलनों में कर दी गई है ।

भारतीय भाषाओं का विकास

3077. **श्री सेझियान** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न भाषाओं के प्रचार तथा विकास के लिये वर्ष 1966-67 में कितनी राशि सरकार द्वारा नियत तथा खर्च की गई और वर्ष 1967-68 के लिये कितनी राशि नियत की गई है और उसका व्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) :

	1966–67 के लिए बजट व्यवस्था (लाख रुपये में)	1966–67 की वास्तविक खर्च (लाख रुपये में)	1967–68 के लिए बजट व्यवस्था (लाख रुपये में)
1. हिन्दी	90.64	114.47	138.49
2. संस्कृत	23.92	24.14	35.22
3. अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं	10.00	8.93	6.00
जोड़	124.56	147.54	179.71

गुजरात राज्य में डाकखाने

3078. **श्री द० रा० परमार** : **श्री मालजीभाई परमार** :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन : **श्री सोमचन्द सोलंकी** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में गुजरात राज्य में कितने नये डाकखाने खोले गये ;

(ख) 1966-67 में गुजरात राज्य में कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया ;

(ग) क्या जनता ने नये डाकघर खोलने तथा वर्तमान डाकघरों का दर्जा बढ़ाने की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 58.

(ख) 21.

(ग) जी हां ।

(घ) जहां तक नये शाखा डाकघर खोलने का प्रश्न है, मौजूदा वित्तीय कठिनाइयों के कारण उन पर पाबन्दी लगा दी गई है । जहां तक उप डाकघर खोलने और शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें उप डाकघर बनाने का सम्बन्ध है, मांगों की पूर्ति की जाएगी बशर्ते कि निर्धारित मानक पूरे होते हों ।

मारगाओ में डाक व तार विभाग के स्टाफ क्वार्टर तथा इमारतें

3079. **श्री शिंकरे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पणजी, मापुका, मारगाओ तथा वासकोडीगामा के डाक व तार विभाग के कितने कर्मचारियों को 31 मार्च, 1967 तक सरकारी मकान दिये गये हैं;

(ख) उन नगरों में डाक व तार कार्यालयों की इमारतों का किराया देने में कितनी धनराशि व्यय हुई ;

(ग) क्या उन नगरों में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर तथा डाक व तार कार्यालयों के लिये इमारतें बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) पणजी में 10 को और अन्य स्थानों पर किसी को भी नहीं ।

(ख) पणजी में 2,310 रुपये प्रति मास और मारगाओ में 650 रुपए प्रति मास । अन्य स्थानों पर कोई किराया नहीं दिया जाता ।

(ग) और (घ)—इन नगरों में डाक-तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टर और डाक व तार कार्यालयों के लिए इमारतें बनाने के प्रस्ताव हैं । इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है—

( ) पणजी में टेलीफोन केन्द्र की इमारत के लिए 4,000 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण ।

(ii) पणजी में डाक-तार कोलोनी के लिए 10 एकड़ भूमि का अधिग्रहण ।

(iii) मापुका में टेलीफोन केन्द्र और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए 6500 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण।

(iv) मारगाओं में टेलीफोन केन्द्र की इमारत के निर्माण के लिए, 3,000 वर्ग मीटर भूमि का चुनाव कर लिया गया है।

(v) वासकोडीमामा में टेलीफोन केन्द्र की इमारत के निर्माण के लिए 4,000 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीफोन

3080. श्री शिंकरे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पणजी और मारगाओ एक्सचेंजों में टेलीफोन लगाने के लिये कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) इन दो नगरों में 1966-67 में कितने टेलीफोन लगाने की मंजूरी दी गई है; और

(ग) टेलीफोन देने में शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क)	पणजी	300
	मारगाओ	502
(ख)	पणजी	88
	मारगाओ	32

(ग) इस समय पणजी एक्सचेंज की 900 लाइनो की क्षमता है और चालू कनेक्शन 799 है। कुछ और कनेक्शन दिये जा रहे हैं। चूंकि मौजूदा इमारत में टेलीफोन एक्सचेंज का आगे और विस्तार करना सम्भव नहीं है, अतः एक बड़ा स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने के उद्देश्य से इमारत का निर्माण करने के लिए एक प्लाट लेने की कार्रवाई की जा रही है। फिर भी इसमें काफी समय लग जाएगा। कुछ अन्तिरिम राहत देने का प्रश्न विचाराधीन है।

मारगाओ एक्सचेंज में 300 लाइनों की क्षमता है और चालू कनेक्शन 286 हैं। एक्सचेंज में 200 लाइनों के विस्तार का काम लगभग पूरा होने की अन्तिम स्थिति में है। इस काम के पूरा होने के बाद और कनेक्शन दिये जाएंगे।

गोआ में टेलीफोन लाइनों का खराब हो जाना

3081. श्री शिंकरे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में टेलीफोन लाइनों के बार-बार खराब हो जाने तथा उससे टेलीफोन वालों को, विशेष रूप से समाचारपत्रों के मालिकों को, होने वाली असुविधा की सरकार को जानकारी है ;

(ख) क्या गोआ टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों से टेंडर भेजने वाले व्यक्तियों द्वारा घटिया सामान की सप्लाई के बारे में शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो टेलीफोन वालों की असुविधा को न्यूनतम करने तथा टेंडर भेजने वाले बेईमान व्यक्तियों को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) लाइन कई बार खराब हुई थी । फिर भी खराबियों को दूर करने की कार्रवाई तुरंत की गई । मौजूदा उपस्कर का विस्तार और आधुनिकीकरण करने की प्रायोजनाएं हाथ में हैं । इससे सेवा में काफी सुधार हो जाएगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अत्यावश्यक वस्तुओं का चोरी-छिपे पाकिस्तान ले जाया जाना

3082. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान का एक ट्रक-चालक अत्यावश्यक वस्तुओं से लदे एक ट्रक को धान के खेतों से निकालकर आसाम के ग्वालपाड़ा जिले में धुबरी के निकट पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में ले गया था जैसा कि 13 अप्रैल, 1967 के 'इन्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यह घटना सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों के सामने हुई परन्तु वे चुपचाप खड़े देखते रहे ;

(ग) क्या ऐसा कोई शक है कि उक्त पाकिस्तानी ट्रक-चालक सीमा सुरक्षा पुलिस के साथ मिलता हुआ था ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या उपाय सोचे गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) 11 अप्रैल, 1967 को गौहाटी के एक निवासी का एक ट्रक उस ट्रक के अस्थायी चालक द्वारा, जो कि पाकिस्तान का राष्ट्रजन था, ग्वालपाडा पाकिस्तान सीमा से पाकिस्तान ले जाया गया । उस ट्रक में लोहे की नालीदार चादरें तथा कुछ अन्य वस्तुयें लदी हुई थी ।

(ख) जिस स्थान पर घटना हुई है उसके आस पास सीमा सुरक्षा चौकी नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये ग्राम्य सुरक्षा दल को सक्रिय कर दिया गया है तथा सीमा सुरक्षा दल ने अधिक गश्तें लगाना आरम्भ कर दिया है । मर्मस्थलों पर सुरक्षा फाटकें लगा दी गई हैं ।

इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, कानपुर

3083. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, कानपुर के मानव ज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान विभाग द्वारा विभिन्न प्रध्यापकों तथा बुद्धिजीव लोगों को जारी किये गये गोपनीय परिपत्र की ओर दिलाया गया है जिसमें 1967 के चुनावों के बारे में सूचना तथा 1972 में होने वाले आम चुनावों के बारे में उनके विचार मांगे गये हैं ;

(ख) क्या इस परिपत्र में मांगी गई कुछ सूचना अति गोपनीय प्रकार की है और देश की संसदीय लोकतन्त्र प्रणाली के व्यापक हितों के विरूद्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) नहीं ।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

चन्डीगढ़ के एक कारखाने द्वारा आयातित सामान का तस्कर व्यापार

3084. **श्री बि० कु० मोडक :**
श्री उमानाथ :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :
श्री भगवान दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारी ट्रक नम्बर डी० एल० एल० 617 को, जिसमें आयातित कच्चा माल था, थाने ले गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह माल चोरी छिपे दिल्ली राज्य क्षेत्र में लगाया गया था ;

(ग) क्या कारखाने से चलने के बाद यह ट्रक तीन घंटे तक रोका गया था ;

(घ) यदि हां, तो इस कारखाने का नाम क्या है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि कारखाने से कच्चा माल हटाने का विरोध करने वाले कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) भारतीय दण्ड संहिता की 147,148,149,426 तथा 506 धाराओं के अन्तर्गत पूर्व चंडीगढ़ के थाने में दर्ज किये गये एक मामले में मामले की सम्पत्ति के रूप में 16 अप्रैल, 1967 को चंडीगढ़ पुलिस द्वारा ट्रक नम्बर डी० एल० एल० 617 जिसमें बिजली के मीटर, ऐनेमल तारें तथा प्रेस पेपर था, अपने कब्जे में लिया गया था ।

(ख) जी नहीं ; यह सामान मीटर्ज एण्ड इन्सट्रयूमेंट फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, चण्डीगढ़ के मालिकों द्वारा उक्त ट्रक में दिल्ली को भेजा गया था। ये मीटर पंजाब राज्य बिजली बोर्ड, शकुरबस्ती के एस० डी० ओ० के पास भेजने थे तथा एँनेमल तार और प्रेस पेपर आसफ अली रोड दिल्ली परिस्थिति कारखाने की अपनी शाखा में भेजे जाने थे।

(ग) उक्त ट्रक उसमें रखे सामान सहित 16 अप्रैल, 1967 को कारखाने के अहाते से बाहर पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया गया था तथा 18 अप्रैल, 1967 तक यह पुलिस के कब्जे में रहा और फिर इसे न्यायालय के आदेशों के अनुसार सुपारदरी पर छोड़ दिया गया।

(घ) मीटर्ज एण्ड इन्सट्रयूमैंट प्राइवेट लिमेटेड, 143 औघोगिक क्षेत्र, चण्डीगढ़।

(ङ) जी नहीं।

भारी रसायनों तथा उर्वरक उद्योगों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

3085. **श्री अनिरुद्धन :** **श्री एस्थोस :** **श्री उमानाथ :** **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री अब्राहम :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी रसायनों तथा उर्वरक उद्योगों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की प्रश्नावली के उत्तर के बारे में ज्ञापन प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख कौनसी है ;

(ख) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने अपना ज्ञापन मजूरी व बोर्ड को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो कब किया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) पहले समय-सीमा 1-11-66 थी। बाद में यह 31-12-66 तक बढ़ा दी गई। परन्तु इस तारीख के बाद प्राप्त हुए उत्तर भी स्वीकार कर लिये गये।

(ख) और (ग) : फर्टिलाइज़र कारपोरेशन आफ इन्डिया का उत्तर 22-4-67 को प्राप्त हुआ था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

3086. **श्री मधु लिमये :** **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री स० मो० बनर्जी :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी राज्य सरकारों ने अपने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का पुनरीक्षण करने का कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) पुनरीक्षण का आधार कसौटी क्या थी ;

(ग) इस पुनरीक्षण के कारण महंगाई भत्ते के रूप में कुल कितना धन व्यय हुआ ; और

(घ) इस पुनरीक्षण का 1963-64 में गुजरात और महाराष्ट्र में किये गये सूचकांकों के पुनरीक्षण से लेकर अखिल भारत सूचकांक पर क्या प्रभाव पड़ा ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) (क) चार राज्य सरकारों अर्थात् महाराष्ट्र गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और केरल ने अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की अन्तरिम सीरीज़ में शामिल किये गये केन्द्रों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में संशोधन किया है।

(ख) ये संशोधन राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समितियों द्वारा की गई सिफारिशों पर यथोचित विचार करने के बाद किये गये। संशोधन अधिकांशतः मकान किराया सूचक में समजंन और कुछ मामलों में जैसे कि कपड़े इत्यादि दूसरी मदों के भावों के कारण हुए है।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचक 1949–100 आधार पर उन 27, सीरीजों का भारित औसत है जिनमें 15 की संगणना श्रम ब्यूरो द्वारा की जाती है और 12 की संगणना राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। अभी तक 21 सीरीजों में संशोधन किये जा चुके हैं—6 राज्यों की सीरीजों में और 15 श्रम ब्यूरो की सीरीजों में इन संशोधनों के मिले जुले असर के परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय सूचकांक लगभग साढे चार अंक तक बढ़ता है।

रेलवे डाक सेवा का विभाजन

3087. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :

क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे डाक सेवा के 'क्यू' डिवीजन (मैसूर राज्य) का विभाजन करने के लिये किसी से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे डाक सेवा के "क्यू" डिवीजन का विभाजन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) मामले की जांच हो रही है।

पाकिस्तानियों द्वारा ढोर उठा ले जाना

3088. **(श्री यशपाल सिंह)** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों में आसाम पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी राष्ट्र-जनों द्वारा अवैध घुसपैठ तथा ढोरों को उठा ले जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) : जी हां, सीमावर्ती क्षेत्रों के संयुक्त खाली तथा जैनिया पहाड़ियों, गारो पहाड़ियों तथा गोलपाड़ा क्षेत्रों में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा ढ़ोरों को उठा ले जाने की घटनाओं में थोड़ी वृद्धि हुई है। संयुक्त खासी तथा जैनतिया पहाड़ी क्षेत्रों में पाकिस्तानियों द्वारा अवैध घुसपेठ की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है।

(ख) इन क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये अतिरिक्त सीमा चौकियां स्थापित की गई है और यदि आवश्यक हुआ तो और सीमा चौकियां स्थापित की जायेंगी। पाकिस्तानी अपराधियों की गति विधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

संयुक्त अरब गणराज्य के साथ परस्पर वीजा व्यवस्था समाप्त करना

3089. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त अरब गणराज्य के साथ परस्पर वीजा व्यवस्था को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : संयुक्त अरब गणराज्य तथा कुछ अन्य देशों के साथ पारस्परिक आधार पर वीजा व्यवस्था को समाप्त करने का प्रश्न विचाराधीन है।

संसद-सदस्यों के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करना

3090. **श्री मधु लिमये** : **डा० राम मनोहर लोहिया** :
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** :
श्री जार्ज फरनेन्डीज : **श्री स्वैल** :

क्या **संसद-कार्य** मंत्री संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के बारे में 23 मार्च, 1967 को विधि मंत्री द्वारा सभा में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के प्रस्ताव तैयार करने हेतु विरोधी पक्ष के नेताओं, सविधान सम्बन्धी विषयों के वकीलों और विधिवेत्ताओं में इस बीच परामर्श कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है ।

Food Gifts From Foreign Countries

3091. Shri Kanwar Lal Gupta Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that milk powder has been received from foreign countries for free distribution to the poor children of Delhi and other cities;

(b) if so, whether the milk powder was converted into milk and sold; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (c) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Cheating of Delhi Students

3092. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Madhu Limaye :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 117 on the 29th March, 1967 and state :

(a) whether full enquiry into the cheating of Delhi Students by certain private institutions has since been completed;

(b) if so, the findings thereof; and

(c) the steps taken to prevent such practices ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) No, Sir. According to the information received from the Delhi Administration, the enquiry is still in progress. But it is learnt that 45 complaints have so far been received by the Police. In one complaint the numberof signatories is 12 and in another 10. The total number of complainants thus comes to 65. The number of cases registered at different Police Stations in Delhi is six and the number of persons arrested so far three.

(b) and (c) Do not arise.

U. S. Labour Secretary's Discussions with The Union Labour Minister

3093. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Labour and Employment Secretary of U. S. A. had a discussion with him on the 7th December, 1966;

(b) if so, the subjects discussed and decisions taken thereat ; and

(c) the time by which the decisions are likely to be implemented ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Yes, Labour Secretary of U. S. A. made a Courtesy Call on the then Minister of Labour, Employment and Rehabilitation on the 6th December, 1966.

(b) The conversation was of an informal nature and no specific subjects were discussed nor any decisions taken.

(c) Does not arise.

Calcutta Dock Workers

3094. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 583-A on the 30th **November, 1966 and state :**

(a) whether the enquiry which was being conducted into the extent of loss caused by the strike by Calcutta Dock Workers has since been completed;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any increase has been affected in the wages and allowances of the employees; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) No such enquiry is being conducted.

(b) Does not arise.

(c) Yes.

(d) Does not arise.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का कार्य-संचालन

3095. **श्री यशपाल सिंह : श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री स० चं० सामन्त : श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्य-संचालन सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केन्द्र और प्रकाशन तथा सूचना निदेशालय के एकीकरण के सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(ख) रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है।

Delhi District Courts

3096. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to divide District Courts in Delhi into three parts with a view to providing relief to the people coming from remote places; and

(b) if so, the time by which the decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A proposal for dividing the existing Delhi District into three zones for purposes of judicial administration with a view to promote expeditious and smooth administration of justice in Delhi has been received by the Delhi Administration from the Delhi High Court and is under consideration.

(b) As the details of the proposal, including the financial aspects are being examined, no definite time limit can be laid down for a decision in the matter.

Explosion in Colliery in Goa

3097. **Shri Jagannath Rao Joshi** :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred No, 611 on the 5th April, 1967 and state :

(a) whether the enquiry into the cause of explosion in a colliery in Goa has been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, how much more time is likely to be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) The inquiry has been completed. The magazine was being cleaned on 22-3-67 Some workers were engaged in emptying boxes of waste nitro-glycerine outside the magazine. It is possible that a worker might have thrown a box near the magazine. Nitro glycerine is highly explosive and it is possible that an explosion was caused by such careless handling of boxes, or by the workers walking about with shoes having nails on the soles. There were two explosions, the first of a lesser intensity than the second. None of the eyewitnesses who took part in the cleaning operation is alive.

M. O. Service to Bhutan

3098. **Shri Bibhuti Mishra** :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Communication** be pleased to state whether it is a fact that money order service has been introduced between Bhutan and India with effect from the 21st April, 1967 ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) - Yes. The agreement was concluded on 21-4-1967 but the money order service was effective from 1-5-67.

'कोमेक्स' की अगस्त, 1967 में भारत यात्रा

3099. श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री शारदानन्द :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कोमेक्स' नामक राष्ट्रमंडलीय देशों का संगठन अगस्त, 1967 में किसी समय भारत आयेगा;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन का कार्यक्षेत्र क्या होगा;

(ग) क्या यह किसी विशिष्ट देश द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है; और

(घ) भारत सरकार इस संगठन की भारत यात्रा के दौरान होने वाले व्यय का कितना अंश वहन करेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) यह एक गैर-सरकारी संगठन है और इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रमंडल का प्रचार करना तथा राष्ट्रमंडलीय युवकों में साहसिक कार्य की भावना जागृत करना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) कुछ नहीं।

दिल्ली में पोलीटेकनिक

3100. श्री शारदानन्द :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रणजीत सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में और अधिक पोलीटेकनिक खोलने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में नया उच्चतर माध्यमिक बोर्ड

3101. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री धीरेन्द्र नाथ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के लिये एक नया बोर्ड बनाने का प्रस्ताव अब किस अवस्था में है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : दिल्ली संघ क्षेत्र के लिए अलग से एक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाने का प्रस्ताव प्रारम्भिक अवस्था में है ।

गोआ में स्कूल

3102. श्री शिंकरे : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ के स्वाधीन होने के बाद वहां सरकारी तथा गैर-सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं तथा हाई स्कूलों में क्रमशः छात्रों की संख्या कितनी है;

(ख) उन प्राथमिक स्कूलों तथा हाई स्कूलों में ऐसे छात्रों की संख्या कितनी-कितनी है जिन्होंने मराठी भाषा तथा कोंकणी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में चुना है; और

(ग) क्या वहां की सरकार ने मराठी के माध्यम वाले तथा कोंकणी के माध्यम वाले हाई स्कूल खोलने के बारे में कोई योजना अन्तिम रूप में तैयार की है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विधायकों के लिये संहिता

3103. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधायकों के लिये संहिता अन्तिम रूप में तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) उसे लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) संहिता का एक प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसकी एक प्रति 21 मार्च, 1967 को लोक सभा के सभा पटल पर रखी गई थी । विभिन्न राजनीतिक दलों तथा संसद के विभिन्न दलों की बैठक में विचार विमर्श करने के बाद एवं राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद इस संहिता को अन्तिम रूप देने का विचार है ।

भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति

3104. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या आपात् की स्थिति हटाये जाने के पश्चात् भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों को नजरबन्द रखने में कुछ कानूनी कठिनाइयां पैदा होंगी क्योंकि निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें अधिक देर तक नजरबन्द नहीं रखा जा सकता;

(ख) यदि हां, तो कैसी और क्या कठिनाइयां उत्पन्न होने की संभावना है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) भारत सुरक्षा अधिनियम तथा निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को नजरबन्द रखने की कानूनी आवश्यकतायें भिन्न-भिन्न हैं। पहले अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को तुरन्त एवं अधिक समय तक नज़रबन्द रखा जा सकता है। कानूनी आवश्यकताओं की भिन्नता को वैधानिक तौर पर "कठिनाई" की संज्ञा नहीं दी जा सकती।

पेट्रोलियम तेल कम्पनियों और उनके कर्मचारियों के बीच विवाद

3105. श्री राममूर्ति :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम तेल कम्पनियों और उनके कर्मचारियों के बीच विधमान विवाद के बारे में जांच करने के लिये एक जांच न्यायालय नियुक्त करने को सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसमें अपने सदस्य नियुक्त कर दिये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक उन लोगों को नामांकित किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) सारे मामले की छानबीन करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत एक जांच आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया गया है। व्यक्तियों के नाम और आयोग के विचारार्थ विषयों की घोषणा यथा-शीघ्र कर दी जायेगी।

तार इन्जीनियरी विभाग के कर्मचारी

3106. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तार इंजीनियरी विभाग के कुछ कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई है क्योंकि वे स्थायीकरण परीक्षाओं में 4 वर्षों में तथा 6 बार बैठकर भी उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) उनकी नौकरी की समाप्ति के समय उनका सेवा काल कितना था;

(घ) क्या इन कर्मचारियों की नियुक्ति समय-मान के आधार पर की गई थी न कि किसी निश्चित अवधि के लिए;

(ङ) क्या डाक-तार नियम पुस्तक, खण्ड 4 के परिशिष्ट 17 की कंडिका 12 के अनुसार समय-मान के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवायें समाप्त नहीं की जा सकतीं;

(च) क्या इन कर्मचारियों ने अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली थी;

(छ) क्या उनकी देय वेतन वृद्धि भी की गई थी ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां। इन्जीनियरी डिवीजन क्लर्कों को अपनी नियुक्ति के चार वर्ष के भीतर स्थायीकरण परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है और इस अवधि में वे छः बार परीक्षा में बैठ सकते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते उन्हें क्लर्क-संवर्ग में नहीं रखा जाता। उन्हें नीचे के संवर्ग में नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाता है और यदि वे उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं।

(ख) लगभग 30।

(ग) लगभग 4 से 7 वर्ष तक।

(घ) जी हाँ, उन्हें प्रारम्भ में अस्थायी रूप से समय-मान में नियुक्त किया गया था।

(ङ) समय-मान क्लर्कों को परिवीक्षा पर नियुक्त नहीं किया जाता जैसा कि डाक-तार नियम पुस्तक खण्ड IV के परिशिष्ट 17 के नियम 12 में निर्दिष्ट है। वे अस्थाया रूप से नियुक्त किये जाते हैं और उन्हें उपर्युक्त अवधि के भीतर स्थायीकरण परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है। यदि वे परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते तो उन्हें क्लर्क के रूप में नहीं रखा जाता। यदि ये कर्मचारी नीचे के संवर्ग में नियुक्ति पाने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती है।

(च) ऊपर (ङ) में दिये गए उत्तर के आधार पर प्रश्न ही नहीं उठता।

(छ) जी, हां।

नागालैंड में तैनात एम० एस० पी० III बटालियन को तोड़ना

3107. श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :
श्री अदिचन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागालैंड में तैनात एम० एस० पी० III बटालियन को तोड़ने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस तोड़ दी जाने वाली बटालियन के लोग केन्द्रीय आरक्षित पुलिस में नौकरी करने के इच्छुक नहीं हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां। तोड़ी गई बटालियन का इस बीच केन्द्रीय आरक्षित पुलिस में विलय कर दिया गया है।

(ख) यह बटालियन केन्द्र के खर्च से तथा केन्द्र की ओर से राज्य सरकार द्वारा खड़ी की गई थी तथा पुनर्गठन करने के लिये इसे केन्द्रीय आरक्षित पुलिस में शामिल कर दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय आरक्षित पुलिस में नौकरी करने की अधिकांश व्यक्तियों ने इच्छा व्यक्त की है। अन्य व्यक्तियों के बारे में जो केन्द्रीय आरक्षित पुलिस में नौकरी करना नहीं चाहते, राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि उनके स्थान पर वह ऐसे व्यक्ति अपनी पुलिस से दे, जो केन्द्रीय आरक्षित पुलिस में नौकरी करने को सहमत हैं।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार

3108. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1967 तक उड़ीसा के विभिन्न रोजगार दिलाऊ दफ्तरों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवारों के नाम दर्ज थे; और

(ख) उनमें से कितने उम्मीदवारों को अप्रैल, 1967 के अन्त तक रोजगार दिलाया गया ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में अर्धवार्षिक जानकारी छः माह के अन्तर से जून और दिसम्बर माह के बारे में इकट्ठी की जाती है। नवीनतम आंकड़े नीचे दिए गये हैं।

वर्गीकरण	31–12–1966 तक चालू रजिस्टर में दर्ज नाम	जनवरी–दिसम्बर, 1966 के बीच नियुक्ति सहायता पाने वाले।
अनुसूचित जाति	6,473	1,899
अनुसूचित आदिम जाति	8,294	1,625

राज्य के तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में जांच

3109. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष पुलिस संस्थान, पुरी शाखा ने 1966–67 में उड़ीसा में राज्य के तथा केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की; और

(ख) उक्त अवधि में कितने मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और कितनों में दण्ड दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) विशेष पुलिस संस्थान की शाखा ने, जो कि अब भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा राज्य में वर्ष 1966 में और जनवरी से मई, 1967 तक की अवधि में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध 115 जांच तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध एक जांच आरम्भ की थी।

(ख) राज्य सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई जांच के पूरी हो जाने पर न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध 115 मामलों में से 5 मामलों में विभागीय सजायें दी गई है तथा एक मामले में न्यायालय द्वारा दण्ड दिया गया है। शेष मामले विभिन्न अवस्थाओं में अनिर्णीत पड़े हैं।

स्कूलों और कालेजों में श्रोतशालाओं (आडिटोरियम) का निर्माण

3110. श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विभिन्न स्कूलों और कालेजों में श्रोतशालाओं (आडिटोरियम) बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने 1966–67 में कितनी राशि दी थी; और

(ख) इस काम के लिये 1967–68 में उस राज्य को कितनी राशि देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 5,000 रु०

(ख) उड़ीसा में स्वीकृत चार प्रायोजनाओं के लिए अभी तक दिए गए 2479 रु० के अलावा, 20,624 रु० अभी किश्तों में दिए जाने शेष हैं। निर्धारित शर्तें पूरी होते ही यह रकम अदा कर दी जाएगी।

उड़ीसा में कनिष्ठ तकनीकी स्कूल

3111. श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967–68 में उड़ीसा में कोई कनिष्ठ तकनीकी स्कूल खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कार्मिक संघ

3112. श्री वासुदेवन नायर : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी श्रम समिति ने हाल में हुई अपनी बैठक में कार्मिक संघों को गुप्त मतदान द्वारा मान्यता देने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) बैठक में गुप्त मतदान द्वारा मान्यता देने के पक्ष और विपक्ष में विचार व्यक्त किये गये थे, परन्तु इस विषय पर समिति ने कोई निर्णय नहीं किया ।

दिल्ली प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी

3113. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने सरकार से केन्द्रीय जांच विभाग की इस सिफारिश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है कि उन कुछ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चलाये जायें जो कुछ समय पहले तक दिल्ली प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर थे; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) ऐसा कोई मामला नहीं है । तथापि एक अधिकारी के मामले में, जो 18 जनवरी, 1963 तक प्रतिनियुक्ति पर था और बाद में जिसे दिल्ली प्रशासन ने अपने यहां स्थायी रूप से रख लिया था, केन्द्रीय जांच विभाग ने उस पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी । दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को कहा है कि यह मुकदमा चलाये जाने योग्य मामला नहीं है । केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह की प्रतीक्षा है ।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले हिन्दू

3114. श्री बाबूराव पटेल : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 से 31 मार्च, 1967 तक पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल आने वाले हिन्दुओं की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने इस सामूहिक आगमन को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है;

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने इन शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिये कितना धन व्यय किया; और

(ङ) अभी तक कितने शरणार्थियों को बसाया जाना शेष है तथा इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) पहली जनवरी, 1964 से 31 मार्च, 1967 तक 4,97,798 व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल आये ।

(ख) पूर्व पाकिस्तान में गम्भीर साम्प्रदायिक दंगे, जो जनवरी, 1964 में हुये तथा जिसने उस देश में अल्प संख्यक समुदाय के लोगों में संकट तथा असुरक्षा की भावना को पैदा कर दिया, लोगों के इतनी बड़ी संख्या में आने के कारण बने।

(ग) भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के बारे में पाकिस्तान सरकार से बार-बार प्रतिवेदन किया तथा नेहरू-लियाकत समझौते के अन्तर्गत, जिसके अनुसार अपने अल्प संख्यकों की सुरक्षा, पूर्ण स्वतंत्रता तथा अधिकारों की समानता की उनकी जुम्मेदारी है, उनके दायित्व के बारे में स्मरण दिलाया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान सरकार ने अपने कर्तव्य के विपरीत प्रव्रजकों की स्थिति सुधारने के लिये बहुत थोड़ा कार्य किया है।

(घ) तथा (ङ) क्योंकि नये विस्थापित व्यक्तियों की बहुत बड़ी संख्या को पश्चिमी बंगाल में बसाने के लिये अन्य साधन नहीं थे। 1964 में यह निर्णय किया गया कि पश्चिमी बंगाल में आने वाले नये प्रव्रजकों को राज्य से बाहर बसाया जाय, इसलिये पश्चिम बंगाल सरकार को नये प्रव्रजकों को बसाने के कार्य को करने की जरूरत नहीं पड़ी।

लगभग 2,11,170 विस्थापित व्यक्तियों ने, जो पश्चिम बंगाल में आये थे, पश्चिम बंगाल से अन्यत्र बसना मंजूर कर लिया है तथा फिर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा बिहार आदि में कार्यान्वित हो रहे पुनर्वास कार्यक्रमों के अन्तर्गत पुनर्वास सहायता प्राप्त की है।

इन कारणों के फलस्वरूप, उन नये प्रव्रजकों को, जिन्होंने पश्चिम बंगाल से अन्यत्र जाना अस्वीकार कर दिया, पश्चिम बंगाल में पुनर्वास सहायता नहीं दी जा सकी। उन परिवारों में से जिन्होंने पश्चिम बंगाल से अन्यत्र सहायता तथा पुनर्वास स्वीकार किया लगभग 65,615 विस्थापित व्यत्ति (14,235 परिवार) अभी विभिन्न शिविरों में हैं और उनके पुनर्वास के लिये राज्य सरकारों तथा उनकी सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं।

भूमि पर पुनर्व्यवस्थापन कार्यक्रम की प्रगति, राज्य सरकारों द्वारा उचित भूमि रिहाई, भूमि उद्धार कार्य में प्रगति तथा मूल आवश्यकताओं की व्यवस्था जैसे कारणों पर आधारित है। जैसे जैसे जंगली भूमि का उद्धार होता जायगा तथा मूल आवश्यकतायें उपलब्ध होती जायेंगी प्रव्रजकों को शिविरों से पुनर्वास स्थलों पर ले जाया जायगा। जहां तक गैर-कृषक परिवारों का सम्बन्ध है उन्हें प्रशिक्षण तथा आर्थिक सहायता देने की योजनायें तैयार कर ली गई है और इन योजनाओं के अन्तर्गत शैक्षणिक योग्यता पूर्व अनुभव तथा रुचि आदि की उचित सत्यापन के बाद सहायता दी जाती है।

उड़ीसा राज्य संग्रहालय के लिये अनुदान

3115. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी योजना में भुवनेश्वर में स्थित उड़ीसा राज्य संग्रहालय के लिये अनुदान के रूप में कोई सहायता दी है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य संग्रहालय को उसके अग्रेतर विकास के लिये अनुदान देने का है और यदि हां, तो कितनी राशि का; और

(ग) उड़ीसा राज्य संग्रहालय के अग्रेतर विकास के लिये प्राप्त हुई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा राज्य संग्रहालय अग्रेतर विकास के लिये उसकी प्रार्थना पर चौथी योजना के अन्तर्गत अन्तिम नियतन किये जाते ही विधिवत विचार किया जायेगा ।

(ग) योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

(एक)	वर्तमान इमारतों का अल्प विस्तार और मरम्मत	2,30,000 रुपए
(दो)	उपकरण	2,85,200 रुपए
(तीन)	प्रकाशन	1,15,000 रुपए
(चार)	कर्मचारियों का प्रशिक्षण	50,500 रुपए
(पांच)	पुस्तकालय	20,000 रुपए
(छः)	प्रयोगशाला	8,000 रुपए
(सात)	विविध	
	(क) संग्रहालय शिविर	4,000 रुपए
	(ख) शिक्षा सेवा	24,000 रुपए
	(ग) चलती-फिरती प्रदर्शनी	3,000 रुपए
		7,39,700 रुपए

हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय के लिये नई इमारत

3116. श्री मोहसिन :
श्री अगाड़ी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में सालारजंग संग्रहालय के लिए एक नई इमारत बनाने का विचार है; और यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) क्या इमारत का निर्माण हो रहा है और यदि हां, तो इसके निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है तथा कब तक इसके पूर्ण हो जाने की आशा है; और

(ग) प्राक्कलन कब तैयार किये गये थे और निर्माण कार्य में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) 40.44 लाख रुपये (जमीन के मूल्य और लोक निर्माण विभाग की सेटेज फीस के अलावा) की अनुमानित लागत से, सालार जंग संग्रहालय के लिए एक नये भवन का निर्माण किया जा रहा है ।

(ख) नये भवन की पहली और दूसरी मंजिलें पूरी तरह से तैयार हो गई हैं और उसको 1 जुलाई, 1966 तक संग्रहालय से सुपुर्द किए जाने की संभावना है। बाकी तीसरी और चौथी मंजिलों के सितम्बर, 1967 के अन्त तक पूरी तरह से तैयार होने की सम्भावना है।

(ग) यद्यपि सालार जंग संग्रहालय बोर्ड ने संग्रहालय के नये भवन के तखमीने 3 दिस्म्बर, 1961 को अनुमोदित कर दिये थे, किन्तु निर्माण कार्य जून, 62 में शुरू किया गया था। जिन प्रमुख कारणों से निर्माण कार्य में देरी हुई, वे नीचे दिए जाते हैं :—

(एक) संग्रहालय की इमारत के लिए जरुरी अतिरिक्त जमीन प्राप्त करने की औपचारिकताएं पूरी करने में लगने वाला समय।

(दो) संग्रहालय विशारदों और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के और राज्य लोक निर्माण विभाग के विशेषज्ञ इंजीनियरों द्वारा इमारत के नक्शों और तखमीनों का पुनरीक्षण जिसके फलस्वरुप नक्शों और तखमीनों में परिवर्तन करना पड़ा।

(तीन) मूल तखमीनों की जगह लागत बढ़ जाने के कारण निर्माण की अतिरिक्त लागत का हिस्सा बांटने के लिए सहमत होने में केन्द्रीय और राज्य सरकारों को समय लगा।

भुवनेश्वर के बड़े डाकघर में चौथी श्रेणी के कर्मचारी

3117. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर के बड़े डाकघर में इस समय चौथी श्रेणी के कितने कर्मचारी हैं;

(ख) 1964 में उस डाकघर में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी; और

(ग) उस डाकघर में 1964 से चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति न की जाने के क्या कारण हैं ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) कर्मचारियों की मंजूर संख्या—21

(ख) कर्मचारियों की मंजूर संख्या—17

(ग) भुवनेश्वर के बड़े डाकघर में पिछली बार 1964 में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की गई थी जबकि भुवनेश्वर के बड़े डाकघर के लिए दो उम्मीदवार नियत किये गए थे। आगे भर्ती इस कारण से नहीं की गई, क्योंकि रिक्त-स्थानों को कुछ चौथी श्रेणी के कर्मचारियों अर्थात् हरकारों के लिए, जिन्हें कुछेक हरकारा-लाइनों का डाक-मोटर लाइनों में होने वाले प्रस्तावित परिवर्तन के कारण फालतू समझे जाने की आशा थी, आरक्षित रखा गया था।

उत्तर प्रदेश में प्रकाशकों को सहायता

3118. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965-66 और 1966-67 में उत्तर प्रदेश में प्रकाशकों मुद्रकों तथा पुस्तक विक्रेताओं को

सामाजिक, शिक्षा साहित्य तथा नव साक्षरों के लिये उपयोगी साहित्य के क्षेत्र में सहायता दी गई ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : समाज शिक्षा, साहित्य तथा नव-साक्षरों के साहित्य के लिए प्रकाशकों, मुद्रकों और पुस्तक-विक्रेताओं को वित्तीय मदद देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। सभी प्रादेशिक भाषाओं में नव-साक्षरों के लिए प्रकाशित पुस्तकों के लिए एक पुरस्कार-योजना है, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में प्रकाशित कुछ पुस्तकों को पुरुस्कार मिला था और उनकी प्रतियां खरीदी गई थीं। इसके अलावा मेसर्स हिन्दी विश्व भारती, लखनऊ को हिन्दी विश्वकोष के प्रकाशन के लिए 1966-67 के दौरान, अन्तिम निपटारे के रुप में रु० 10,110,71 की रकम दी गई थी।

Autonomy for Jammu

3119. **Skri Sidheshwar Prasad :**
Shri Sashi Ranjan :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Meetha Lal :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have received a memorandum from the citizens of Jammu wherein they have demanded autonomy for Jammu;

(b) if so, the main contents of the memorandum; and

(c) the decision taken in regard thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) Government have received latters enclosing a statement by some citizens of Jammu supporting a demand for autonomy for Jammu within framework of the State of Jammu and **Kashmir.**

(c) Government have no such proposal under consideration.

दिल्ली में हत्याएं

3120. **श्री इसहाक साम्भली :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 में दिल्ली राज्य में कितनी हत्यायें की गई;

(ख) ऐसे कितने मामलों में अपराधियों का पता लगाया गया और उनके विरुद्ध मुकदमे चलाए गये;

(ग) कितने मामलों में सजा दी गई और कितने मामलों में मृत्यु दन्ड दिया गया; और

(घ) ऐसे अपराधों की संख्या में कमी करने के लिये यदि सरकार ने कोई कार्यवाही करने का विचार किया है, तो क्या ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वर्ष 1966 में दिल्ली संघ राजक्षेत्र में पुलिस को हत्या के 75 मामलों की सूचना दी गई।

(ख) हत्या के 46 मामलों में हत्यारे पकड़ लिये गये और उनका चालान किया गया।

(ग) 13 मामलों में अभियुक्तों को सजा मिली और इनमें 9 मामलों में मृत्यु दण्ड दिया गया।

(घ) किसी भी प्रकार का अपराध किये जाने पर बराबर निगरानी रखने के अतिरिक्त जब भी दो पक्षों के बीच पुरानी शत्रुता का पता चलता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की निवारक धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

Telephones for Villages having High Schools and Colleges

3121. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Communication** be pleased to state :

(a) whether it is the policy of Government to give priority in the matter of providing Telephones to the villages having High Schools and Colleges; and

(b) the other concessions given to these institutions for providing telephones ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) Telephone connections to the public institutions like schools, colleges etc. are provided on priority. No other concessions are given to such public institutions.

Telephones for Police Stations in Villages

3122. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Communications** be pleased to state;

(a) the time by which the schemes of connecting Police Stations in villages by telephones would be comp'eted; and

(b) the number of Police Stations in Meerut District of Uttar Pradesh whose demand for providing telephones has not been met so far ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) There is no scheme to connect all police stations in villages by telephones.

(b) Two.

Meerut-Baraut Direct Telephone Line

3123 Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to connect Meerut (U.P) with Baraut, a town in Meerut District, by direct telephone line ;

(b) whether Baraut is quite close to Meerut via Rohta, Barnawa and Vinauli and whether his route covers many schools, colleges and police stations and also whether the authorities at Meerut had made the above proposal on the completion of Meerut Baraut direct road; and

(c) if so, the reasons for not taking any dec'sion so far ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I .K. Gujral) : (a) A direct telephone circuit has been provided in April 1967 between Meerut and Baraut by using available trunk lines via Muzaffarnagar.

(b) Yes, Sir. Baraut is 56 Kms from Meerut on the direct rord. A proposal was received by the Postmaster General. Lucknow from Meerut suggesting construction of a new telephone line on the new road.

(c) The requirement of a direct trunk circuit, Baraut to Meerut having been met by utilisation of existing trunk lines, the proposal for a new trunk line along the road connecting the same two stations has not been sanctioned.

लक्कदीव प्रशासन में विपरण अधिकारी (मार्केटिंग आफिसर)

3124. **श्री प० मु० सैयद :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्कदीव, मिनिकाय तथा अमीनदीव द्वीपसमूह प्रशासन में कितने विपरण अधिकारी हैं ;

(ख) सरकार ने विपरण अधिकारी के पद के लिए शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य अर्हतायें क्या निर्धारित की हैं तथा इन पदों पर इस समय जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनकी योग्यतायें क्या हैं ; और

(ग) इन पदों पर काम करने वाले अनर्ह व्यक्ति-कितने समय से तथा किन कारणों से नियुक्त हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : संभरण और विपरण अधिकारियों के दो पद हैं और सहकारिता अधिकारियों (विपरण) के दो पद हैं।

(ख) और (ग) : इन पदों के लिये निर्धारित शिक्षा तथा अन्य अर्हताएं दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये एल०टी०725/67]**

ये अर्हताएं इन पदों पर पदोन्नत किये गये अथवा स्थानान्तरित किये गये व्यक्तियों पर लागू नहीं होती हैं। सम्भरण और विपरण अधिकारियों के पद पर इस समय काम करने वाले व्यक्ति मैट्रिक उत्तीर्ण हैं और उन्हें विपरण तथा समाहार में अपेक्षित अनुभव प्राप्त है। सहकारिता अधिकारियों (विपरण) के पदों पर काम इस समय करने वाले व्यक्ति भी मैट्रिक उत्तीर्ण हैं और उन्हें सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, मद्रास सहकारी विपरण में प्रशिक्षण भी दिया गया है। नवम्बर, 1964 में संभरण और विपरण अधिकारी के एक पद को इस पद के लिये भर्ती के निर्धारित पद्धति में छूट देकर प्रचार अधिकारी के पद पर काम करने वाले व्यक्ति का तबादला करके भरा गया था। यह तबादला लोक हित (पब्लिक इन्ट्रेस्ट) में किया गया था क्योंकि उस समय पदोन्नति अथवा तबादले द्वारा इस रिक्त स्थान को भरने के लिये कोई अन्य उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं था।

अन्दमान द्वीप में पुलिस की द्रुतगामी नावों का दुरुपयोग

3125. **श्री गणेश :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान के समुद्र में सुरक्षा कार्यों के निमित्त रखी गई पुलिस की द्रुतगामी नावों का अधिकारियों के दौरों के लिये दुरुपयोग किया जाता है ;

(ख) 1960 से 1967 तक की अवधि में पुलिस की इन दो नावों में कितनी यात्राएं की गई तथा प्रत्येक यात्रा किस उद्देश्य से की गई, प्रत्येक यात्रा में कितने और कौन कौन अधिकारी गये तथा उन पर कुल कितना धन व्यय हुआ ;

(ग) क्या यह सच है कि 20 से 23 अप्रैल, 1967 के बीच कार निकोबार की यात्रा पर पुलिस की एक नाव ठीक उसी समय गई जब एम० व्ही० येरवा दक्षिणी द्वीप समूह की अपनी यात्रा पर चली थी ; और

(घ) यदि हां, तो पुलिस की नाव की इस विशेष यात्रा पर कितना धन खर्च हुआ और इस यात्रा के करने के क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अन्दमान और निकोबार प्रशासन के अधीन दो पुलिस नावें हैं, अर्थात् एम० वी० 'जवाहर' और एम० वी० 'सुभाष'। इन नावों को सुरक्षा, कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर जल प्रांगण में गश्त लगाने के लिये प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार गश्त के दौरान पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की अनुमति से इन नावों को पुलिस अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिकृत किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सरकारी यात्रा के लिये अथवा पुलिस कर्मचारियों के सरकारी सामान अथवा राशन ले जाने के लिये प्रयोग किया जा सकता है।

(ख) वर्ष 1966-67 में अर्थात् अप्रैल, 1966 और 31 मार्च, 1967 के बीच इन दो नावों ने कुल 45 चक्कर लगाये। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 726/67]**। 1966-67 में कुल व्यय 4,28,438 रुपये और 43 पैसे हुआ। इसमें केवल परिचालन और साधारण व्यय शामिल है, जैसे ईंधन, इंजन का तेल, मरम्मत का खर्च, फालतू पुर्जे आदि, और वेतन स्थापना जैसे कर्मचारियों का वेतन, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, यूनिफार्म का मूल्य आदि शामिल नहीं हैं।

(ग) जी, हां।

(ख) इस यात्रा पर लगभग 5,619 रुपये और 15 पैसे खर्च हुए। यह यात्रा इसलिये आवश्यक थी कि हार्बर मास्टर को कुछ अविलम्बनीय सरकारी कार्य के लिये कार निकोबार जाना और पोर्ट ब्लेयर वापस आना था। "देखा" अन्तर्द्वीपीय संचार के लिए नौका सेना प्रदान करती है और अधिकारी अपने अविलम्बनीय कार्य के लिये इसके कार्यक्रम में परिवर्तन नहीं कर सकते।

पहली व दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय सचिवालय सेवायें

3126. श्री म० ला० सोंधी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं की (पहली व दूसरी श्रेणी के अधिकारियों की) भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्या की जाती है जिससे लाभ उठाने वाले विभिन्न व्यक्तियों के हितों पर कई बार प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन नियमों को पुनः बताने का है ताकि उनमें किसी प्रकार की अस्पष्टता न रहे ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि सदस्य के मस्तिष्क में कोई विशेष नियमों की व्याख्या है अथवा "केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं" की व्याख्या है। यदि पहली बात है तो संभवतः वे केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम 1962 के बारे में उल्लेख कर रहे हैं। इन नियमों के उपबन्धों की भिन्न-भिन्न व्याख्या की जाने का कोई भी मामला ध्यान में नहीं आया है। तथापि यदि केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं शब्दों की व्याख्या के बारे में संशय है, तो स्थिति यह है कि इन शब्दों में सर्वदा केवल तीन केन्द्रीय सचिवालय सेवाएं की अर्थात् (1) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, (2) केन्द्रीय सचिवालय आंशुलिपिक सेवा और (3) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक (क्लेरीकल) सेवा जो तृतीय श्रेणी की सेवा है, शामिल होती हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर भारत में भयंकर तूफान

3127. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के उत्तरी भाग विशेषतः पश्चिम बंगाल, आसाम उड़ीसा, बिहार, तथा उत्तर प्रदेश में हाल ही में चक्रवात आंधी तथा तूफानों के कारण बहुत से लोग बेघर हो गये थे और कुछ व्यक्ति मर भी गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति, राज्यवार, मरे और कितने लोग बेघर हो गये ;

(ग) इसके परिणाम स्वरूप कितना नुकसान हुआ ; और

(घ) इस दैवी प्रकोप से पीड़ित व्यक्तियों को क्या सहायता दी गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के. एस. रामास्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों में प्राप्त जानकारी का विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 727/67**]

उत्तर प्रदेश की संस्कृत संस्थाओं को सहायता

3128. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1966–67 में उत्तर प्रदेश की स्वयं सेवी संस्थाओं को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में जिन संस्थाओं को यह सहायता दी गई उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) 1967–68 में उत्तर प्रदेश की इन स्वयं सेवी संस्थाओं को इस कार्य के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) 3.17 लाख रुपये ।

(ख) विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 728/67**]

(ग) अग्रिम रूप से कोई राज्य वार नियतन नहीं किया जाता है । संस्कृत के प्रसार के लिये स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों संस्थाओं और पाठशालाओं को सहायता देने की इस मंत्रालय की योजना के अधीन आवेदन-पत्र प्रत्येक वर्ष आमंत्रित किये जाते हैं और अनुदान उनके द्वारा कार्यान्वित किये जाने के लिए प्रस्तावित प्रायोजनाओं के गुणावगुणों को देखते हुए स्वीकृत किए जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोनों का दिया जाना

3129. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या संचार-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 अप्रेल, 1967 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों में टेलीफोन के लिये कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत थे; और

(ख) टेलीफोन शीघ्र देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री : (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) उत्तर प्रदेश के विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों में अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या 31 मार्च, 1967 को लगभग 25,000 थी । 30 अप्रेल, 1967 की सूचना फिलहाल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन देने के लिए साधन उपलब्ध होने पर नये टेलीफोन केन्द्र खोलने, मौजूदा टेलीफोन केन्द्रों का विस्तार करने और जमीन के नीचे केबल बिछाने के प्रयत्न लगातार किये जा रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश में पुस्तकालय

3130. **श्री विश्वनाथ पान्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1966-67 में उत्तर प्रदेश राज्य के जिन सार्वजनिक पुस्तकालयों और स्कूलों तथा कालेजों के पुस्तकालयों को केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मिली है, उनके नाम क्या हैं; और

(ख) वर्ष 1967-68 में इसी प्रयोजन के हेतु कितनी राशि देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) (क) 1966-67 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित पुस्तकालयों को अनुदान दिये गये थे :-

1. मातृ मन्दिर कन्या संस्कृत पाठशाला, रामपुरा, वाराणसी ।
2. श्रीनाथ आदर्श संस्कृत पाठशाला, फैजाबाद ।
3. गंगानाथ झा अनुसंधान संस्था, इलाहाबाद ।
4. आदर्श श्री भारतीय विद्यालय, खेता सराय, जौनपुर ।
5. श्री सम्पूर्णानन्द संस्कृत विद्यालय, प्रभुपुर, वाराणसी ।

6. सौलत सार्वजनिक पुस्तकालय, रामपुर।
7. रजा पुस्तकालय, रामपुर।
8. मोतीलाल स्मारक संस्था, लखनऊ।
9. कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादून।
10. श्री कैलाशनाथ इन्टर कालेज, कानपुर।
11. नवजीवन किशन इन्टर कालेज, मवाना।
12. के० वी० इन्टर कालेज, मधेरा।

(ख) इस प्रयोजन के लिये अनुदान राज्यों के आधार पर नहीं किये जाते हैं और इसके लिये कोई धनराशि विशेष रूप से नियत नहीं की जा सकती।

Detenus Under D. I. R.

3131. Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Rabi Ray :
Shri M. Meghachandra :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the State wise number of detenus who have been detained for more than six months in the different States Union Territories under the Defence of India Rules;

(b) the number of those, who were informed of the reasons for their detention before detention orders were served and the number of those who were held without assigning any reasons;

(c) whether Government have drawn the attention of the State Governments towards the Supreme Court judgment given on the 7th March, 1967 in the case of P. L. Lakhanpal vs Government of India whereby it is essential to give reasons for such a detention;

(d) if so, the action taken by each State/Union Territories in this regard; and

(e) whether Government propose to pay any compensation to those detenus released in pursuance of the Supreme Court judgement ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) A statement is attached. **[Placed in Library See No. Lt. 729/67]**

(b) As detention orders under rules 30(1) (b) of the DIR are passed when the detaining authority is satisfied that it is necessary to make such an order, the question of furnishing reasons before serving the detention order does not arise.

(c) Yes Sir. The Supreme Court had held that whereas the function under Rule 30(1)(b) relating to detention is executive, the one under Rule 30A(9) relating to review of detention is quasi-judicial and therefore in exercising it the Rules of natural justice have to be complied with.

(d) Information is awaited.

(e) No, Sir.

महावीर जन्म दिवस को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की मांग

3132. श्री अचल सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगवान महावीर के जन्म दिवस को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की मांग की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि भूतपूर्व गृह मंत्री, श्री गुलजारी लाल नन्दा तथा प्रधान मंत्री ने महावीर जयंती को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की सिफारिश की थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रधान मंत्री और भूतपूर्व गृह-कार्य मंत्री ने केवल यह स्वीकार किया था कि इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा। ऐसा किया गया है लेकिन वर्तमान सार्वजनिक छुट्टियों की संख्या बढ़ाना संभव नहीं समझा गया क्योंकि इससे सरकारी कार्य को निपटाने पर प्रभाव पड़ेगा।

सार्वजनिक टेलिफोन बूथ

3133. **श्री न० कु० सांघी**
श्री य० श्र० प्रसाद :

क्या संचार मंत्री दिल्ली में स्थानीय टेलीफोन करने के शुल्क के बारे में 31 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1008 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जुलाई और दिसम्बर 1966 के बीच सार्वजनिक टेलीफोन बूथों से धन इकट्ठा करने में धन के गोलमाल किये जाने के कोई मामले ध्यान में आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) सार्वजनिक टेलीफोन बूथों से रकम इकट्ठा करने कि क्रियाविधी इस प्रकार है कि रकम इकट्ठा करने के लिए सप्ताह में एक या दो बार (या उससे भी अधिक बार), जो कि इकट्ठा की जाने वाली रकम पर निर्भर करता है, दो कर्मचारी (एक इंजीनियरी सुपरवाइजर/एक टेलीफोन इंस्पेक्टर तथा एक लाइन मेन) भेजे जाते हैं। उसके बाद इस प्रकार इकट्ठा की गई रकम डाकघर या जिले के नकदी काउण्टर पर जमा कर दी जाती है। प्रश्न में दी गई अवधि के दौरान गोलमाल के किसी भी मामले का पता नहीं चला है।

Sheikh Abdullah

3134. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Sheikh Abdullah has sent a latter to Pakistan from jail regarding the enforcement of several Ordinances and Acts in Kashmir;

(b) whether it is also a fact that the said letter has been published in the "Dawn" from Karachi;

(c) whether Government have investigated as to how this letter reached Pakistan; and

(d) the action taken against the persons through whom this letter was sent to Pakistan ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) One of the restrictions imposed on Sheikh Abdullah is that he shall not communicate with any one without the permission of the Collector. The Collector has not forwarded any letter of the kind mentioned to any addressee.

(b) Government have seen a report in the Dawn of Karachi of 2nd April, 1967 mentioning about a letter purported to have been written by Sheikh Mohammed Abdullah to an advocate in Jammu and Kashmir.

(c) and (d) The matter was carefully considered and it was thought that in the circumstances an investigation was not likely to be fruitful.

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

3136. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में केन्द्र में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उनका स्वरुप क्या है; और

(ख) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : (क) वर्ष 1966 67 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को अखिल भारतीय सेवा सेवाओं के 6 अधिकारियों के विरुद्ध 8 शिकायतें मिली। ये शिकायतें प्रशासनिक मामलों पक्षपात, अधीनस्थ कर्मचारियों को अनुचित संरक्षण स्टाफ कार तथा कर्मचारियों का अनुचित उपयोग, धन संग्रह तथा अनुचित तरीकी अपनाने के प्रयत्नों के आरोपों के बारे में हैं।

इसी अवधि में केन्द्रीय जांच विभाग को केन्द्र के अखिल भारतीय सेवाओं के छः अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें मिली। ये शिकायतें विलास सामग्री खरीदने, हैसियत से अधिक सम्पत्ति जोड़ने और पहली पत्नी के होते हुए दूसरे विवाह करने, घूस लेने, रेलवे पासों तथा सरकारी मोटरगाड़ियों का दुरुपयोग करने तथा ठेकेदारों से सामान लेने।

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग को मिली आठ शिकायतों में से छः शिकायतें फाइल कर दी गई थीं क्योंकि ये शिकायतें अस्पष्ट अथवा आधारहीन पाई गई थी और शेष दो शिकायतों की जांच की जा रही है।

केन्द्रीय जांच विभाग को मिली 6 शिकायतों में से 3 शिकायतें फाइल कर दी गई हैं क्योंकि उनमें लगाये गये आरोप अस्पष्ट अथवा आधारहीन थे और शेष तीन शिकायतों की जांच की जा रही है।

दिल्ली तथा नई दिल्ली में सरकारी टेलीफोन

3137. श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में इस समय कुल कितने सरकारी टेलीफोन हैं; और

(ख) उनसे सरकार की प्रतिवर्ष कुल कितनी आय होती है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) सरकारी उपभोक्ताओं के टेलीफोनों के सम्बन्ध में अलग से कोई लेखे नहीं रखे जाते। अतः फिलहाल यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली में अपराध

3138. श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन मास में राजधानी में चोरी, हत्या, हत्या करने के प्रयास और छुरा घोंपने की अलग अलग कितनी घटनाएं हुई; और

(ख) ऐसे कितने मामलों में सरकारी कर्मचारी अपराधी पाए गये अथवा इन अपराधों का शिकार हुए ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सभा-पटल पर विवरण रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये, संख्या एल० टी० 730/67**]

संघ राज्य क्षेत्रों में आपराधिक मामले

3139. श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन मास में संघ राज्यक्षेत्रों में कितने आपराधिक मामले हुए; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सभा पटल पर विवरण रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 731/67**]

उड़ीसा में प्रकाशकों को सहायता

3140. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1966-67 में उड़ीसा के प्रकाशकों, मुद्रकों तथा पुस्तक विक्रेताओं को सामाजिक शिक्षा संबंधी साहित्य तथा नव साक्षरों के साहित्य के क्षेत्र में कितनी सहायता दी गई ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : समाज शिक्षा साहित्य और नव साक्षरों के साहित्य के लिए प्रकाशकों, मुद्रकों और पुस्तक विक्रेताओं को वित्तीय मदद देने की सरकार की कोई योजना नहीं है । सभी प्रादेशिक भाषाओं में नव साक्षरों के लिए प्रकाशित पुस्तकों के लिए एक पुरस्कार-योजना है, जिसके अन्तर्गत उड़ीसा में प्रकाशित कुछ पुस्तकों को पुरस्कार मिला था और उनकी प्रतियां खरीदी गई थीं ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षक

3141. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को अखिल भारतीय संवर्ग में रखने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) जी नहीं । मामला अभी तक विचाराधीन है । किन्तु केन्द्रीय सरकार के अधीन राष्ट्रीय अनुशासन के प्रशिक्षकों के सभी पदों की अवधि फिलहाल, अगस्त, 1967 के अन्त तक बढ़ा दी गई है ।

डाक तथा तारघर

3142. श्री हीरजी भाई :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में देश में राज्य-वार कुल कितने डाक तथा तारघर खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) उनमें से कितने देहाती क्षेत्रों में खोले जायेंगे; और

(ग) उक्त अवधि में इस उद्देश्य के लिये कुल कितना धन नियत किया गया है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 732/67**]

(ग) मौजूदा वित्तीय कठिनाई के कारण नये अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने पर इस समय लगी पाबन्दी के हटा लिये जाने पर नये डाकघरों के लिए 25 लाख रुपये और तार सुविधाओं के लिए 35 लाख रुपये नियत करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि निर्धारित मानक पूरे होते हों।

Uniforms for Class IV Employees

3143. Shri Bramha Nandji : Shri Jaganath Rao Joshi : Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Class IV employees in the various Ministries are not supplied various items of uniforms and shoes in time, as the contractors are not able to supply these articles at cheaper rates due to rise in prices;

(b) if so, whether Government propose to supply these articles to them in time by obtaining supplies from Super Bazar and Central Consumer Cooperative Stores; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c) The cloth and other items of uniform for class IV employees are obtained by the Ministries, etc. from the suppliers on rate contracts settled by the DGS & D. All possible efforts are made to obtain these supplies well in the time. If, however, the supplies are not forthcoming or are unduly delayed, they are obtained locally from the Super Bazar or Central Consumer Cooperative Stores, or any other source, keeping in view the quality and the price of the material.

Kerosene Oil Smugglers

3144. Shri K. M. Madhukar: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Police apprehended a gang of Kerosene Oil Smugglers on the 25th May, 1967; and

(b) if so, the measure proposed to be taken to check smuggling ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A truck carrying about 6,000 lettres of Kerosene Oil was apprehended on the night of 24th/25th May, 1967 at a check post on the UP Delhi border. Two persons including the driver were arrested under Section 7 of the Essential Commodities Act for violating the provisions of the Delhi Kerosene Oil (Export and Price) Control Order 1963. The case has since been filed in court and is sub judice.

(b) Anti smuggling check posts set up on the borders of Union Territory of Delhi exercise constant check on the activities of smugglers.

पर्वतीय राज्यों के लोग

3145. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन में सीधी कार्यवाही करने का निर्णय किया गया है यदि सरकार 13 जुलाई से पहले किसी ऐसे हल के ढूंढने में सफल नहीं होती जो कि आसाम पर्वतीय लोगों को मान्य हो; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) हमें कोई पुष्टिकृत सूचना नहीं मिली है । हमें हर प्रकार आशा है कि सर्वदलीय नेता सम्मेलन के नेतागण दिल्ली अथवा शिलांग में आयोजित प्रस्तावित संयुक्त विचार-विमर्श में भाग लेंगे ।

आन्ध्र प्रदेश का डाक तथा तार और रेलवे डाक सेवा विंग

3146. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के डाक तथा तार रेलवे डाक सेवा विंग ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें डाक ले जाने वाली नई मोटर गाड़ियों के नियतन, कार्यालयों के लिए इमारतों के निर्माण, डाक ले जाने वाले नये सैक्शनों की स्थापना, कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण तथा प्रमुख जंक्शन स्टेशनों पर डाक की अदला-बदली के लिये पथ-मार्गों (पाथवेज) और लिफ्टों की व्यवस्था करने की मांग की गई; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मांगों को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां । डाक-तार महानिदेशक को अखिल भारतीय रेल डाक सेवा कर्मचारी संघ तृतीय श्रेणी, मेल गार्ड तथा चतुर्थ श्रेणी, आन्ध्र सर्कल से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिस पर आन्ध्र सर्कल में काम करने वाले कुछ रेल डाक सेवा कर्मचारियों ने हस्ताक्षर करके उसे पोस्ट मास्टर जनरल, आन्ध्र सर्कल को भेजा था । उसे पोस्ट मास्टर जनरल आन्ध्र सर्कल और क्षेत्रीय डाक निदेशक, मद्रास को भेज दिया गया है, क्योंकि उसमें उनके विचार करने के लिये बहुत से सुझाव दिये गये हैं ।

(ख) प्रत्येक मद सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है:--

(i) **नये मेलयानों का नियतन**

चालू वर्ष के अन्त तक छः मेलयानों के सप्लाई की जाने की आशा है ।

(ii) **कार्यालयों की इमारतों का निर्माण**

रेल डाक सेवा की ईमारतों के निर्माण की जिम्मेदारी रेल विभाग की है । अब तक उपलब्ध सूचना से पता चला है कि विजयवाड़ा और वाल्टेयर में रेल डाक सेवा के लिये नई इमारतों का निर्माण हो रहा है और ये दोनों 1968 के अन्त तक तैयार हो जायेंगी । तेनाली, कुड्डापाह,

गुन्टकल, रेनीगुन्टा और एलुरू में रेल डाक सेवा के लिये इमारतों का निर्माण 1967-68 के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। यदि फण्ड उपलब्ध हो जाए तो इन कार्यों के तीन वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है।

(iii) **डाक ले जाने वाले नये सेक्शनों की व्यवस्था**

इस वर्ष के अन्त तक जब नये डाक के डिब्बे उपलब्ध हो जायेंगे, तो विजयवाड़ा, गुन्टुर, और नरसापुर के बीच एक नया छंटाई सेक्शन खोले जाने की आशा है।

(iv) **कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण**

डाक-तार विभाग के सभी विभागों के लिए जिनमें रेल डाक सेवा भी सम्मिलित है, कई स्थानों पर कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन है। ओंगोले नेलोर, गुंटकल, कुड्डापाह, हैदराबाद, सामलकोट ओर विशाखापटनम में जमीन ले ली गई है। फंड उपलब्ध होने पर निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कई अन्य स्थानों पर रिहायशी कोलोनियों के लिये जमीन लेने की कार्यवाई की जा रहीं है।

(v) **पथ-मार्गों और लिफ्टों की व्यवस्था**

इस सम्बन्ध में कर्मचारी-संघों ने कई सुझाव दिये हैं जिनको रेल विभाग के परामर्श से विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है। अतः इस समय कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है।

मनीपुर गोलीकाण्ड

3147. श्री स० कुन्डु : **श्री ज० अहमद :**
श्री हेम बरुआ : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री क० लक्कप्पा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री 8 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 737 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 अगस्त, 1965 को मनीपुर में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किये गये अशोक मित्र जांच आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध इस बीच कार्यवाही की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मृत व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों को तथा घायल व्यक्तियों को उचित मुआवजा दिया गया है ?

गृहकार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां। 5 अप्रैल, 1967 के लोक-सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 527 के मेरे उत्तर में दिये गये ब्यौरे के अनुसार, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हमें सूचना दी है कि उसकी अपनी जांच पूरी हो चुकी है और वह अपनी सिफरिशें जल्दी हा भेज देगा।

(ग) जी नहीं।

3148. **श्री स० कुन्डू :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री क० लकप्पा :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने **की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग उड़ीसा में बालाओर के चांदीपुर (समुद्र में) नामक स्थान पर स्थित प्रतिरक्षा मन्त्रालय की प्रमाण तथा प्रयोगात्मक संस्था में भ्रष्टाचार के कतिपय आरोपों के सम्बन्ध में की जा रही जांच पूरी हो गई है।

(ख) यदि हां, तो इस जांच की मुख्य उपपत्तियां क्या हैं तथा क्या किन्हीं अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों का दोषी ठहराया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों को दंड देने के लिए कोई कार्यवाही की गई; और

(घ) यदि यह जांच पूरी नहीं हुई है, तो यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) अभी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(घ) जांच अभी चल रही है। जांच शीघ्र पूरी करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

अमरीका की सेन्ट्रल इन्टेलीजेंस एजेंसी के धन का दुरुपयोग किये जाने के बारे में जांच

3149. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री मेघचन्द्र :
श्री धीरेश्वर कालिता :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री 22 मई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका की सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स एजेन्सी से भारत में धन आने के बारे में जांच करने का कार्य किस एजेन्सी अथवा किन एजेन्सियों को सौंपा गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में जनता को कोई साक्ष्य देने का अवसर दिया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार उस जांच के निष्कर्ष प्रकाशित करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) हाल के चुनावों तथा अन्य प्रयोजनों के हेतु विदेशी धन के प्रयोग के बारे में जांच करने के लिए गुप्तचर विभाग से हाल में एक रिपोर्ट मिली है जिसकी सावधानी पूर्वक जांच की जा रही है। इस रिपोर्ट पर अपना निष्कर्ष निकालने तथा यह निश्चय करने में कि आगे और कोई जांच करना आवश्यक अथवा नहीं, सरकार को कुछ समय लगेगा।

Strike in Excelsior Food and Chemicals, Delhi

3150. Shri Y. S. Kushwah :
Shri Nihal Singh :
Shri Sheopujan Shastri :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 70 employees of the Excelsior Food and Chemiclas, Paharganj, New Delhi have gone on strike since the 4th May, 1967 for an indefinite period;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the number of other such factories in the Capital which have also been closed down; and

(d) the action taken in this respect ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) No. The management of the Excelsior Food and Chemicals Industry closed the factory with effect from the 4th may, 1967. The workers demonstrated in protest against the closure for a few days.

(d) The management considered it un-economical to run the factory on account of reduction in sugar quota and restriction imposed by the Agricultural Marketing Advisor on the extent of the manufacture of products.

(c) According to reports received, no other factory engaged in the canning of fruits etc. has been closed down.

(d) The matter was discussed by the Conciliation Officer, Delhi Administration with both the parties and as a result of the discussions, the dispute was amicably settled on 12-6-1967. In trems of the settlement, the employees were given compensation and other dues by the management.

Repatriates From Burma

3151. Shri Molahu Prasad :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the steps so far taken for the rehabilitation of repatriates from Burma; and

(b) the progress so far made in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra) : (a) A statement showing the measures taken and schemes sanctioned for rehabilitation of the repatriates from Burma is attached. **[Placed in Library, See No. LT-733/67]**

(b) So far rehabilitation assistance has been given to about 45,266 persons, as follows :

		Persons
1.	Business loans sanctioned.	38,332
2.	Business loans disbursed in full or in part.	32,908

3.	Employment in Central Govt. Offices, State Govt. Offices. Public undertakings and other private Organisations.	9,329
4.	Allotment of agricultural land.	406
5.	Allotment of sites for business premises, house etc.	1,348
6.	Allotment of Fair Price Shops and other licences.	86
7.	Old Age Pension.	150
8.	'Ad-hoc' grants for rehabilitation.	71
9.	Educational Concession etc.	968
	Total (2) to (9)	45,266

Quarterly Magazines Published by Education Ministry

3152. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of quarterly magazines published by his Ministry;

(b) the total number of Employees, including Officers, appointed for this purpose;

(c) the annual expenditure being incurred thereon; and

(d) the total circulation of the said magazines and the annual income therefrom ?

The Minister of Education (Dr, Trigun Sen) : (a) to (d) The requisite information in so far as the main Ministry is concerned is given in the enclosed statement. [Placed in Library, See No. LT—734/67] Information in respect of the attached and subordinate Offices of the Ministry is being collected and will be laid on the table of the Sabha as soon as possible.

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की उपसन्धियों की अभिपुष्टि

3153. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें निवेदन किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की उपसंधियों, संख्या 87 तथा 98 की अभिपुष्टि की जाये;

(ख) यदि हां, तो अभी तक इन उपसंधियों की अभिपुष्टि न की जाने के कारण क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) (i) अभिसमय संख्या 87 की अभिपुष्टी नहीं की गई है क्योंकि भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम के कुछ उपबन्ध और सरकारी कर्मचारी के संघों को शामिल करने वाले नियम वर्तमान अभिसमय की आवश्यकताओं के पूर्णतः अनुरूप नहीं हैं।

(ii) अभिसमय संख्या 98 की अभिपुष्टी का प्रश्न विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय अभिसमय सम्बन्धी त्रिपक्षीय समिति द्वारा आगामी अधिवेशन में इस मामले पर विचार विमर्श करने के बाद किया जायगा। इस अधिवेशन की भारतीय श्रम सम्मेलन के 25 वें अधिवेशन के समय होने की आशा है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय तथा सिफारिशें

3154. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य है, कितने अभिसमय तथा सिफारिशें पारित की है;

(ख) भारत सरकार ने कितने अभिसमयों तथा सिफारिशों को स्वीकार किया है;

(ग) क्या अभिसमय संख्या 87 और 98 को जो विश्व भर में मूल अभिसमय माने गये हैं, अभी स्वीकार किया जाना शेष है; और

(घ) ऐसे अभिसमयों तथा सिफारिशों को, जो अभी तक स्वीकार नहीं किये गये हैं, कब तक स्वीकार करने का सरकार का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) 126 अभिसमय और 127 सिफारिशें।

(ख) 30 अभिसमयों का अनुसमर्थन किया जा चुका है। सिफारिशों के अनुसमर्थन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान में कोई उपबन्ध नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) जो अभिसमय भारत द्वारा यथा-संभव अनुसमर्थित किये जा सकते हैं, उनके अनुसमर्थन के बारे में समय-समय पर विचार किया जाता है।

Post Offices in Madhya Pradesh

3155, **Shri G C. Dixit** : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the number of Post Offices functioning in Madhya Predesh at present and the number of Post Offices out of them where savings bank facilities are available;

(b) the number of additional Post Offices proposed to be opened in that State in the next one year; and

(c) whether telephone and telegraph facilities would be available in the new Post Offices ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Out of 5,681 Post Offices in Madhya Pradesh Savings bank facilities are provided in 3,313 Post Offices.

(b) 207, subject to removal of restrictions on the opening of New Extra Departmental Barnch Post Offices.

(c) Some of the proposed new Post Offices will be provided with telephone and telegraph facilities. Provision of these facilities is, however, dependent on the Post Offices being situated in "category stations" in accordance with the policy laid down by the Department, otherwise the proposals should be remunerative or guaranteed against loss "Category Stations" normally are :

(a) **for telegarph facilities** Sub divisional and tehsil headquarters, places with over 5,000 population; places with police stations under charge of an Officer not lower in rank than a Sub Inspector of Police; and Block Headquarters.

(b) **for public call Offices** District and Sub Divisional headquarter towns; places with population more than 20,000, tehsil and corresponding headquarter towns.

भारतीय भू-विशेषज्ञ

3156. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कुल कितने भारतीय भू-विशेषज्ञ हैं जो भूमि सर्वेक्षण के सम्बन्ध में विमानों से लिये गये चित्रों की व्याख्या करने में सिद्धहस्त हैं;

(ख) भारतीय सर्वेक्षण विभाग की भारतीय चित्र व्याख्या संस्था देहरादून के भूमि अनुभाग में गत शिक्षा वर्ष में कुल कितने छात्र थे, जहां प्रत्येक शिक्षा वर्ष में केवल भूमि संबंधी प्रशिक्षण के लिये 20 छात्रों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है; और

(ग) गत शिक्षा वर्ष में भूमि अनुभाग के प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी पर कुल कितना खर्च आया ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) कुल ऐसे भारतीय मिट्टी-विशेषज्ञों के बारे में जो मिट्टी सर्वेक्षण के सम्बन्ध में विमानों से लिये गये फोटोग्राफों की व्याख्या करने में सिद्धहस्त हैं, पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है ,

किन्तु उपलब्ध–सूचना इस प्रकार है:–

(I) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार (कृषि विभाग), मन्त्रालय

(1) **अखिल भारतीय मिट्टी तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन**

(·) मिट्टी सर्वेक्षण के सम्बन्ध में विमानों से लिए गये फोटोग्राफों की व्याख्या करने में सिद्धहस्त सात अधिकारी;

(ii) विमानों से लिए गए फोटोग्राफों की व्याख्या करने वाले संगठन के अधिकारी द्वारा विमानों से लिए गए फोटोग्राफों की व्याख्या करने के कार्य में प्रशिक्षित पन्द्रह मिट्टी सर्वेक्षक (श्रेणी-III)।

(iii) भारतीय फोटो-व्याख्या संस्थान द्वारा प्रशिक्षित दो मिट्टी सर्वेक्षण सहायक भारतीय फोटो व्याख्या संस्था में प्रशिक्षित एक।

(2) **भूमि परिरक्षण अनुसन्धान, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, उटकमंड**
भारतीय फोटो-व्याख्या संस्थान में प्रशिक्षित एक।

(II) **शिक्षा मन्त्रालय**
राष्ट्रीय एटलस संगठन

(III) 34 व्यक्ति जो 17-17 व्यक्तियों के दो समूहों में केन्द्रीय अल्पजलिक क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान, जोधपुर द्वारा आयोजित विमान के लिए गए फोटोग्राफों की व्याख्या के पाठ्यक्रम में शामिल हुए।

(ख) पिछले पाठ्यक्रम के 16 प्रशिक्षार्थियों में से चार मिट्टी सर्वेक्षण के लिए थे।

(ग) 11,830 रुपये।

Mizo Hostilities

3157. Shri Sharda Nand :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri J. B. Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Mizo rebels armed with automatic weapons ambushed a unit of the Indian Security Forces on the 23rd May, 1967 on Silcher-Aijal Road and killed nine soldiers; and

(b) if so, the action taken in order to prevent the recurrence of such incidents in future ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A party of security personnel on Patrol duty was ambushed on 23rd May, 1967 by Mizo hostiles on the Silcher-Aijal Road near Kolosib. The patrol party suffered casualties to the extent of 15 killed and 1 wounded. The hostiles fled away before our reinforcement could reach the site of ambush. (This information had already been furnished in response to the calling attention notice on the subject on the 26th May, 1967).

(b) Operations by the Security Forces have been intensified to prevent the recurrence of such incidents.

Complaints with Vigilance Commission

3158. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of complaints received by the Central Vigilance Committee during 1965-66 and 1966-67 regarding corruption by Government Officials category-wise and department-wise;

(b) the number of complaints found to be true;

(c) the number of complaints still being investigated and the number of those found baseless;

(d) the number of officers punished, suspended and removed from service, separately, against whom charges were substantiated; and

(e) the time likely to be taken to decide those cases which are now under investigation ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) A statement is laid on the Tab'e of the House. **[Placed in Library See No. L. T. 735/67]**

(b) and (c) :

	1965-66	1966-67
(1) Filed as vague	881	603
(2) Forwarded to the departments concerned for such action as deemed fit.	174	83
(3) Sent up for inouiry :		
(i) Found baseless after inquiry.	167	45
(ii) Found true or partly true after inquiry.	25	4
(iii) Still under inquiry.	77	87
(4) Pending with Central Vigilance Commission at the end of the year.	9	13

(d) As a result of action taken on the complaints received during 1965-66, one official has been sentenced to rigorous imprisonment for one year, 9 have been prosecuted, imposition of major penalties recommended in respect of 5 officers, 2 reverted to lower posts, increments withheld in the case of 7 officers and other departmental action taken against 7 officers. Out of the comp'aints received during 1966-67, two officers have heen reduced in rank with reduction in pay, increments withheld in the case of 2 officers and a recommendation to take departmental action against one officer is under consideration.

(e) The speed with which enquiries can be completed depends upon the nature of the charges and various factors. Every effort is, however, being made to expedite action.

Telephone Advisory Committees in M. P.

3159. Shri Y. S. Kushwah :
Shri Atam Das :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Telephone Advisory Committees exist in district headquarters of Bhind, Datia, Gwalior and Morena districts in Madhya Pradesh;

(b) if so, the names and addresses of the members;

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, when they are likely to be set up; and

(d) the places where such Advisory Committees are functioning in Madhya Pradesh ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Telephone Advisory Committee exists only at Gwalior.

(b) 1. Collector, Gwalior District, Gwalior.

2. Shri Ram Niwas Bangad, MLA, Gwalior.

3. Shri Brij Mohandas Nagori, Nagori Bros., Didwanoli, Lashkar, Gwalior.

4. Her Highness Maharani Vijaya Raja Scindia of Gwalior, M. P., Jai Vilas Palace, Laskar, Gwalior.

5. Shri R. S. Khandekar, M. P. Ganesh Colony, Naya Bazar, Laskar, Gwalior.

The existing Committee is being reconstituted.

(c) The Telephoue Advisory Committees at other places are not considered justified at present as the stations are quite small.

(d) The Telephone Advisory Committees at present functioning at Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur and Raipur in Madhya Pradesh.

Telephone Connections

3160. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of applications pending at present for the installation of new telephones in the Industrial Estate in the east of Nimar district in Madhya Pradesh; and

(b) when telephone connections would be sanctioned to the majority of the applicants ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b) There is no Industrial Estate in Khandwa or Burhanpur which are two major towns in East of Nimar District of Madhya Pradesh. However, at Pandhana, which is 12 miles from Khandwa, there is an Industrial Estate. Twelve applications are pending for the grant of telephone connections here. A 25 line automatic exchange is likely to be commissioned by August, 1967 when connections will be provided to all the twelve applicants on the waiting list.

दिल्ली में निःशुल्क उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

3161. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : **श्री हरदयाल देवगुण** :
श्री जगन्नाथ राव जोशी : **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली महानगर परिषद ने उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को निःशुल्क करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या परिषद ने इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी रकम मांगी गई है तथा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षामन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) शिक्षा मंत्रालय के पास ऐसा कोई निर्णय नहीं भेजा गया है ;

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Gopala Reddi Committee's Report

3162. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri R. Shastri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Executive Councillor of the Metropolitan Council has charged the Centre with the neglect of the problem of Delhi;

(b) whether the non-imptementation of the recommendations of Gopala Reddi Commitee caused this neglect;

(c) if so, the reasons for not implementing the recommendations of Gopala Reddi Committee; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in The Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :- (a) No formal reference has so far been received from the Delhi Administration alleging that the preblems of Delhi have been neglected by the Central Government.

(b) to (d) : The Commission of Inquiry appointed to inquire into the resources and requirements of local bodies in Delhi had submitted, under the chairmanship of Shri B. Gopala Reddy, an interim report on the finances of the General Wing of the Delhi Municipal Corporation and the New Delhi Municipal Committee. Later, in its meeting held on the 7th March, 1967, the Commission decided to re-examine their recommendations. The recommendations of the Commission are awaited by the Government.

अनुशासन संहिता

3163. श्री क. प्र. सिंह देव : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उद्योगों में अनुशासन संहिता का उल्लंघन किये जाने के बारे में जांच करने के लिये एक समिति स्थापित की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ मामले 1965 से अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) शायद आशय उस त्रिपक्षीय केन्द्रीय क्रियान्विति और मूल्यांकन समिति से है जो उद्योग में अनुशासन संहिता की क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिए सन् 1958 में स्थापित की गई थी।

(ख) सन् 1965 के बहुत ही थोड़े मामले अन्तिम निर्णय के लिए अनिर्णीत पड़े हैं ।

(ग) अनिर्णीत मामलों को निपटाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

तेल कम्पनियों में रोजगार की सुरक्षा

3164. डा. रानेन सेन : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 24 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 118 और 192 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 अप्रैल, 1967 को तेल कम्पनियों में रोजगार की सुरक्षा के बारे में हुए त्रिपक्षीय सम्मेलन का क्या परिणाम निकला और उसके निष्कर्ष क्या थे; और

(ख) विभिन्न पक्षों में कहां तक सहमति हुई और तेल कम्पनियों में रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कायवाही करने का सरकार का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : 28 अप्रैल, 1967 को हुई त्रिपक्षीय बैठक में कोई समझौता नहीं हो सका। परन्तु बैठक में दिये गये सुझावों के आधार पर सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का निश्चय किया है।

उच्च प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता

3165. श्री यशपालसिंह :
श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उच्च प्रशिक्षण के लिए छात्रों द्वारा वित्तीय सहायता के लिये आवेदन-पत्र भेजे जाने पर लगाये गये प्रतिबंधों के विरोध में कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) भारत तथा विदेशों में अध्ययन करने के लिए सरकार योग्य तथा विशेष योग्यता वाले छात्रों को कई योजनाओं के अन्तर्गत, छात्रवृत्तियां तथा कुछ वित्तीय सहायता देती है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा चालू तथा क्रियान्वित योजनाओं के बारे में जानकारी शिक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में उपलब्ध है। उन व्यक्तियों को, जो कि स्वयं अपने संसाधनों से उच्च शिक्षा के लिये विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी मुद्रा देने के सम्बन्ध में भी सरकार ने नीति निर्धारित की है। इससे सम्बन्धित काम वित्त मंत्रालय में होता है।

इस प्रश्न में उल्लिखित प्रतिबन्धों का परिणाम स्पष्ट नहीं है इसलिये पक्के तौर पर यह कहना सम्भव नहीं है कि शिक्षा मंत्रालय में कोई अभ्यावेदन मिले हैं अथवा नहीं।

Telephones for Cooperatives

3166. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether any special treatment is given to the Limited Cooperative Societies while deciding order of preference for granting a telephone connection; and

(b) if so, the reasons for not granting telephone connections yet to the Cooperative Cotton Mill, Ltd., Wholesale Cooperative Consumers Store and Cooperative Calendering Sizing-Processing Society in Burhanpur even a year after their applying for it ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b) Telephone connections are given on priority only to Consumers Cooperative Societies and not to all Co-operative Societies, As such, out-of-turn connection is being given to Whole-sale Cooperative Consumer Store, Burhanpur. The connection is likely to be provided within 15 days. Co-operative Cotton Mill Ltd. and Co-operative Calendering Sizing Processing Society in Burhanpur are not entitled for connections on priority basis. As such, it will take some time for them to get connections. Burhanpur Exchange is working to its almost to full capacity and a scheme for its expansion is in hand. The expansion is likely to be completed in June 1968, after which connections to these two Cooperative Societies will also be provided.

वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में पोलेंड का सहयोग

3167. श्री रा. बरुआ : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलेंड की विज्ञान तथा तकनीक समिति और भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के बीच वैज्ञानिक अनुसन्धान के क्षेत्र में अनुभव और सहयोग के आदान-प्रदान के बारे में विचार-विमर्श हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो क्या अनुभव तथा सहयोग के आदान-प्रदान के लिए विशेष रूप से धातु कर्म विज्ञान तथा रसायन शास्त्र को उत्पादन विधियों से सम्बन्धित विषयों की कोई सूची तैयार की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा. त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् और पोलेंड की विदेशों के साथ आर्थिक सहयोग सम्बन्धी समिति के बीच विज्ञान, टेक्नोलोजी और उद्योग में सहयोग के जिन अस्थायी क्षेत्रों के बारे में आपस में सहमति हो गई है, उनकी सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल. टी. 736/67]**

दिल्ली के लिये 1967-68 के लिए धन का नियतन

3168. श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :
श्री कामेश्वरसिंह :
श्री श्रीधरन :
श्री क. मि. मधुकर :
श्री य. अ. प्रसाद :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री बलराज मधोक :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री म. ला. सोंधी :
श्री ओ. प्र. त्यागी :
श्री श्रीचंद गोयल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने वर्ष 1967-68 के लिए दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के लिये 10 करोड़ 50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि के नियतन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त राशि नियत न किये जाने से दिल्ली प्रशासन के अनुसार किन-किन योजनाओं में कटौती किये जाने की सम्भावना है तथा यह कटौती किस सीमा तक की जायेगी; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, दिल्ली प्रशासन ने 10 करोड़ 60 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि के नियतन की मांग की है।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन से औपचारिक मांग केवल 17 जून को प्राप्त हुई थी जिस पर विचार किया जा रहा है।

रेलवे पास तथा सुविधा टिकट आदेश (पी. टी. ओ.)

3169. श्री म. ला. सोंधी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रति वर्ष निःशुल्क रेलवे पास तथा सुविधा टिकट आदेश (पी. टी. ओ.) दिये जाने की कोई मांग की गई है;

(ख) क्या सरकार का यह विचार है कि दो वर्षों में केवल एक ही बार कुछ लोगों को ही सीमित सुविधा टिकट आदेश (पी. टी. ओ.) दिये जाने की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को कम से कम एक निःशुल्क पास दिया जाये; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के. एस. रामास्वामी) : (क) से (ग) कर्मचारियों की ओर से रखे गये इस प्रश्न पर राष्ट्रीय परिषद् में हाल में विचार-विमर्श हुआ है। 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में 160 किलोमीटर) 90 प्रतिशत किराया वापस देने के बदले, इस प्रस्ताव में यह मांग की गई थी कि सरकारी कर्मचारी को उसके मुख्यालय से उसके घर के निकटस्थ नगर (होम-टाउन) तक जाने और वहां से वापस आने का समूचा किराया लौटा कर इस योजना को उदार बनाया जाए। यह सुझाव भी दिया गया था कि होम-टावन के अतिरिक्त अन्य स्थानों की यात्रा के लिए भी यह रियायत दी जाये। राष्ट्रीय परिषद में समझौते के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि इस समय केवल यही और अधिक रियायत दी जा सकती है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 160 किलोमीटर की दूरी के बाद और अन्य कर्मचारियों को पहले 400 किलोमीटर की दूरी के बाद का 90 प्रतिशत लौटाये जाने वाले किराये के बदले पूरा किराया वापस किया जाये। इस निर्णय को कार्यरूप देने वाले आदेश 10 मार्च, 1967 को जारी किए गये थे। अब और आगे कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरलों और डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरलों के पदों को चुनाव वाले पद बनाना

3171. श्री शि. चं. झा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुलिस के इंस्पेक्टर जनरलों तथा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरलों के पदों पर नियुक्त करने की वर्तमान

व्यवस्था के स्थान पर इन पदों को चुनाव वाले पद बनाने के लिए कोई संविधानिक परिवर्तन करने के लिए कोई प्रयास किये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जी, नहीं

सरकारी कर्मचारियों के कार्मिक संघ

3172. सी. चं. झा : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अपने कार्मिक संघ बनाने की अनुमति है; और

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे कितने कार्मिक संघ हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, केवल उनको छोड़कर जो सेना अधिनियम और समान कानूनों के उपबंधों से प्रशासित होते हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

Barhampur Telephone Exchange

3173. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Telephone Exchange of Barhampur Nagar in East Nimar District is very old and below the capacity; and

(b) if so, whan its capacity is likely to be increased ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b) A 100 line manual exchange was established in 1955. The capacity. was increased to 200 lines in 1964. The exchange is congested at present. It is, therefore, proposed to replace this manual exchange by an automatic exchange of 300 lines capacity, which is likely to be commissioned during 1968.

पाकिस्तान से मिजो लोगों की वापसी

3174. श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :
श्री मेघचन्द्र :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री लीलाधर कटकी :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री टी० पो० शाह :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 20 मिजो और कुक्की लोग पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करके हाल में मनीपुर लौट आये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन विद्रोही लोगों को पकड़ कर उनसे कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 9 मई, 1967 को मिजो तथा कुक्की लोगों के एक मिश्रित गिरोह मिजो पहाड़ियों से मनीपुर के चुरचन्दपुर सब-डिवीजन में घुसा था। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वह गिरोह पाकिस्तान गया था अथवा नहीं।

(ख) जी नहीं। सुरक्षा सम्बन्धी उपाय सुदृढ़ किये गये हैं और गश्त बढ़ा दी गई है।

नागा युवक द्वारा चोरी-छिपे हथियार लाये जाना

3175. श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैण्ड में चोरी छिपे हथियार तथा गोला-बारूद ले जाने का प्रयत्न करते हुए नागालैण्ड-आसाम सीमा पर अमगुड़ी में एक नागा युवक गिरफ्तार किया गया था जिसके पास 150 कारतूस थे;

(ख) यदि हां, तो उसके द्वारा वे हथियार किस से, किसी भारतीय से अथवा विदेशी से, प्राप्त किये गये थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि इससे पहले भी एक अन्य अवसर पर एक नागा युवक अमगुड़ी में दो सौ विस्फोटक गोला-बारूद ले जाते हुए पकड़ा गया था, जिन पर पूर्वी यूरोप के एक देश के चिन्ह अंकित थे; और

(घ) यदि हां, तो उन पर किस देश के चिन्ह अंकित थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

(ग) 14 मार्च, 1967 को एक नागा से, जबकि वह अमगुड़ी (सिबसागर जिला) में एक पेट्रोल पम्प पर परिवहन के लिये प्रतीक्षा कर रहा था, दो ट्रंक मिले जिनमें विस्फोटक हथियार थे। (यह जानकारी 29 मार्च, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 133 के उत्तर में दी जा चुकी है)। बरामद किये गये हथियारों तथा गोला-बारूद पर चिन्हों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उपूसी (नेफा) में स्वायत्त शासन

3176. **श्री स्वैल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण की जनता ने स्वायत्त-शासन की मांग की है;

(ख) क्या सरकार का विचार उनकी मांग पूरी करने के लिये शीघ्र ही ठोस कदम उठाने का है;

(ग) क्या क्या विशिष्ट कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या संसद सदस्य का नामनिर्देशन करने की वर्तमान प्रणाली समाप्त की जायेगी और उस क्षेत्र में चुनाव कराये जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां । प्रशासन के प्रजातंत्रीय ढांचे की मांग की जा रही है ।

(ख) और (ग) खण्ड, जिला तथा एजेन्सी स्तरों पर प्रजातंत्रीय संस्थाओं का गठन करने के लिये विनियम लागू करने का प्रस्ताव है ।

(घ) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

मनीपुर में लूटमार

3177. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 मई, 1967 को सशस्त्र लोगों के एक गिरोह ने मनीपुर के थौबाल सब-डिवीजन में वाइसोंग बाजार में लूटमार की;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजपथ पटेल मोर्घ सड़क पर ऐसी लूटमार बार-बार होती रहती है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सशस्त्र लोगों के इस गिरोह में कैसे-कैसे तथा कौन-कौन लोग हैं और उनमें से अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां । 14 जून, 1967 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2469 के उत्तर में दिये गये ब्यौरे के अनुसार ।

(ख) पल्लेल और मोरेह के बीच राष्ट्रीय राजपथ पर 6 अप्रैल, 1967 को चमोल लमरवाई के निकट तथा 1 मई, 1967 के तराओं लमरजाई में लूटमार की दो घटनाएं हुई ।

(ग) ऐसा सदेह है कि स्थानीय गुंडों ने गुंडे नागाओं के साथ मिलकर अपराध किये । अब तक इन मामलों में तीन संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

मनीपुर में विश्वविद्यालय

3178. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मंजूरी मिल चुकी है;

(ग) इस विश्वविद्यालय के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(घ) क्या इस विश्वविद्यालय के लिये स्थान चुन लिया गया है और यदि हां, तो कहां पर विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए, जिसमें मणिपुर, उपुनी, नागालैंड तथा असम के पहाड़ी जिले शामिल हैं, एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की एक योजना, चौथी पंचवर्षीय आयोजना के लिए मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों में सम्मिलित की गई है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय को शिलोंग में स्थित करने का प्रस्ताव है।

मनीपुर में क्रीडांगण (स्टेडियम)

3179. **श्री मेघचन्द्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार तथा स्थानीय खेल-कूद संगठनों ने मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में एक क्रीड़ांगण (स्टेडियम) बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुदान देने की प्रार्थना की है;

(ख) क्या इसके निर्माण से सम्बन्धित कोई योजना सरकार ने मंजूर की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भुवनेश्वर में डाक तथा तार कालोनी में जल की सप्लाई

3182. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा में भुवनेश्वर में डाक तथा तार कालोनी को गत पांच महीनों से पानी सप्लाई नहीं किया गया; और

(ख) यदि हां, तो गर्मी के महीनों को दृष्टि में रखते हुए इस कालोनी को शीघ्रातिशीघ्र जल सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) चूंकि शहर में पानी की सप्लाई का दबाव कम है, अतः पिछले कुछ महीनों के दौरान कोलोनी की ऊपरी मंजिल के निवासियों को कुछ असुविधा हुई।

(ख) एक ऊपरी जलाशय बनाया गया है और पम्प लगा दिये गए है। बिजली का कनेक्शन न मिलने के कारण पम्प अभी चालू नहीं किये गए हैं। पोस्टमास्टर जनरल, कटक

स्थानीय प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाये हुए हैं और आशा है कि आगामी कुछ दिनों में पानी सप्लाई उपलब्ध हो जाएगी ।

National Policy in Respect of Scientific Journals

3183. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri R. Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Arjun Singh Bhadoria

Will the minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the scarcity of scientific periodicals and journals in India has considerably decreased as compared to the past year ;

(b) whether Government propose to frame a national policy in regard to the publication of technical and scientific periodicals and journals; and

(c) whether Government would consider the publication of such periodicals and journals in regional languages also while framing their policy ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Scientific periodicals and journals are produced by a number of scientific societies and government departments. Precise information relating to such periodicals and journals published last year and this year is not readily available :

(b) and (c) The matter is under consideration,

Car Thieves

3184. Shri Raghubir Singh Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri R. Shastri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Atam Das :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Swell :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have traced a gang of car theives who used to steal cars from Delhi and sell them in Nepal;

(b) if so, the action taken against the persons concerned;

(c) the number of stolen cars recovered from them ;

(d) whether some political persons are also connected with this gang; and

(e) if so, the details thereof ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) 3 members of the gang have been arrested so far and the investigation of the case is in progress.

(c) The gang gave clue to the theft of 10 cars. 3 have already been found abandoned with parts stolen and the remaining 7 are reported to have been disposed of in Nepal.

(d) The case is still under investigation.

e) Does not arise.

Implementation of The Recommendations of wage Boards

3185. Shri Madhu Limaye : Shri S. M. Joshi :
Shri Kameshwar Singh : Shri Sequeira :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Govenment have sent any circular to the State Governments to get the recommendations of the Wage Boards implemented;

(b) if so, the details of the main recommendations and the legal remedies suggested; and

(c) the suggestion put forth by Central Government to implement the decisions of the industrial tribunals and Labour Courts likewise ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Such requests are made to State Governments whenever the report of a Wage Board is accepted and if the industry concerned happens to be in the 'State Sphere' for the purposes of the Industrial Disputes Act, 1947.

(b) The recommendations of Wage Boards are announced along with Government decisions. The recommendations have no statutory force and these are implemented through persuasion and advice.

(c) The State Governments have been requested to gear up their implementation machinery to secure speedy implementations of awards and agreements.

शराब की तस्करी

3186. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि हरियाना में शराब की कीमतें कम हो जाने के कारण अब दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में शराब चोरी छिपे ज्यादा आने लगी है ;

(ख) इस तस्करी को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) क्या दिल्ली में भी शराब की कीमतें कम करने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हरियाना सरकार ने अप्रैल 1967 से शराब की कीमतें घटा दी हैं, किन्तु हरियाणा से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में चोरी छिपे शराब लाये जाने के किसी मामले का पता नहीं लगा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दिल्ली–हिमाचल प्रदेश संयुक्त सेवा संवर्ग

3187. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के संयुक्त सेवा संवर्ग को अलग-अलग करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) इन दोनों राज्यों में केन्द्रीय संवर्ग के अधिकारियों की संख्या क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा केन्द्रीय सिविल सेवा है तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा केन्द्रीय पुलिस सेवा है। दिल्ली प्रशासन तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन कार्य करने वाले इन सेवाओं के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

दिल्ली प्रशासन	68
हिमाचल प्रदेश सरकार	50

पुनर्वास उद्योग निगम

3188. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री कं० हल्दर :
श्री भगवान दास :
श्री नायनार :
श्री रमानी :
श्री प० गोपालन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा (एक) चलाये गये तथा उसके स्वामित्वाधीन उद्योगों तथा (दो) उससे सहायता प्राप्त उद्योगों में कुल कितने शरणार्थियों को रोजगार दिया गया है;

(ख) पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा तैयार माल में से (31 मार्च, 1967 को) अनबिके माल का कुल मूल्य कितना था;

(ग) अनबिके कपड़े का मूल्य कितना था;

(घ) पिछले छः वर्षों में पुनर्वास उद्योग निगम को कुल कितनी हानि हुई; और

(ङ) पिछले एक वर्ष में स्थापित की गई सहकारी समितियों की संख्या कितनी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) 31–3–1967 की स्थिति।

(1) पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा अपनाई गई तथा चलाई जा रही औद्योगिक यूनिटों में लगभग 2,551 पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापितों को रोजगार पर लगाया गया था।

(2) 2,450 पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापितों को औद्योगिक यूनिटों में जिन्हें पुनर्वास उद्योग निगम ऋण के रूप में सहायता देती है, रोजगार पर लगाया गया था।

(3) लगभग 585 विस्थापितों को औद्योगिक यूनिटों में, जिन्हें पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा बनाई गई औद्योग बस्तियों मे आवास स्थान दिया गया है, रोजगार पर लगाया गया था।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

(घ) 1961–62 से 1965–66 तक पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा की गई संचयी हानियां कुल 41,09,082 रु० है। 1966–67 में हुई हानि के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जायेगी।

(ङ) पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा दो हाथ कर्घे सहकारी समितियों का संगठन किया गया है तथा इन्हें 1966 में पंजीकृत किया गया है।

कलकत्ता टेलीफोन विभाग

3189. श्री ज्योतिर्मय वसु :
श्री कं० हाल्दर :
श्री भगवान दास :
श्री रमानी :
श्री नायनार :
श्री प० गोपालन :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता के दैनिक समाचार पत्र "जुगान्तर" में हाल ही में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि कलकत्ता टेलीफोन विभाग का प्रबन्ध बहुत ही खराब है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) उपभोक्ताओं को देश सेवा के स्तर और टेलीफोन बिलों में अधिक चार्ज करने की शिकायतें मिली हैं। सेवा में सुधार करने की लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की जा रही है। इससे परियात का मौजूदा जमाव कम होगा, जिसके कारण समाचारों के मद में दी गई अधिकांश शिकायतें पैदा हुई। बिल बनाने के काम का भी यंत्रीकरण कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप टेलीफोन बिलों से सम्बन्धित शिकायतों की संख्या में काफी कमी हुई है।

आसाम में ग़ैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों के वेतन-क्रम

3190. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में सरकारी सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन तथा भत्ते दिये जाते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आसाम में इस योजना को क्रियान्वित करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बराबरी के आधार पर कितना अंशदान है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) : विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 737/67]**

अकादमियों को अनुदान

3191. श्री बि० ना० शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीन अकादमियों; अर्थात साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी तथा ललित कला अकादमी को वर्ष 1963-64, 1964-65 तथा 1965-66 में, वर्ष वार, कितनी राशि के अनुदान दिये गये ;

(ख) क्या सरकार ने इन अकादमियों को वर्ष 1966-67 में और अधिक सहायता दी थी जिससे वे अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ा सकें ;

(ग) साहित्य अकादमी अथवा साहित्य अकादमी के लिये प्रकाशकों ने अब तक कितनी पुस्तकें, भाषावार, प्रकाशित की हैं; और

(घ) पुस्तकों का अनुवाद कराने, सम्पादन कराने तथा उन्हें प्रकाशित कराने में साहित्य अकादमी ने कुल कितना धन खर्च किया है और उनकी बिक्री से अब तक कितनी आय हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) इन तीन अकादमियों को निम्नलिखित अनुदान दिये गये थे ;

	1963-64	1964-65	1965-66
		(लाख रुपयों में)	
1. साहित्य अकादमी	4.50	5.40	5.78
2. संगीत नाटक अकादमी	12.90	11.90	13.23
3. ललित कला अकादमी	5.75	6.50	4.80

(ख) जी, हां ।

(ग) 31 मार्च, 1967 तक स्वयं अकादमी ने 318 पुस्तकें तथा प्रकाशकों ने अकादमी के लिये 160 पुस्तकें प्रकाशित की थी जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	भाषा	स्वयं साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित की गई	साहित्य अकादमी के लिये प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गई
1.	आसामी	19	1
2.	बंगाली	21	4
3.	देवनागरी (लिप्पन्तर)	8	0
4.	अंग्रेजी	34	0
5.	गुजराती	7	15
6.	हिन्दी	35	25
7.	कन्नड़	14	24
8.	काश्मीरी	6	0
9.	मलयाली	23	19
10.	मराठी	23	10
11.	उड़िया	3	5
12.	पंजाबी	19	9
13.	संस्कृत	21	0
14.	सिन्धी	13	2
15.	तमिल	25	22
16.	तेलगू	16	23
17.	उर्दू	28	1
18.	नेपाली	2	0
19.	तिब्बती	1	0
		318	160

(छ) 31 मार्च, 1967 तक इस अकादमी ने प्रकाशनों के अनुवाद, सम्पादन आदि पर कुल 22,36,161.82 रुपये व्यय किये। शुद्ध बिक्री से, जिसमें रायल्टी आदि भी शामिल है, 8,04,026.97 रुपये प्राप्त हुए।

आसाम में चाय बागान के श्रमिक

3192. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के सिल्वर क्षेत्र में बहुत से चाय बागान श्रमिक प्रबन्धकों द्वारा मजूरी तथा राशन न दिये जाने के कारण भुखमरी का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

तमिल तथा हिन्दी से भिन्न भाषाओं में डाक विभाग के फार्मों की छपाई

3193. श्री सेझियान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीआर्डर फार्म और डाक व तार विभाग के अन्य फार्म सम्बन्धित राज्यों के लोगों द्वारा प्रयोग किये जाने के लिये तमिल तथा हिन्दी से भिन्न अन्य भाषाओं में छपाने के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो ये फार्म कब प्रयोग में आने लगेंगे ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) उन फार्मों को जो केवल स्थानीय रूप से प्रयोग में आते हैं, प्रादेशिक भाषाओं में छापने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इस मामले की मुद्रण तथा लेखन-सामग्री विभाग के परामर्श से, जिसे डाक-तार विभाग के फार्म छापने का काम सौंपा गया है, जांच की जा रही है।

Telegraph Office for Village Tokkhurd (M. P.)

3194. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Panchayat of village Tokkhurd, District Devas, Madhya Pradesh has submitted an application to the Posts and Telegraphs Department for opening a Telegraph Office there;

(b) whether it is also a fact that the business community of the said area is put to much hardship as there is no telegraph office upto the distance of twenty miles; and

(c) if so, the action taken in this matter ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes Sir.

(b) No Sir. There is a Telegraph Office at Bhonrasa (Distt. Devas) at a distance of 11 miles from Tokkhurd.

(c) The proposal for conversion of Tokkhurd Extra Departmental Branch Office into a combined Office with telegraph facilities on phonocom basis was approved, and the necessary estimate for the work of erecting telegraph line was sanctioned on 12-1-1967. The execution of the work has been delayed due to general shortage of stores. The work is expected to be completed during this financial year.

Uniforms to Class IV Employees

3195. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the rates at which Khadi and drill is purchased from the market to provide uniforms to class III and ciass IV elmployees;

(b) whether it is also a fact that Khadi, which is made available to class IV employees, is inferior in quality but costlier than the white drill;

(c) if so, the action being taken to remove this inconsistency; and

(d) whether Government propose to provide shirts also along with coats and pants; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) The cloth for uniforms for Class III and Class IV employees is obtained by the Ministries, etc. from the suppliers on rate contracts settled by the DGS & D. These rates vary from time to time,

(b) and (c) Since drill and Khadi are manufactured by different processes, their qualities are not comparable. However, the policy is to encourage the use of Khadi even if it is costlier or less durable.

(d) and (e) No such proposal is under consideration.

नक्सलबाड़ी में गड़बड़

3196. **श्री हेम बरुआ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी, जहां किसानों द्वारा किये गये विद्रोह में हाल में अनेक लोग मारे गये हैं, सीमा पर स्थित है तथा भारत के पड़ोसी कुछ देशों से बहुत दूर नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो हमारे इस सीमावर्ती क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाये रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है जैसी कि आसाम के मिजो जिले के मामले में की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) नक्सलबाड़ी क्षेत्र तीन थानों, अर्थात नक्सलबाड़ी, खारीबाड़ी तथा फन्सिदेव, के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। नक्सलबाड़ी थाना नेपाल की सीमा पर तथा फन्सिदेव थाना पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर है और नेपाल की सीमा तथा पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के बीच लगभग 20 मील की दूरी है।

(ख) राज्य सरकार ने हमें बताया था कि नक्सलबाड़ी तथा खारीबाड़ी कस्बों के क्षेत्रों में नियमित पुलिस गश्त की व्यवस्था की गई है। प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस दल को सुदृढ़ करने के लिये सशस्त्र पुलिस की दो कम्पनियां भी सिलीगुड़ी भेज दी गई है। यह समाचार भी मिला था कि खारीबाड़ी तथा नक्सलबाड़ी थाना क्षेत्रों में दो सुदृढ़ पुलिस शिविर स्थापित किये गये हैं। केन्द्रीय सरकार स्थिति से अवगत रहने के लिये राज्य सरकार से सम्पर्क बनाये हुए है।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

3197. **श्री द० रा० परमार :**
श्री सोमचन्द्र सोलंकी :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये की गई क्वार्टरों की व्यवस्था नितान्त अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या और अधिक क्वार्टरों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) अहमदाबाद में जहां कर्मचारियों की संख्या 3302 है 208 विभागीय और 24 किराये के क्वार्टर उपलब्ध हैं। विभागीय क्वार्टरों की प्रतिशत 6.3 है जबकि अखिल भारतीय औसत प्रतिशत 4.2 है।

(ख) अतिरिक्त मकानों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव हैं। फंड उपलब्ध होने पर उन पर कार्यवाही की जाएगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम जर्मनी से मुद्रणालय की मशीनें

3198. **श्री कन्डप्पन :**
श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी की सरकार ने सस्ती पाठ्यपुस्तकें छापने के लिये उपहार स्वरूप तीन मुद्रणालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में अनुचित विलम्ब हुआ है अथवा कोई हिचकिचाहट हो रही है; और

(ग) क्या निकट भविष्य में इस प्रस्ताव के स्वीकार हो जाने की कोई सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार की ओर से प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, किन्तु दोनों सरकारों के बीच करार को अन्तिम रूप देने में कुछ देरी हो गई है।

(ग) जी, हां।

नेहरू अधिछात्रवृत्ति

3199. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेहरू अधिछात्रवृत्ति की निधि स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस अधिछात्रवृत्ति की राशि कितनी है; और

(ग) क्या नेहरू की पुस्तकों पर मिलने वाली रायल्टी में से कुल राशि इस निधि को दी जायेगी।

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां। जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि ने जवाहरलाल नेहरू जी की पिछली निधन निधि के अवसर पर मई, 1967 में जवाहरलाल नेहरू अधिछात्रवृत्ति प्रारम्भ करने की घोषणा की है।

(ख) अधिछात्रों को दी जाने वाली अधिछात्रवृत्ति की राशि, चुनाव के समय उन्हें मिलने वाले वेतन से डयोढी होगी, किन्तु 3000 रुपये मासिक से ज्यादा नहीं। जिन व्यक्तियों को वेतन नहीं मिलता है, उनके लिए इस सीमा के अन्तर्गत अधिछात्रवृत्ति की राशि निर्धारित करना चयन-समिति के विवेकाधीन होगा।

(ग) सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

उच्चतम न्यायालय में मुकद्दमें

3200. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1 जनवरी, 1967 को कितने-कितने मुकद्दमें अनिर्णीत पड़े थे;

(ख) उपरोक्त न्यायालयों में कितने मुकद्दमें दायर किये गये थे तथा कितने मुकद्दमें उपरोक्त न्यायालयों में मूलतः दायर किये गये मुकद्दमों में से उत्पन्न हुये हैं;

(ग) विभिन्न न्यायालयों में अनिर्णीत पड़ा हुआ सब से पुराना मामला कितना पुराना है; और

(घ) प्रत्येक न्यायालय में कितने कितने न्यायाधीश हैं तथा वे प्रति वर्ष औसतन कितने कितने मुकद्दमों में निर्णय देते हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 738/67**]।

(ख) और (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में डाकघर

3201. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने शाखा डाकघर तथा उप-डाकघर हैं;

(ख) प्रत्येक डाकखाने के अन्तर्गत कितने गांव हैं;

(ग) 1967-68 में मध्य प्रदेश में कितने उप-डाकघर तथा शाखा डाकघर खोलने तथा अपग्रेड करने का प्रस्ताव है;

(घ) मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर और होशंगाबाद जिलों में इस समय कितने उप-डाकघर तथा शाखा डाकघर हैं; और

(ङ) 1967–68 में उक्त जिलों में कितने उप-डाकघर तथा शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) शाखा डाकघर 4,949

उप-डाकघर 708

(ख) औसतन 12

(ग) यदि नये शाखा डाकघर खोलने पर लगी पाबन्दी उठा ली जाए और निर्धारित मानक पूरे होते हों तो 1967–68 में 7 उप-डाकघर 201 शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ।

तीन विभागीय उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें प्रधान डाकघर बनाने, तीन अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागीय उप-डाकघर बनाने और 23 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागीय उप-डाकघर बनाने का प्रस्ताव है ।

		उप-डाकघरों की संख्या	शाखा डाकघरों की संख्या
(घ)			
	जिला नरसिंहपुर	8	114
	जिला होशंगाबाद	29	132
(ङ)	जिला नरसिंहपुर	1	2*
	जिला होशंगाबाद	–	1*

*बशर्ते कि पाबन्दी उठा ली जाए ।

होशंगाबाद में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी

3202. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1966 से 1 जनवरी, 1967 तथा 1 जून, 1967 को होशंगाबाद जिले में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों की संख्या क्या थी और इस समय उनकी संख्या कितनी है;

(ख) इस संख्या में कमी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें उस जिले में होशंगाबाद, सोहागपुर और अन्य स्थानों में न बसाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) निम्नांकित तिथियों में होशंगाबाद जिले के शिविरों में पूर्व पाकिस्तान से आये प्रव्रजकों की संख्या इस प्रकार थी :—

1-1-1966	2,053 परिवार (9,319 व्यक्ति)
1-1-1967	1,439 परिवार (6,726 व्यक्ति)
3-6-1967	1,437 परिवार (6,712 व्यक्ति) (जून 1967 के लिये 3-6-1967 को समाप्त होने वाले सप्ताह तक के आंकड़े प्राप्त हैं)

(ख) इस संख्या में कमी परिवारों के पुनर्वास स्थलों या अन्य शिविरों में चले जाने तथा अभित्याग के कारण हुई है।

(ग) पूर्व पाकिस्तान से आये प्रव्रजकों को तावा सिंचाई योजना में प्राप्त अस्थाई रोजगार से लाभ उठाने के लिये होशंगाबाद जिले के कार्य स्थल शिविरों में भेजा गया था और उन्हें इस जिले में स्थायी रूप से पुनर्व्यवस्थित करने का निश्चय नहीं किया गया था। फिर भी इनमें से थोड़े से परिवारों को होशंगाबाद जिले में बसाने के लिये दो योजनाएं मंजूर की गई हैं, ये इस प्रकार हैं :—

(i) होशंगाबाद, इटारसी, हार्दा तथा सौहागपुर शहरी क्षेत्रों में 170 नये प्रव्रजक परिवारों को लघु व्यापार तथा व्यवसाय पर पुनर्व्यवस्थापन के लिये योजना।

(ii) 100 एकड़ भूमि पर नये प्रव्रजकों के 20 कृषक परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन के लिये एक योजना।

मध्य प्रदेश में पहली और दूसरी श्रेणी के कर्मचारी

3203. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार के कितने कर्मचारी केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी पहली और दूसरी श्रेणी के अधिकारी हैं; और

(ग) उनमें से कितने कर्मचारियों को रिहायशी मकान दिये जा चुके हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Vir Savarkar Commemorative Stamps

3204. **Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri Prakash Vir Shastri ; Shri Shiv Kumar Shastri : Shri Ram Gopal Shalwale ; Shri Ram Avtar Sharma : Dr. Surya Prakash Puri : Shri Arjun Singh Bhadoria ;**

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether Government propose to issue postal stamp in memory of the freedom-fighter the late Vir Savarkar; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications. (Shri I. K. Gujral) : (a) No such proposal is at present under consideration.
(b) Does not arise.

Hindi Teleprinters

3205. Shri Y. S. Kushwah : Shri Shiv Kumar Shastri : Shri Atam Das : Shri R. Shastri : Shri Prakash Vir Shastri : Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the number of Teleprinters manufactured in the factory at Madras in 1966 in Devanagri and Roman scripts respectively ;

(b) the number of those teleprinters in Devanagari script which were of page type and tape-type respectively ;

(c) whether any Hindi News Agency had asked for Hindi teleprinters and if so, the date on which the demand was made and the number of teleprinters which have been supplied to that Agency;

(d) whether the proposal of setting up a new plant for the manufacture of teleprinters in Devanagri script is under consideration of Government; and

whether any effort is being made to procure teleprinter in Devanagri script from any foreign country ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Afiairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) During the year 1966, 2361 unit teleprinters were manufactured in Roman script. No teleprinters were manufactured in Devanagri script.

(b) Does not arise.

(c) Yes, sir. A Hindi News Agency had booked orders for Hindi Teleprinters in the year 1966. As a new Devanagri key-board for teleprinters was standardised during that year and the News Agency desired machines with the new key-board, it was agreed that the supplies may be effected in about 2 years, i. e., by 1968.

(d) No, Sir. The teleprinters in Devanagri script will be manufactured in the existing unit of the teleprinter factory at Madras.

(e) No, Sir. The manufacture of teleprinters in Devanagri script is expected to commence in the factory itself in about a year's time.

दिल्ली में प्राथमिक पाठशालाओं का पाठ्यक्रम

3206. श्री आत्म दास : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में प्राथमिक कक्षाओं की पुस्तकों का पाठ्यक्रम बदल गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नये पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकें बाजार में नहीं मिलती, क्योंकि वे अभी तक प्रकाशित नहीं हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो इन पुस्तकों के कब तक प्रकाशित होने तथा बाज़ार में बिकने की आशा है, जिससे कि छात्र अपने अपने अध्यापकों द्वारा घर पर करने के लिये दिये गये काम को पूरा कर सकें; और

(घ) समय पर पुस्तकें प्रकाशित न कराने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क)जी हां, दिल्ली प्रशासन द्वारा निम्नलिखित विषयों और कक्षाओं से संबंधित पाठ्यचर्याओं में 1967–68 से संशोधन कर दिया है :—

(i) कक्षा II के लिए हिन्दी।

(ii) कक्षा I, II, III, IV, और V के लिए समाज-अध्ययन।

(ख) जी हां। जहां तक कक्षा III से V तक के लिये समाज-अध्ययन की पाठ्य-पुस्तकों का संबंध है।

(ग) जून, 1967 के अन्त तक।

(घ) मुद्रण की कठिनाइयों के कारण।

निश्चित अवधि से अधिक समय तक भारत में ठहरे पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की गिरफ्तारी

3207. **श्री आत्म दास** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ जिले में भुज में पांच पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को हाल में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वे अपनी निश्चित अवधि पूरी हो जाने के बाद दस वर्षों से वहां रह रहे हैं;

(ख) क्या उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या वे पाकिस्तानी जासूस हैं, जो भारत में जासूसी कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां। उनमें दो व्यक्ति पाकिस्तान भेजे जा चुके हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) उनमें से कोई व्यक्ति जासूसी के कार्य में लगा हुआ नहीं पाया गया है।

शिलांग में पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय

3208. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1962 के राष्ट्रीय संकट के समय शिलांग स्थित पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय राष्ट्र की सेवा नहीं कर सका था और इसे गौहाटी ले जाया गया था ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि आसाम में पास्ट मास्टर जनरल के कार्यालय को शिलांग से हटाकर गोहाटी ले जाने के लिये आसाम में निरन्तर मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं। पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय शिलांग में ही रहा। पोस्ट मास्टर जनरल और निदेशक, तार ने गोहाटी में ही अपने शिविर कार्यालय रखे थे।

(ख) और (ग) – पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय शिलांग से गौहाटी ले जाने के अभ्यावेदनों की जांच की गई थी। यह निश्चय किया गया कि पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय शिलांग में रहना चाहिए।

ब्रिटेन में सागर वर्णना शास्त्रियों का सम्मेलन

3209. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री शंकर राव माने :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि ब्रिटेन में सागर वर्णना शास्त्रियों के हाल में हुए सम्मेलन में एक यह निष्कर्ष भी निकला है कि समुद्र में इतने प्रोटीन हैं जो संसार की छः गुनी जन संख्या के लिये पर्याप्त होंगे,

(ख) क्या न निकाले गये इस विशाल खाद्य भण्डार तथा खनिज धन को निकालने का सरकार का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : संदर्भित सागर वर्णना शास्त्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की सरकार को जानकारी नहीं है, किन्तु यह तथ्य कि समुद्र में काफी मात्रा में प्रोटीन विद्यमान है, सर्वविदित है।

(ख) और (ग) मछली पकड़ने के सुधरे हुए तरीके तथा अन्य सहायक तरीके अपनाकर सरकार मछली उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। एक व्यापक मछली आयोजना को आमतौर पर अनुमोदित किया गया है और बहुत सी योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं. उनमें से प्रमुख हैः तट से दूर पानी में तथा गहरे समुद्र में पावर नौकाओं से मछली पकड़ना।

तट से दूर के क्षेत्रों में खनिज तेल साधनों के अनुसंधान तथा खोज के लिए भी बातचीत चल रही है।

प्रशासनिक सुधार आयोग

3210. श्री याज्ञिक : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग ने अब तक किन किन विषयों पर कितने अन्तरिम प्रतिवेदन प्रकाशित किये हैं तथा संसद के समक्ष पेश किये हैं ;

(ख) इस आयोग ने अब तक कितने अध्ययन दल नियुक्त किये हैं तथा उनके कितने प्रतिवेदन संसद् के समक्ष पेश किये जा चुके हैं;

(ग) क्या किसी अध्ययन दल की सिफारिशें समाचार पत्रों में छापी गई हैं हालांकि उनके प्रतिवेदन अभी संसद् के सामने पेश नहीं किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बात के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि भविष्य में ऐसी अनधिकृत रिपोर्टों को संसद में पेश किये जाने से पहिले समाचार पत्रों को उनका पता न लग सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग अब तक सरकार को दो अन्तरिम प्रतिवेदन एक जनता की शिकायतें दूर करने के बारे में और दूसरा आयोजन के लिये व्यवस्था के बारे में – प्रस्तुत किये हैं। इन प्रतिवेदनों की प्रतियां संसद् के दोनों सभा पटलों पर रखी गई हैं।

(ख) इस आयोग ने उन्नीस अध्ययन दल तथा तीन कार्यकारी दल नियुक्त किये हैं।

दस अध्ययन दलों ने आयोग को अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं, इनमें से दो प्रतिवेदन अन्तरिम प्रतिवेदन के रूप में हैं। इनमें से दो ही प्रतिवेदन संसद्–पुस्तकालय में रखे गये हैं।

(ग) और (घ) आयोग ने तीन अध्ययन दलों के प्रतिवेदन प्रकाशन के लिये प्रेस को दे दिये हैं। इन प्रतिवेदनों का उद्देश्य आयोग को अपने निष्कर्ष निकालने में सहायता करना है और इसलिए इन्हें संसद् में प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सागर-वर्णना की भारतीय संस्था

3212. **श्री हीरजी भाई : श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के तटवर्ती सागर में तेल की जोरदार खोज आरम्भ करने के लिये सागर–वर्णना की भारतीय संस्था द्वारा तैयार की योजना को क्रियान्वित किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ;

विदेशियों को भारत छोड़ने का आदेश

3213. **श्री ख० प्रधानी : श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1967 में कितने विदेशियों को भारत छोड़ने के लिये कहा गया है; और

(ख) प्रत्येक मामले में ऐसा करने के क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

गांधी भवन

3214. श्री ख० प्रधानी : श्री धुलेश्वर मीना : श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **शिक्षा** मंत्री 29 मार्च, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 165 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच और विश्वविद्यालयों में भी गांधी भवनों ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि, हां, तो किन किन विश्वविद्यालयों में ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पोस्ट कार्डों पर हुई हानि

3215. श्री सूरज भान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार को प्रति पोस्ट कार्ड लगभग तीन पैसे की हानि होती है और पोस्ट कार्ड मुख्यतः बड़े व्यापार गृहों द्वारा बड़ी संख्या में प्रयोग में लाये जाते हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों अथवा फर्मों के लिये, जो अपने ग्राहकों के लिये बड़ी संख्या में पोस्टकार्ड छपवाते हैं, कोई लाइसेंस प्रणाली आरम्भ करने की वांछनीयता पर विचार किया है जिससे कि पोस्ट कार्ड पर होने वाली हानि कम की जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो यह हानि कम से कम हो इसके लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) प्रति पोस्ट कार्ड लगभग चार पैसे की हानि होती है। फिर भी, यह सही नहीं है कि पोस्ट कार्ड मुख्यतः बड़े व्यापार-गृहों द्वारा प्रयोग में लाये जाते हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) चूंकि पोस्टकार्ड सभी श्रेणी के ग्राहकों द्वारा प्रयोग में लाये जाते हैं, अतः इस समय उसकी दरों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी अतिरिक्त राजस्व बढ़ाने के लिए डाक-तार विभाग द्वारा प्रदत्त कुछ सेवाओं की शुल्क दरें बढ़ाने का प्रस्ताव है।

गोश्रा में गैर-सरकारी स्कूलों के लिए सहायता

3216. **श्री शिंकरे :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ के स्वतन्त्र होने के पश्चात् से उस राज्य क्षेत्र में गैर-सरकारी स्कूलों तथा हाई स्कूलों के लिये क्रमशः शुल्क तथा स्कूलों की इमारतों के निर्माण पर सहायता अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष कितना धन खर्च किया गया,

(ख) धार्मिक संस्थाओं तथा धर्म प्रचारक संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले प्राथमिक स्कूलों तथा हाई स्कूलों के लाभार्थ सहायक अनुदान के रूप में कुल कितनी राशि दी गई;

(ग) सामाजिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे स्कूल को कितना सहायक अनुदान दिया गया; और

(घ) उन संस्थाओं द्वारा इस धन का दुरुपयोग न किया जाये क्या इसके लिये कोई सरकारी व्यवस्था है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रमिक प्रबन्धक परिषदें

3217. **श्री शि० चं० झा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमि-प्रबन्धक परिषदों ने गैर-सरकारी तथा सरकारी उपक्रमों में श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के बीच के मतभेदों को कम करने में बहुत सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में श्रमिक-प्रबन्धक परिषदों में यदि कोई परिवर्तन करने का विचार है तो क्या ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, जब कभी इन परिषदों ने, जो कि संयुक्त प्रबन्ध परिषदें कही जाती हैं, अच्छा काम किया है, वे श्रमिकों और प्रबन्धकों के सम्बन्ध बेहत्तर बनाने में सहायक हुई हैं।

(ख) संयुक्त प्रबन्ध परिषद की योजना में चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है। इस योजना को अधिकाधिक प्रतिष्ठानों में आरम्भ करने के प्रयत्न किये जायेंगे।

नई दिल्ली में झुग्गियों में आग लगने की घटना

3218. श्री म० ला० सोंधी :
श्री प० मु० सैयद :
श्री किकर सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में अनेक झुग्गियों तथा झोंपड़ियों (हटमेंट्स) में हाल में आग लग गई थी;

(ख) आग लग जाने की घटनाओं के परिणाम स्वरूप कुल कितनी हानि हुई;

(ग) दुर्घटना-पीड़ित व्यक्तियों को कितना प्रतिकर दिया गया;

(घ) आग न लगने पाये तथा यदि आग लग भी जाये तो उससे कम से कम हानि हो, इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) झोंपड़ी निवासियों की सुरक्षा के लिये सरकार का वर्तमान व्यवस्था में क्या सुधार करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) 1 अप्रैल, 1967 से 6 जून, 1967 तक की अवधि के लगभग 42,000 रुपये की।

(ग) मिन्टो ब्रिज रेलवे स्टेशन के निकट स्थित झुग्गियों में रहने वाले जिन लोगों को 31 मई, 1967 को आग लगने से क्षति हुई है उन्हे नई दिल्ली नगर पालिका ने प्रति झुग्गी 40 रुपये की दर से 4,640 रुपये का तदर्थ अनुदान दिया है।

(घ) और (ङ) आग लगने की सभी घटनाओं में घटना स्थथ पर आग बुझाने की तत्काल व्यवस्था की गई तथा कम से कम समय में आग पर नियन्त्रण पा लिया गया। झुग्गी झोपड़ियों को हटाने की योजना के अन्तर्गत सभी झुग्गियों तथा सरकारी भूमि पर किये गये अनधिकृत मकानों को हटाया जायेगा और अनधिकृत मकानों में रहने वाले हकदार लोगों को दूसरे स्थानों पर मकान दिये जायेंगे। अब तक 22,000 परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत विकास की गई नई कालोनियों में मकान दिये गये हैं।

हरियाणा तथा पंजाब के लिये एक ही राज्यपाल

3219. श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री काशीनाथ पांडेय :
श्री बेणीशंकर शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हरियाणा के मुख्य मंत्री अब इस बात के लिये सहमत हो गये हैं, कि पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिये एक ही राज्यपाल नियुक्त किया जाय; और

(ख) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क)और (ख) 8 दिसम्बर 1967 को राज्य-सभा में मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि यदि दोनों में से कोई राज्य सरकार हरियाणा और पंजाब के लिये पृथक पृथक राज्यपालों की नियुक्ति की सिफारिश करेगा तो उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। पंजाब के मुख्य मंत्री ने इन दोनों राज्यों के लिये पृथक पृथक राज्यपाल नियुक्त करने की प्रार्थना की है। हरियाणा के मुख्य मंत्री ने चण्डीगढ़ के भविष्य के प्रश्न के बारे में अन्तिम निर्णय होने तक दोनों राज्यों के लिये एक ही राज्यपाल की इच्छा व्यक्त की है किन्तु यह भी कहा है कि यदि पंजाब सरकार ने उस राज्य के लिये पृथक राज्यपाल का प्रस्ताव किया है, तो हरियाणा के लिये भी एक पृथक राज्यपाल अवश्य होना चाहिये। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दोनों राज्यों के लिये पृथक पृथक राज्यपाल नियुक्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

सुरक्षित विषयों पर दिल्ली महानगर परिषद में प्रश्नों के उत्तर

3220. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के कार्यकारी पार्षदों को निदेश दिये हैं कि वे महानगर परिषद् की बैठकों में सुरक्षित विषयों के बारे में प्रश्नों के उत्तर न दें ;

(ख) क्या यह सच है कि उप राज्यपाल ने परिषद् को यह आश्वासन दिया है कि परिषद् के सत्र में सुरक्षित विषयों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी दिये जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो इस परिवर्तन के कारण क्या हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) ; (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली के कार्यकारी पार्षदों को कोई ऐसा निदेश नहीं दिया है, कि वे महानगर परिषद् की बैठकों में सुरक्षित विषयों के बारे में प्रश्नों के उत्तर न दें। दिल्ली के उप-राज्यपाल ने 30 मार्च, 1967 को महानगर परिषद के सामने भाषण देते हुए अन्य बातों के साथ यह भी कहा था कि महानगर परिषद को सुरक्षित विभागों के कार्यों के बारे में अवगत कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी, यदि ऐसा करना जनहित के विरुद्ध न हो। इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री अर्जुन अरोड़ा. राज्य-सभा सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST SHRI ARJUN ARORA, RAJYA SABHA MEMBER

अध्यक्ष महोदय : अब हम विशेषाधिकार के प्रश्न को लेंगे। श्री यादव यहां नहीं हैं। श्री राममूर्ती।

श्री राममूर्ती (मदुरै) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कल इस सभा में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य को देखते हुए कि राज्य सभा के एक सदस्य श्री अर्जुन अरोड़ा द्वारा श्री सत्य नारायण सिंह तथा श्री कृष्णचन्द्र पन्त, जो मंत्री और इस सभा के सदस्य हैं, पर लगाये गये आरोप साबित नहीं किये गये, निराधार आरोप लगाने के कारण श्री अर्जुन अरोड़ा के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न राज्य सभा के सभापति को सौंपा जाये ताकि वह राज्य सभा तथा लोक-सभा की विशेषाधिकार समितियों द्वारा 1954 में की गई संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जिसे संसद् की दोनों सभाओं ने स्वीकार किया था, कार्यवाही करें।"

अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने कहा है कि राज्य सभा के एक सदस्य श्री अर्जुन अरोड़ा ने इस सदन के दो सदस्यों श्री सत्य नारायण सिंह तथा श्री कृष्ण चन्द्र पन्त के विरुद्ध आरोप लगाये थे कि वे बिड़ला से धन प्राप्त कर रहे थे। प्रधान मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने इस मामले को अपने मंत्रिमण्डल के दो सहयोगियों को सौंप दिया था और वह तथा प्रधान मंत्री स्वयं इस परिणाम पर पहुंची कि यह आरोप निराधार हैं। मुझे इस समय यह चिन्ता नहीं है कि यह आरोप ठीक थे अथवा गलत बल्कि यह कि इस सदन के दो सदस्यों के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं और यह कोई साधारण आरोप नहीं हैं। इनका अर्थ यह है कि वे दो सदस्य अपना कार्य संविधान के अन्तर्गत ली गई शपथ के अनुसार नहीं कर रहे थे और न ही वे जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य का कार्य कर रहे थे बल्कि वे तो बिड़ला का कार्य कर रहे थे। इसका अर्थ यह हुआ कि वे दोनों सदस्य इस सभा के सदस्य होने योग्य नहीं हैं। और मंत्री बनने के भी योग्य नहीं है। इन आरोपों को हम बिना चुनौती दिये नहीं जाने देंगे क्योंकि इस व्यक्ति ने इस सदन का अपमान किया है। मैं चाहता हूँ कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये जहां उस व्यक्ति को भी अपना पक्ष पेश करने का अवसर मिल सके। परन्तु मुझे मालूम हुआ है कि इस सदन तथा दूसरे सदन के बीच पहले से एक समझौता है कि यदि किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन के सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाये तो जिस सदन के सदस्य के विरुद्ध आरोप है वही सदन उसकी जांच करेगा। क्योंकि यह आरोप उस सदन के अन्दर नहीं लगाये गये थे जिसके वह सदस्य हैं इसलिए इस सदन को अधिकार है कि यह सदन स्वयं ही इनकी जांच करे।

यह इस सदन के मान का प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि इसे राज्य सभा के सभापति के पास भेज दिया जाये। जिससे इस मामले को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निबटाया जा सके।

Shrj K. N. Tiwary (Betia) : When Shri P. Ramamurti was speaking it appeared to me as if the "devil was quoting the scriptures". We have never taken notice of the fact when he heard about the allegation against the members of the opposition that they receive money from U. S. A. and Russia. But they have now picked up the allegation made by Shri Arora and are trying to malign the treasury benches. This was just a party matter.

अध्यक्ष महोदय : यह तमाम बात तो कल समाप्त हो गई। अब तो सदन के सामने केवल विशेषाधिकार का प्रश्न है।

Shri K. N. Tiwary : Such matters have never been allowed in this House. After the Prime Minister's statement this matter should have been closed.

श्री लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : इस बारे में कानूनी स्थिति क्या है। हमें पहले विधि मंत्री को सुनना चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : One member said now that since it concern the privileges of Rajya Sabha we should proceed on the old lines. The rights of members of Parliament are governed by Article 105 of the Constitution.

The allegations made by Shri Arjun Arora are not governed by the privileges of the other House. Hence we can take up this matter here.

I want the allegations levelled by Shri Arjun Arora and the comments made on the same by the colleagues of the Prime Minister who exoverated him may be placed before the House so that the same may be gone through.

This is not the only case concerning the member of the House. There is another case too which pertains to Shri Sheel Bhadra Yajee and Dr. Lohia. I therefore want to put a substitute motion.

Mr. Speaker : That is a separate matter.

श्री सन्त बक्स सिंह (फतेहपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हम केवल प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर ही इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को नहीं ले सकते। सब से पहले तो श्री अरोड़ा के वक्तव्य की एक प्रति आपके पास आनी चाहिए और आप उसे पढ़ने के बाद ही विशेषाधिकार समिति के पास भेज सकते हैं। उस पर यहां चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : महोदय, मेरे विचार में श्री अरोड़ा के विरोध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक कि उन्हें अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जाता। इससे पहले भी दो पूर्व दृष्टान्त हैं। एक बार स्व० नेहरू ने अपने एक सहयोगी के विरुद्ध आरोप उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को जांच के लिए सौंपे थे। ऐसे ही एक वार स्व० श्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने सहयोगी श्री ति० त० कृष्णमाचारी का मामला उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के पास भेज दिया। इस कारण जब तक श्री अरोड़ा को अवसर नहीं दिया जाता उनका मामला विशेषाधिकार समिति को नहीं सौंपा जा सकता।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : श्री राममूर्ति को यह मामला कल ही उठाना चाहिये था। अब तो यह मामला ही नहीं उठता। यह नियम के विरुद्ध है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Sadar Delhi) : Shri P. Ramamurti has based his case on the assumption that the allegations levelled by Shri Arora are wrong. It has not been established that what he said was wrong. Since the allegations were made outside the

House the Minister's should have filed a case of defamation. The House did not ask the Prime Minister or any direction to make enquiry in this regard.

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : श्री राममूर्ति के प्रस्ताव पेश करने से ऐसा प्रतीत होता था कि उनके मन में भी कुछ असाधारण स्थिति थी। श्री अर्जुन अरोड़ा दूसरे सदन के सदस्य हैं। वह वक्तव्य भी उन्होंने अपने दल की बैठक में दिया था तथा दल के नेता के सामने दिया था। श्री राममूर्ति ने स्वयं कहा है कि अध्यक्ष महोदय इस मामले को राज्य सभा के अध्यक्ष के पास भेज दें। श्री हेम बरुआ ने कहा कि विशेषाधिकार का इस मामले में प्रश्न ही नहीं उठता।

मेरा कहना भी यही है कि विशेषाधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि आप फिर भी इस पर कार्यवाही करना चाहते हैं तो राज्य सभा के सभापति से बात कर लीजिये तथा श्री अर्जुन अरोड़ा का वक्तव्य ले लीजिये क्योंकि इस कठिन समस्या में ऐसा करना उचित होगा।

श्री राममूर्ति : कुछ प्रश्न उठाये गये हैं मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं।

श्री गोविन्द मेनन ने कहा है कि कुछ असाधारण बात है। श्री मेनन को शायद पता नहीं है कि 1954 में राज्य सभा तथा लोक सभा की विशेषाधिकार समितियों में मिलकर एक समझौता हुआ था। जिसका सम्बन्ध ऐसे मामलों से था जहां किसी एक सदन के सदस्य की दूसरे सदन के सदस्य द्वारा बदनामी की गई हो। उस समझौते का दोनों सदनों ने अनुसमर्थन किया था। वह इसी प्रकार के मामलों को निपटाने के लिए था। उस प्रक्रिया के अनुसार हम यह मामला राज्य सभा के सभापति के पास भेज देंगे और वह उसे अपने सदन का अपमान समझ कर ही उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अर्जुन अरोड़ा द्वारा आरोपों के लगाये जाने को यह कह कर समाप्त नहीं किया जा सकता कि वह तो दल की बैठक में लगाया था। उससे इस सदन के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते क्योंकि यह मामला अब बाहर आ गया है और प्रधान मंत्री ने स्वयं इस सम्बन्ध में इसी सदन में वक्तव्य भी दे दिया है। यह आरोप सत्य है अथवा असत्य यह फैसला करना विशेषाधिकार समिति का है। इसलिए इस सदन को इसकी जांच करने का पूरा अधिकार है।

श्री कार्तिक ओरांओं (लोहरदगा) : यह मामला दल की बैठक में तथा उसके नेता के सामने उठाया गया था। यदि यह बाहर उठाया जाता तो न्यायालय में भी ले जाया जा सकता था।

जो एक निजी बैठक में हुआ है वह इस सभा का विषय नहीं बन सकता तथा इस सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब इस पर तीन चार दिन से चर्चा चल रही है। प्रधान मंत्री ने भी इस पर यहां वक्तव्य दिया है। इसलिए इसे यह कह कर समाप्त नहीं किया जा सकता कि यह किसी दल का निजी मामला है।

जैसा कि श्री राममूर्ति ने कहा कि इसके बारे में एक प्रक्रिया है। मैं इसको अब सभा के निर्णय के लिए छोड़ता हूँ कि वह ही फैसला करे।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : विधि मंत्री ने कहा कि वह बाद में इस पर कुछ कहना चाहेंगे। फिर हम भी बाद में ही कुछ कहेंगे।

इसमें दो मंत्रियों पर आरोप लगे हैं और इस कारण हम सब उत्तेजित हैं। सभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेज सकते हैं। इस मामले में यह संयुक्त समिति हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे संयुक्त समिति के पास नहीं भेज सकता। मैं इसे राज्य सभा के सभापति के पास भेज सकता हूँ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : आप दो कार्य कर सकते हैं। एक तो यह कि आप स्वयं इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेज सकते हैं और जब उसका प्रतिवेदन आये तो इस पर सदन विचार कर सकता है। दूसरा यह कि यदि न्यूनतम निर्धारित संख्या में सदस्य खड़े हो जायें तो आप इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेज सकते हैं और सारे सदन के सामने रखने का प्रश्न ही नहीं होगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, you have decided that it cannot be referred to the Privileges Committee of this House. It will have to go to the Privileges Committee of the other House and they will take action on it as if contempt of a member of that House itself has been committed. Before doing so you please ask the opinion of the members on that side as they are speaking in different tones. If they have got any objection, you can take the leave of the House.

श्री राममूर्ति (मदुरै) : अब मैं इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से पेश करता हूँ। अब आप ने कहा है कि सारा सदन इस पर निर्णय लेगा तो सारे सदन की इस पर चर्चा होनी चाहिए।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha then re-assembled after lunch at Fourteen of the Clock.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker *in the Chair*

अध्यक्ष महोदय : इसे राज्य सभा भेजने से पूर्व हमें निर्णय करना चाहिए कि इसे वहां भेजना भी चाहिए अथवा नहीं।

विधि-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : हमारे विचार में जो तथ्य अब तक आये हैं उनसे विशेषाधिकार भंग नहीं हुआ है।

श्री रंगा : अध्यक्ष महोदय, यदि मैं सरकारी पक्ष के स्थान पर होता तो इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भिजवा देता ताकि देशवासियों को यह विश्वास तो रहता कि यह सरकार जनता से कुछ छुपाना नहीं चाहती और मंत्रियों ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है।

श्री हेम बरुआ ने बताया कि पीछे इसी प्रकार के मामलों में उस समय के प्रधान मंत्रियों ने क्या किया।

यह मामला इतना बढ़ गया है कि इसे प्रधान मंत्री तथा उसकी उप-समितियों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता।

मैं सरकार तथा सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्ताव को राज्य-सभा के सभापति के पास भेज दिया जाये और वहां की विशेषाधिकार समिति इसकी पूरी जांच करे। ऐसा होने पर ही सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा हो सकेगी।

Shri A.B. Vajpayee (Balrampur) : Sir, the Prime Minister has now made a statement in the House and named two Ministers' also against whom Shri Arjun Arora levelled charges. Hence it no longer remains a matter of purely party affairs.

The best course in the circumstances is to refer it to the Chairman of Rajya Sabha so that their Privileges Committee may take a decision on it. I have tabled a privilege motion against Shri S. N. Banerjee also as he initially mentioned the names of these two Ministers. I want to know whether you will take it up tomorrow.

अध्यक्ष महोदय : उस पर मैं विचार कर रहा हूं। अभी कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मैं व्यवस्था के प्रश्न को लेकर खड़ा हुआ हूं। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि परम्पराओं के अनुसार कोई नया विशेषाधिकार स्थापित नहीं कर सकते।

Shri Madhu Limaye : Sir, under Rule 225 (2), we can speak on Shri P. Ramamurti's motion only after 25 members stand up to support it. After that Shri Ramamurti will move his motion and then the regular debate will follow.

श्री गोविन्द मेनन : यह नियम तो लोक सभा की विशेषाधिकार समिति को सौंपने के बारे में है। परन्तु श्री राममूर्ति ने तो दोनों सदनों के बीच हुए समझौते के अन्तर्गत इसे पेश किया है।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Sir, we want to protect our two Ministers who are members of this House against the allegations levelled by Shri Arjun Arora.

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये का कहना है कि पहले सदन की अनुमति प्राप्त की जाये। परन्तु सरकारी पक्ष इसे पेश करने का विरोध नहीं कर रहा बल्कि मुख्य प्रस्ताव का विरोध कर रहा है।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) **:** महोदय नियम संख्या 370 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री को चाहिये कि वे सारे पत्र सभा-पटल पर रखे जिनमें उनके सहयोगियों ने दो मंत्रियों के बारे में परामर्श दिया है। जब तक ऐसा नहीं होता इस सदन के सदस्यों को ठीक निर्णय पर पहुंचना कठिन हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सरकार का नहीं है बल्कि श्री राममूर्ति का है। इसलिए वे कागज़ात रखना श्री राममूर्ति का कार्य है।

श्री सेझियान : इन कागज़ात का रखना स्वयं मंत्रियों के भी हक में है। मैं श्री राममूर्ति के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इसे राज्य सभा के सभापति के पास भेजा जाये।

श्री ही० ना० मुखर्जी : महोदय, यद्यपि यह आरोप सरकार के मंत्रियों के विरुद्ध हैं परन्तु हमें इन पर ध्यान देना होगा ताकि इस सदन का मान सुरक्षित रहे। मैं चाहता हूँ कि उस ओर के सदस्य भी इसे गलत न समझें। जब उन व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाये जाते हैं जो बड़े ऊंचे पदों पर विराजमान हैं तो यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि सच्चाई का पता लगाया जाये।

अब केवल प्रधान मंत्री ने कहा है कि उनके तीन सहयोगियों ने जो परामर्श दिया है उसके आधार पर इस मामले को दबाया जाये। परन्तु हम नहीं चाहते कि इस प्रकार इसे निपटाया जाये।

आपके पूर्वाधिकारी श्री हुकमसिंह के विरुद्ध एक बार इसी प्रकार का आरोप एक घटिया से समाचार पत्र ने लगाया था। परन्तु उन्होंने उसे विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया। मैं चाहता हूँ कि मंत्रियों को संसदीय परम्पराओं का ध्यान रखना चाहिए और आरोप लगाने वालों को चुनौती देनी चाहिए। हमारा उद्देश्य यह है कि इस सदन के सदस्यों जिनमें मंत्री भी शामिल हैं तथा सारे सदन की प्रतिष्ठा को धब्बा न लगे। इस कारण मैं चाहता हूं कि आप राज्य-सभा के सभापति से मिल कर इस सारे मामले को विशेषाधिकार समिति की जांच के लिए भेज देवें।

Shri Madhu Limaye : Sir, the Prime Minister has violated the well established procedure of this House in her capacity as the Leader of the House. You asked her to send the relevant papers to you for critically rifting the evidence but this has not done tomorrow. They may say that her private Secretary or even her peon may investigate the matter and she is satisfied with that. Shall we accept it ? I object to it all.

So far as Shri Ramamurti's motion is concerned, I endorse that and I want that not only the whole House but even the Ministers also will support that the allegations made by Shri Arjun Arora may be investigated.

Shri Arjun Arora gave a clarification to the Prime Minister by means of a letter but the same has not been placed before this House.

Shri Arora stated that Mr. Pant with no technical qualifications boasted of his technical profession and he admitted his close tie with the Birlas.

Similarly Mr. Satya Narain Sinha when he was Minister of Communications gave certain privileges to seven of the eight Birlas and put them on par with the Prime Minister and Chief Ministers in facilities such as trunk calls etc.

अध्यक्ष महोदय : इस समय आप इन आरोपों पर मत जाइये ।

श्री सन्त बक्स सिंह (फतेहपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस समय हम विशेषाधिकार पर चर्चा कर रहे हैं न कि आरोपों पर ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो मैंने स्वयं ही कहा है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Shri Arjun Arora has levelled charges against Shri Satya Narain Sinha that he was being helped by Birla. Shri Birla has helped the Prime Minister too in her becoming the Prime Minister. Since Shri Arora has levelled false charges against a member of this house and we do not want that any member should be defamed like this. Therefore our responsibility has also increased and we should do something so that our friends are not defamed.

You stated about the position prevailing in 1954. I may tell you that 1954 is an old date now and hence you should meet the Chairman and constitute a joint committee to go in these questions.

श्री कन्डप्पन (मैट्टूर) : श्री मधु लिमये को चाहिए कि जिस दस्तावेज का उन्होंने जिक्र किया है उसे सभा पटल पर रखे ।

Shri Madhu Limaye : I have authenticated it and placed it on the Table. Shri Arora should be punished.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : यह प्रस्ताव वास्तव में दूसरी ओर से आना चाहिए था । एक सदस्य ने दो अन्य सदस्यों की बदनामी की है । इसलिए मैं श्री राममूर्ति के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

जहां तक प्रक्रिया का सम्बन्ध है आपके सामने 1954 का पूर्व दृष्टान्त है तथा आप राज्य सभा के सभापति के पास इसको भेज सकते हैं ।

विशेषाधिकार भंग होने के प्रश्न के बारे में आपको नियम संख्या 227 के अन्तर्गत अधिकार है कि आप इसे सदन के ऊपर छोड़ते हैं अथवा स्वयं विशेषाधिकार समिति के पास भेजते हैं जहां इस पर विचार हो सकता है ।

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : सदस्य महोदय ने कहा कि वह इसे सभा पटल पर रख रहे हैं परन्तु नियमों में इसकी व्यवस्था नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अभी श्री विश्वनाथम बोल रहे हैं। इसके बाद आप बोलेंगे।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : मेरा निवेदन है कि आप इसे नियम 227 के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति को भेजें और तत्पश्चात् राज्यसभा के सभापति को उनकी राय जानने के लिए भेजें।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुजराल।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): Sir, the hon. Minister is not a member of this House and as such he can speak only on the subjects concerned with his work.

अध्यक्ष महोदय : वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं इस कारण उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है परन्तु एक मंत्री होने के नाते वह यहां बोल सकते हैं।

श्री इ० कु० गुजराल : सदस्य महोदय को अधिकार नहीं है कि किसी पत्र से पढ़ना आरम्भ कर दें और फिर कहें कि उस पत्र को वे सभा पटल पर रखना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में निर्देश स्पष्ट है कि वह सभा पटल पर छोड़ सकते हैं, परन्तु उसे वहां रखने की अनुमति देने का अधिकार केवल अध्यक्ष को है।

श्री गोविन्द मेनन : मैं श्री राममूर्ति के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और यदि श्री मधु लिमये का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया है तो मैं उसका भी विरोध करता हूँ। मेरे विचार में कोई विशेषाधिकार भग नहीं हुआ है।

श्री अर्जुन अरोड़ा ने जो कुछ कहा वह कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कहा था। उन्होंने यह बात किसी समाचार-पत्र वालों के सामने अथवा इस सदन में नहीं कही। बदनामी करने का उद्देश्य तो तब माना जाता जब वह किसी समाचार-पत्र वालों के सामने जाते। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के सामने कोई बात कहता है जो उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं तो वह बदनामी नहीं मानी जाती। श्री अर्जुन अरोड़ा ने कांग्रेस दल की शुद्धि के लिए अपने दल के नेता के सम्मुख वह बात कही। यदि यह बात कहीं छप गई है तो श्री अरोड़ा ने तो उसे प्रकाशित नहीं कराया है। यह किसी ने चोरी करके प्रकाशित करा दी होगी। प्रधानमन्त्री ने भी कहा है कि वह वक्तव्य कांग्रेस संसदीय दल के सामने दिया गया था।

मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। यदि इसको विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव बनाया जाता है तो राजनीतिक दलों का कार्य करना असम्भव हो जाएगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं। तीसरी लोकसभा के दौरान मैंने समाचार पढ़े थे कि साम्यवादी दल में श्री डांगे के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गए थे। उस समय श्री डांगे लोकसभा के सदस्य नहीं थे। यदि वह होते तो क्या यह उचित होता कि उसको विशेषाधिकार का प्रश्न बनाया जाता?

इन कारणों से मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : यह सभा भारतीय दण्ड संहिता अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्य नहीं करती अपितु अपने विशेषाधिकार सम्बन्धी नियमों के अनुसार कार्य करती

है। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि मानहानि के कानून में बहुत से अपवादात्मक खण्ड हैं।

इस आपत्ति को भी आज प्रातः आपने रद्द कर दिया था कि यह मामला तो ससदीय दल में उठाया गया था।

आपने श्री डांगे के बारे में तर्क पेश किया। उसके बारे में मेरा यह कहना है कि मैं भी उन व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने उन पर यह आरोप लगाये थे और यदि मुझे विशेषाधिकार भंग के मामले में आप घसीटते तो मैं उसका स्वागत करता।

श्री अर्जुन अरोड़ा ने अपना वक्तव्य यह जानते हुए दिया था कि उस बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त ब्यौरा बाद में समाचारपत्रों को दिया जाता है। इसलिए इस बहाने से इसे टाला नहीं जा सकता।

मेरी ऐसी आदत नहीं है कि बिना तथ्यों के किसी पर आरोप लगाऊं। मैं किसी पर आरोप लगाता हूँ तो उनको सिद्ध करने के लिए प्रमाण भी रखता हूँ। इसलिए जब यह आरोप बार-बार लगाए जा रहे हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि यह मामला साफ हो जाये। इस सभा को जनता में मजाक का विषय नहीं बनाना चाहिए।

एक बार पहले भी स्व० श्री जवाहरलाल नेहरू ने पंजाब के उस समय के मुख्यमन्त्री को भी आरोपों से मुक्त करार दे दिया था लेकिन बाद में न्यायिक जांच में उन्हें दोषी पाया गया। यदि कांग्रेस दल ने अपने बहुमत के आधार पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया तो मैं उन्हें चेतावनी दूंगा कि देश में उनका मान समाप्त हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कल इस सभा में प्रधानमन्त्री द्वारा दिये गए इस वक्तव्य को देखते हुए कि राज्य-सभा के एक सदस्य श्री अर्जुन अरोड़ा द्वारा श्री सत्य नारायण सिंह तथा श्री कृष्णचन्द पंत्त, जो मन्त्री और इस सभा के सदस्य हैं, पर लगाए गए आरोप साबित नहीं किये गये, निराधार आरोप लगाने के कारण श्री अर्जुन अरोड़ा के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न राज्यसभा के सभापति को सौंपा जाए ताकि वह राज्यसभा तथा लोकसभा की विशेषाधिकार समितियों द्वारा 1954 में की गई संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जिसे संसद की दोनों सभाओं ने स्वीकार किया था, कार्यवाही करें।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 114, विपक्ष में 152।

Ayes 114; Noes 152.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The Motion was negatived.

Shri George Fernandes (Bombay South) : Sir, I rise on a point of order. The procedure which you have adopted in this matter is not correct.

In response to Shri Madhu Limaye's notice you gave your decision on the 31st and said that breach of privilege had been committed. Hence whatever proceedings have taken place after that should be expunged. This matter should be considered afresh by this House.

You are trying to ignore it and break it. You should refer this case to the Chairman of Rajya Sabha.

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : अध्यक्ष महोदय अब तक की परम्परा यह रही है कि यदि एक बार प्रथम दृष्टया कोई मामला सिद्ध हो गया है और 25 सदस्य उसके हक में खड़े हो गये हैं तो उसे विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाता है। परन्तु इस बार आप दूसरा तरीका अपना रहे हैं और यह गलत प्रक्रिया अपनाई गई है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला विषय लें।

I want to bring this fact to your notice that in 1954 in the Joint Privileges Committee it was decided that if a member makes any allegation against any member of the Parliament, then the Presiding Officer shall refer the matter to the Presiding Officer of the other House. If in the preliminary investigation it is found that the person making allegation has supplied incorrect facts or tried to bring discredit to the name of the Member willfully or through carelessness he shall be deemed to be guilty of a breach of privilege of the House.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय औद्योगिकी संस्था के प्रमाणित लेखे शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : डा० त्रिगुण सेन की ओर से मैं प्रौद्योगिकी संस्था अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, नई दिल्ली, के वर्ष 1965–66 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति, तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०--718/67]**

भारतीय बेतार 'टेलीग्राफी (अव्यवसायी सेवा) संशोधन नियम

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : श्री इ० कु० गुजराल की ओर से मैं भारतीय तारयन्त्र अधिनियम 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत भारतीय बेतार टैलीग्राफी (अव्यवसायी सेवा) संशोधन नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 10 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 883 में प्रकाशित

हुए थे, की एक प्रति **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–719/6]** सभा पटल पर रखता हूं।

औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम आदि।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 10 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 908 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल०टी०–720/67]** सभा पटल पर रखता हूँ।

(2) कोयला खान भविष्य निधि तया बोनस योजनायें अधिनियम, 1948 की धारा 7–क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :–

(एक) कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1967 जो दिनांक 3 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 859 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योज़ना, 1967 जो दिनांक 3 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 860 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1967 जो दिनांक 3 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 861 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) नीवेली कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संविधान) योजना, 1967 जो दिनांक 3 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 862 में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) कोयला खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, 1967 जो दिनांक 3 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 863 में प्रकाशित हुई थी।

(छः) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, 1967 जो दिनांक 3 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 864 में प्रकाशित हुई थी।

(सात) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, 1967 जो दिनांक 3 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 865 में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) नीवेली कोयल खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, 1967 जो दिनांक 3 जून 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 866 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०–721/67]**

(3) सरकारी संकल्प डब्ल्यू बी–12(2)/67, दिनांक 29 अप्रैल, 1967, की एक प्रति जिसके द्वारा भारी रसायन तथा उर्वरक उद्योग के लिये अन्तरिम सहायता दिये जाने के हेतु केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों की स्वीकृति की घोषणा की गई। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०–722/67]**

गर्भपात के वैधीकरण के प्रश्न के अध्ययन के विषय में समिति का प्रतिवेदन

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : मैं गर्भपात के वैधीकरण के प्रश्न के अध्ययन के विषय में समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०–723/67]**

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

पांचवां प्रतिवेदन

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : Sir, I lay the fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions on the Table of the House.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

तीसरा प्रतिवेदन

संसद-कार्य संचार मन्त्री (डा० सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से, जो 20 जून, 1967 को सभा में उपस्थित किया गया था, सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
THE MOTION ADOPTED

अनुदानों की मांगे (रेलवे) जारी
DEMAND FOR GRANTS (RAILWAY) Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में रेलवे की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा होगी। श्री बृज भूषण लाल अपना भाषण जारी करें।

Shri Brij Bhushan Lal Bareilly) : Sir, I mentioned about the demand for an over bridge at Bareilly Railway.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ Mr. Deputy-Speaker *in the Chair* }

The waiting room for the 3rd class passengers does not fulfil the requirements of the passengers.

The water tap which supplied cool water to the passengers is out of order for the last two years,

The sanitary conditions on the platform are far from desirable.

There are so many lepers sitting at the railway station and the danger of spreading infection is there. The food stuffs supplied are of an inferior quality and they are not prepared in a clear manner.

There is a great disparity between the pay scales of the Guards and other employees. of the same Category Similarly great disparity exists between the pay scales of the employees of the Railway Medical Service and that of the Central Health Service employees. I would request the hon. Minister of pay attention to these and try to remove these disparities.

श्री तिरूनल राव (काकिनाडा) : मैं श्री पुनाचा को अपनी शुभकानायें पेश करता हूं क्योंकि वह बहुत मेहनती है और यह उचित ही हुआ है कि उनको देश के सबसे बड़े मन्त्रालय का भार सौंपा गया है।

2 अक्तूबर, 1966 को बनाया गया दक्षिणी मध्य रेलवे क्षेत्र पूरी तरह सन्तोषजनक रूप में काम नहीं कर रहा है और न ही वह ऐसे आधारों पर बनाया गया है जिनको ठीक कहा जा सके। मध्य रेलवे तथा दक्षिणी रेलवे के भागों को काट कर यह नया दक्षिणी मध्य रेलवे क्षेत्र बनाया गया है। परन्तु सबसे अविवेक पूर्ण बात यह है कि गुन्तकल डिवीजन को इस नये रेलवे क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। सभी टार्मिनल स्टेशन भी अन्य रेलों के अधीन हैं जैसे विशाखापटनम् अभी तक दक्षिणी पूर्वी रेलवे में है तथा गुडूर दक्षिण रेलवे में है। मेरा सुझाव यह है कि इस क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इस समूचे क्षेत्र का पुनर्गठन किया जाना चाहिये।

देश में आन्ध्र में सबसे ज्यादा चावल पैदा होता है और हजारों टन चावल अन्य राज्यों को भेजा जाता है परन्तु मालडिब्बों की कमी के कारण चावल अन्य राज्यों को नहीं जा पाता है और दोष आन्ध्र के सिर मढ़ दिया जाता है कि वह चावल नहीं भेजता है।

इस नई रेलवे के अन्तर्गत आने वाला समूचा क्षेत्र औद्योगिक तथा कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में आम, चावल, तम्बाकू, कोयला तथा अन्य कई वस्तुओं का उत्पादन होता है। जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। इन वस्तुओं के परिवहन के लिये माल डिब्बे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं किये जाते। माननीय रेलवे मन्त्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये। इस समय भारी मशीनरी, लौह अयस्क तथा कोयले के निर्यात के लिये विशाखापटनम् का ही प्रयोग किया जाता है यह भी कहा जाता है कि इसको देश की सबसे बड़ी बन्दरगाह बनाया जा रहा है। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि मद्रास तथा विजाग के बीच एक बन्दरगाह और होना चाहिये और उसके लिये सर्वोत्तम स्थान काकिनाडा है। इसकी एक आधुनिक पत्तन के रूप में विकास किया जाना चाहिये जिससे लौह अयस्क तथा कोयला आदि का निर्यात यहां से हो सके। पोलावरम तक रेलवे लाइन बिछाने का यत्न किया जा रहा है, परन्तु काकिनाडा को भी इस लाइन से जोड़ा जाना चाहिये जिससे काकिनाडा से लौह अयस्क का अधिक निर्यात हो सके। काकिनाडा मद्रास के उत्तर में 400 मील पर है। 1948 अथवा 1950 में जब श्री गोपाल स्वामी आयंगटर रेलवे के मन्त्री थे काकिनाडा को मुख्य रेलवे लाइन से मिलाने का प्रस्ताव था परन्तु बाद में इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया इस प्रस्ताव पर अब पुनः विचार किया जाना चाहिये। काकिनाडा आन्ध्र प्रदेश का एक बड़ा नगर है। इसकी जनसंख्या 150,000 है। श्री अशोक मेहता ने यह भी बताया है कि उनका विचार यहां पर एक उर्वरक कारखाना बनाने का है। इसलिये काकिनाडा को मेन लाइन से मिलाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिये।

हैदराबाद देश के बड़े नगरों में से एक है। यह एक विकासशील देश है जिसकी आर्थिक तथा राजनैतिक तौर पर विकास की बहुत सम्भावनायें हैं। भारत के सभी बड़े नगरों अर्थात् दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा अन्य बड़े नगरों से इसका सीधा रेलवे सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिये। एक ट्रेन हैदराबाद से दिल्ली तथा दूसरी हैदराबाद में कलकत्ता को चलाई जानी चाहिये। दूसरी बात यह है कि हैदराबाद से मद्रास जाने वाली तथाकथित एक्सप्रेस रेलगाड़ी की गति मालगाड़ी से भी कम है, इस रेलगाड़ी की गति को बढ़ाया जाना चाहिये मेरा माननीय मन्त्री से यह भी अनुरोध है कि हैदराबाद से वेजवाड़ा, कृष्णा जिला, गोदावरी जिला, श्रीकाकुलम आदि के लिये नई गाड़ियां चलाई जानी चाहिये। मैं अन्त में माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस सभा की समाप्ति से पूर्व दक्षिणी क्षेत्र में संसद सदस्यों की सलाहकार समिति की बैठक बुलानी चाहिये।

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : इसी सभा में बैठक बुलाई जायेगी।

श्री तिरूमल राव : यदि ऐसा है तो मैं अधिकारियों को अपनी कठिनाइयां बताऊंगा।

श्री मंगलाथुमाडोम (मावेलिक्करा) : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 334, 335, 336, 339, 340 और 373 प्रस्तुत करता हूं।

मैं ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां रेलवे सुविध यें नगण्य हैं। रेलवे सुविधाओं के मामले में समूचे केरल राज्य की उपेक्षा की गई है। गत आधी शताब्दी में इस राज्य में केवल 93 मील लम्बी रेलवे लाइन ही बिछाई है। एरणाकुलम तथा क्विलोन के बीच वास्तव में बड़ी लाइन बिछाने का प्रस्ताव था परन्तु वहां पर मीटर गेज़ लाइन ही बिछाई गई है। मद्रास में तिरूलवली तथा केरल में त्रिवेन्द्रम के आगे कोई रेलवे लाइन नहीं है। यह बड़े खेद की बात है कि कन्याकुमारी जैसा महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र भी रेल द्वारा अन्य भागों से नहीं जोड़ा गया है। कन्याकुमारी को त्रिवेन्द्रम तथा तिरूनेलवेली से रेल द्वारा जोड़ने की अत्यधिक आवश्यकता है। कोई भी जिम्मेदार सरकार इस बात की अपेक्षा नहीं कर सकती है।

मैं समझता हूं कि कई अवसरों पर त्रिवेन्द्रम तथा कन्याकुमारी के बीच के क्षेत्र का नई रेल लाइने बिछाने के लिये सर्वेक्षण किया गया है। परन्तु कोई नहीं जानता कि काम शुरू करने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री इस बारे में ध्यान देंगे।

कोचीन को छोड़कर केरल में एलप्पि बहुत बड़ा वाणिज्यिक केन्द्र है। यह जिला नारियल की जटा से निर्मित वस्तुओं के लिये भी प्रसिद्ध है। इन वस्तुओं को अन्य स्थानों पर भेजने के लिए माल डिब्बे उपलब्ध नहीं किये जाते तथापि इन वस्तुओं के निर्यात से पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है, मुझे आशा है कि प्राधिकारी कोचीन से मावेलिक्करा होती हुई एलप्पि तक रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता पर ध्यान देंगे। आशा है कि इसको उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी और इससे निश्चय ही केरल के औद्योगिक आधार को बढ़ावा मिलेगा।

भारत के राज्यों की उन दो राजधानियों में से त्रिवेन्द्रम एक ऐसी राजधानी है जो रेलवे की बड़ी लाइन से नहीं जुड़ी हुई है। वास्तव में एरणाकुलम के दक्षिण में कोई बड़ी लाइन ही नहीं है। इससे इस राजधानी से देश के अन्य भागों में माल भेजने में बड़ी कठिनाई होती है। ऐसा समाचार है कि केरल के मुख्यमंत्री की जब हाल में माननीय खाद्य मंत्री से बातचीत हुई थी उस समय उन्होंने कहा था कि रेलवे से केरल को आन्ध्र प्रदेश चावल शीघ्र नहीं भेज सकता इसलिए जहाज के ऊपर विशाखापतनम से चावल भेजा जायेगा। बड़े खेद की बात है सरकार को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये तथा एरणाकुलम तथा त्रिवेन्द्रम के बीच की मीटर गेज़ लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाना चाहिये। केरल राज्य में रलवे के जो यात्री डिब्बे प्रयोग में लाये जाते हैं वे भी बहुत पुराने हैं उनको भी बदला जाना चाहिये।

मैंने बजट में दिये गये नई लाइनें बिछाने सम्बन्धी प्रस्तावों को पढ़ा है। परन्तु केरल में नई लाइनें बिछाने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव का आयव्ययक में उल्लेख नहीं किया गया है। यह केरल के साथ किये जाने वाले सौतली माँ के व्यवहार का एक उदाहरण है। मुझे आशा है कि सरकार केरल में रेलवे की उचित सुविधाओं को उपलब्ध कर उस राज्य के साथ न्याय करेगी।

रेलवे में विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की सांठ-गांठ से भ्रष्टाचार संगठित रूप से फैला हुआ है। गाड़ी में स्थान लेने के लिए अधिक धन देना पड़ता है। मावेलिक्करा और कोट्टयम

के बीच रेलवे लाइन के साथ की जगह को राज्य के लोक निर्माण विभाग के अधिकार? स्थानीय लोगों को किराये पर उठा देते हैं। इस प्रकार वे उन लोगों से धन कमाते हैं। इस प्रकार के भ्रष्टाचार को प्रभावशाली ढंग से समाप्त किया जाना चाहिये।

रेलवे में यात्रा करना एक जोखिम का कार्य हो गया है क्योंकि रेलवे में बड़े पैमाने पर दुर्घटनाओं के समाचार आ रहे हैं। हमने रेलवे दुर्घटना मंत्री के जाने के बाद आशा की थी कि अब कम दुर्घटनायें होंगी परन्तु अब स्थिति और भी खराब नज़र आती है।

तीसरे दर्जे के डिब्बों की स्थिति बहुत खराब है। दूसरे दर्जे के डिब्बों की स्थिति और भी असन्तोषजनक है। कुछ मामलों में तो दूसरे दर्जे के डिब्बों में तीसरे दर्जे के डिब्बे में मिलने वाली सुविधायें भी उपलब्ध नहीं होती है। मैं सुझाव देता हूँ कि तीसरे दर्जे की स्थिति में सुधार किया जाये तथा ऊंचे दर्जे के डिब्बों रेलवे से हटा दिया जाये आंशिक रूप से यह एक सामाजिक समस्या भी है। आशा है सरकार इन समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करेगी।

Shri Raj Deo Singh (Jaunpur) : Sir. I thank you for affording me an opportunity to speak on the railway budget.

There is no denying the fact that the railways has made a systematic progress during the last three Five Year Plans. The progress would have been more rapid had the employees and the officials adopted a humanitarian approach.

Twelve Members of Parliament demanded a direct train service to Bararas or Mughal Sarai in the consultative committee of the last Lok Sabha wh ch has fallen on deaf ears.

Inspite of the fact that a little reduction has been allowed in the proposed increase in the fares still the increase is too heavy to be born by the common man. If the thefts in the railways are checked properly, I am sure the revenues will increase and there wi l be no need to increase the fares, which will put more burden on the common man. The revenue can be increased further by attracting more goods for transportation. Once there was a monopoly of tne railway in transporting goods. Now that monopoly is diminishing gradually. The hon. Minister should pay more attention to this aspect of the problem.

There are three classes in the railway. I don't think that there is any need for the second class compartments. These should be done away with. The remaning classes will be sufficient to cope with the requirements. More sleeper coaches should be attached to long route trains such as the trains which are going from Pathankot to Bombay or Calcutta. Some restrictions should be imposed on the tkravelling of the passengers in the trains meant for short journeys so that more facilities could be provided to the long distance travellers.

Corruption is rampant in the spheres of the railways. No doubt that there is a Vigitlance Department in the railways but this department also consists of railwny employees which work in connivance with other railway employees. Some other machinery should be evolved i. e. independent of the railway employees which may act more effectively to remove the corruption.

Almost every station has got a railway dispensary for allopathy treatment. But there is not even a single dispensary of the Ayurvedic or 'Unani' system of medicine in the railways.

A through train was running earlier between Jaunpur to Howrah which has been stopped. This resulted in great hardships to be common man as well as to the traders who were moving goods either way to Calcutta. This train service should be reviewed. I would also request for a through train between Jaunpur and Gorakhpur.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : Contrary to our expectations, the Minister of Railways has presented a deficit budget and for that he has taken the plea of extending passenger facilities to thrid class passengers and railway employees. On that ground he has raised railway fare. The Railway Minister has not cared to see the famine conditions in Bihar aud eastern Uttar Pradesh. On the one hand the government are providing relief to famine effected areas and on the other they are taking them away by increasing the third class fare. Insteao he should have increased the fare of 1st or 2nd classes in which the rich and well to do section travel.

There is too much over crowding on the railways. Third class passengers are being neglected. Even drinking water and waiting room facilities are being denied to them. Those, who travel by first class cannot imagine the difficulties experienced by third class pas engers.

The railway employees are agitating all over India. They are very dissatisfied. The attitude of higher officers is not sympathetic to the employees. The employees of Danapur Division living in 'C' class cities do not get house rent. All the employees living in Phulwari Sharif, Danapur Cantonment Board and Arrab stations do not get house rent allowance. When I represented this case to the Divisional Superintendent, his attitude was arrogant.

I would not refer to a case in Samastipur where a class IV officer was handed over to the police without any enquiry. When I went to see him. I found him in unconscious state since he was badly beaten by the Police. Such tendencies of Medical Officers must be curbed. There is a simmering discontentment amongst the railway employees. Although. we do not subscribe to Gheraws, but I fear that if the present conditions persist, they may have to resort to such a course.

The railway accidents are mounting these days. Whenever an accident occurs, the lower officials are made a scapegoat and the high ups go scot free.

Bhojpur Shuttle should be extended upto Mokameh as there is constant demand from the people for extending such a service. Similarly, the Janata Express should be halted at Gulzarbagh station since no express or mail train halts there. A new railway line should be constructed from Beharta to rafiganj and another bill should be constructed from Jabanabad to Bihar Sharif. A third line is also required from Gaya to Rajgir. These three lines will go a long way in developing that area and it will also add to the railway revenues.

The railways have to pay a compensation of 8 lakh rupees every year due to pilferage on the railways, which is carried on with the connivance of railway employees. The salaries of railway employees should be increased and the case instituted against some of them for holding demonstrations in 1690 for increase in pay should be withdrawn. If you fail to do that, railway employees will have to resort to agitations and gheraos.

Shri Bhola Nath (Alwar) : Each of the former princely States of Rajasthan had its own separate railway system. All those States have now been merged but the railway system has not been developed to meet the changed circumstances. As a result no industries can be set up there and all the raw material available there is sent to other places. If a railway net work is provided in that State, several industries can be set up there.

I had tabled cut motions to demand a board guage railway line connecting Delhi with Ahmedabad through Rajasthan. It is unfortunate that there is only a metre gauge line between Delhi and Ahmedabad. Alwar is an important tourist centre but the tourists have to face great inconvenience because there is no over bridge at the level-crossing in the city. An over bridge should be provided there.

The decrease in railway income on account of goods traffic is due to the lack of railway facilities through Rajasthan. The deficit can be made up if proper attention is paid to the developments of transport facilities. All the goods from Rajasthan are transported through road transport. If railway line is laid there, the income of railways will increase substantially.

There is a small railway shuttle service from Rewari to Bandikui. It does not go upto Jaipur. A board guage line should also be constructed to connot Bharatpur with Alwar. Railway facilities should be provided in such a way that people from district headquarters can go to Jaipur and return the same day.

A flag station should be provided at Khatubas near Kund Station on the Phulera-Rewari line of Western Railway. A level crossing should be provided near Mahua village in Alwar district. I hope the suggestion made by me will be accepted at the time of presentation of next budget.

श्री अनिरुधन (चिरायिनकील) : रेलवे मंत्रालय ने केरल और जम्मू तथा काश्मीर जैसे देश के कुछ राज्यों की अपेक्षा की है। मद्रास के कुछ सदस्यों ने कल यह शिकायत की थी कि उस राज्य में एक लाख की जनसंख्या के पीछे केवल 12 किलोमीटर रेलवे लाइन है। परन्तु हमारे राज्य में एक लाख की जनसंख्या के पीछे केवल चार किलोमीटर रेलवे लाइन है। जहां तक रेलवे सुविधाओं का सम्बन्ध है, हमारे राज्य की स्थिति वैसी ही है जैसी कि स्वतन्त्रता से पहले थी।

हम सदा देश की एकता की बातें करते हैं। परन्तु खेद है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बीस वर्ष बाद भी काश्मीर को कुमारी अन्तरीप से नहीं मिलाया गया है। यहां तक कि कुमारी अन्तरीप को त्रिवेन्द्रम, तिनेवेल्ली तथा मद्रास के साथ नहीं मिलाया गया है। कुमारी अन्तरीप का अरनाकुलम के साथ छोटी लाइन द्वारा जोड़ा जाना चाहिये। इसे एल्लेपि के रास्ते मिलाया जायेगा जो कि भारत के पुराने वाणिज्यिक केन्द्रों में से एक है। हमारे छोटे उद्योगों में से अधिकांश रेलवे संचार की सुविधाओं की कमी के कारण बन्द हो गये हैं।

केरल की व्यापारिक फस्लों से देश को 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होती है। इन वस्तुओं को कोचीन पत्तन तक लेजाने के लिये चार पांच संचार व्यवस्थाओं का प्रयोग करना पड़ता है। इसके कारण बहुत सी वस्तुओं को क्षति पहुंचती है। इसके साथ ही समय तथा धन भी व्यर्थ जाता है।

श्री केदार पस्वान (रोसेरा) : सभापति महोदय कोरम नहीं है। सभापति महोदय: घंटी बजायी जा रही है। अब सभा के कोरम है।

श्री अनिरुधन : इसलिये, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि उस क्षेत्र में तीन चार नई रेलवे लाइनों के तुरन्त निर्माण के मामले पर ध्यान दें। कोचीन से केप कोमोरीन

तक एललेपि के रास्ते एक बड़ी लाइन का निर्माण किया जाना चाहिये। एरणाकुलम, क्विलोन मीटर गेज का निर्माण करते समय नालों तथा पुलों का निर्माण बड़ी लाइन बनाने के इरादे या दोहरी लाइन बनाने की सम्भावना के विचार से किया गया था। इसलिये, वहां बड़ी लाइन बनाना सरल है। त्रिवेन्द्रम को तामिलनाड तथा तिरुनलवेली से जोड़ा जाना चाहिये। श्रोवलकोर, पोलाची तथा कोचीन के बीच भी एक लाइन का निर्माण किया जाना चाहिये। मैसूर से मंगलोर के रास्ते कनौर जाने वाली एक और लाइन का निर्माण किया जाना चाहियें।

हमारा राज्य सब से शिक्षित राज्य समझा जाता है परन्तु वहां बेकारी भी सबसे अधिक है। उस राज्य में 20 वर्षों से सरकार ने रेलवे वर्कशाप स्थापित करने की भी उपेक्षा की है। क्विलोन में मीटर गेज के डिब्बे बनाने के कारखाने की स्थापना का वचन दिया गया था परन्तु अभी तक उसकी स्थापना नहीं की गई है। मंत्री महोदय को इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Dy. Speaker *in the Chair* }

किसी मध्य स्थिति क्षेत्र में एक आरा स्थापित किया जाना चाहिये। ऐसा करने से विदेशों से सिलिपरों का आयात समाप्त हो जायेगा अथवा कम हो जायेगा और उससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इससे राज्य में बढ़ रही बेकारी भी कम होगी।

रेलवे डिविजनल कार्यालय बदलकर राज्य के किसी मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिये। उससे कार्यालय के स्थापना सम्बन्धी समस्या हल करने के मामलों में राज्य को राहत मिलेगी।

उस राज्य से सम्बन्धित एक और महत्वपूर्ण मामला माल लाने लेजाने के लिये डिब्बों की कमी है। सरकार ने इस लाइन पर अधिक माल डिब्बे नहीं चलाये हैं और इसके लिये आर्थिक कठिनाई का तर्क देती रही है। अब रेलवे मंत्रालय को केरल में पर्याप्त मात्रा में चावल तथा अन्य खाद्यान्न लेजाने की समस्या का सामना है। देश के बहुत से भागों में खाद्यान्न की कमी के कारण हमें खाद्यान्न एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेजाने के लिये बहुत से माल डिब्बों की आवश्यकता है। माल डिब्बों की कमी के कारण नारियल जटा उद्योग को कठिनाई का सामना है।

कोई मास खाली नहीं जाता जब दुर्घटनायें न होती हो। लोग गाड़ियों में यात्रा करने से घबराते हैं। इस से बहुत असुविधा होती है और रेलवे प्रशासन में तथा योजना में दुराचार तथा अदक्षता है।

Shri Shashi Ranjan (Pupri): Sir, in the railways effciency and their economic stability is going down. In this country, agriculture is the biggest industry and railways, the greatest trade. The condition of both of these is worsening.

The difficu'ties which the railway w rkers are facing are not less than what the agriculturist labour is facing. The system of incentives should be introduced in the railways. It will benefit them economically and will also bring about efficiency. By incentive I mean bringing about things where for example coal may be consumed less by the railways for the same journey for which it used to be mcre previously, there should be lesser number of accidents and there should be punctuality in running of trains.

There has been no increase in the number of trains in north Bihar but the number of employees in the railways has increase, ten times during the last ten years : There has been no increase in the number of trains which run in Chhapra and Darbhanga for all these years but the fares have been raised considerably. People have to crowd the compartments as if they are animals and then something they cannot come out of the compartments even for 14 hours.

There is a factory in an important city in north Bihar viz. Muzaffarpur where there is a factory too which manufactures wagons. They have not been able to construct an over bridge there.

We a're still using steam engine which consume four times the coal if compared to new engines. There is no efficiency either. But they have still not changed them.

In the absence of a bridge over Ganga the people of north and south Bih=r have to travel by steamers and have to was e sometimes upto six hours extra. About 50 thousand people have to come from one part of Bihar to another by means of such steamers. The steamers too are very old.

There is a workshop in Banaras. The employees have told me that production can be increased four-fold if there is better atmosphere and no provincialism in the factory. The workshop at Jamelpur is also in a bad condition. Previously the government had claimed to make it a modern factory. I would request them to pay more atten'ion to north Bihar.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Delhi is expending fast and so there must be transport faci ities linking these localities. The same facilities should be provided between Delhi and its satellinte towns like Ghaziabad, Modi Nagar, Muradnagar, Sonepat, Panipat etc. as are available to the suburbs of Bombay. I requested the Railway Minister to extend the shuttle service between Delhi and Ghaziabad to Hapur but he has turned down the request on the ground that there are no halting arrangements at Hapur.

At Ghaziabed railway station so many trains halt in the morning, yet there are no adequate arrangements of drinking water there. Similarly the number of windows which issue IIIrd class tickets to passengers should also be increased. The Railway Board took some decisions in this regard but the same have not so far been implemented.

In Meerut Di'trict there is good production of handloom c'o'h but they cannot send it to Bengal and Bihar where there is a great demand for it due to inadequate railway arrangements in this regard, They can book the cloth only when there is no demand for it.

There is a big station between Hapur and Gajraula known as Sambhavli where there is a sugar mill and a degree college but there is still no bridge on the railway station.

Similarly the people of village Dubai between Ghaziabad and Musadnagar want the morning trains to stop there.

The railway authorities who want to check ticketless travellers are not provided with adequate security to save them for the passengers who sometime attack them when they are caught while travelling without ticket. This should be done. There should be assistant guards for 3rd class compartments too as are available for the upper classes.

More facilities should be provided to IIIrd class passengers and they should not be made to wait for hours to get trains.

I hope you will provide an over bridge at Aligarh too.

It is good that Railway Board have introduced economy in their own department itself. I wish they may bring about efficiency there too.

For people of Jamalpur the railway authorities had approved to give aid for a school for the wards of railway staff but so many years have passed they have not yet implemented the same.

You have started the diesel engines and the electrical engines on certain lines but you have not yet withdrawn the steam engines from there.

You started a big engineering school at Jamalpur but only the words of high ups are admitted there and this way the institute is being misused.

It is for the first time that we find the railways running at a loss although it is always governed a better deal by the government. You should think over it.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

चीन द्वारा उदजन बम का विस्फोट

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Mr. Deputy Speaker. Sir, I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent Public Importance and request that he may make a statement thereon :

"Explosion of hydrogen bomb by China."

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : 17 जून को चीन ने अपने उद्जन बम के विस्फोट की घोषणा की। यह विस्फोट विश्व लोक मत के विरुद्ध चीन का छटा परमाणु विस्फोट था। चीन द्वारा इसके बार-बार उल्लंघन की स्वभावत: अन्तर्राष्ट्रीय वर्ग में बहुत आलोचना की गई और विशेष रूप से चीन के पड़ोसी देशों ने इस पर गम्भीर मत व्यक्त किया। हाल ही के चीनी विस्फोट से उसके द्वारा विश्व मत का घोर अनादर करने का पता लगता है। भारत सरकार को इस घटना से बहुत चिन्ता है।

सम्बन्धित अधिकारी समय-समय पर चीन की परमाणु नीति तथा उससे हमारी सुरक्षा को पैदा हुए खतरे की जांच करते रहते हैं। हम इस मामले में लगातार सतर्क रहेंगे। सुरक्षा

सुनिश्चित करने के सभी सम्भव उपायों तथा साधनों पर विचार किया जा रहा है। चीन के इस विस्फोट से यह अति आवश्यक हो गया है।

हम परमाणु शक्ति का शान्ति के प्रयोजनों के लिये प्रयोग करने की अपनी नीति पर दृढ़ हैं। इस नीति से हमारी सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का भी पुनर्विलोकन किया गया है। हमारे विचार में गुट निरपेक्ष तथा परमाणु शस्त्र रहित देशों की परमाणु आक्रमण अथवा इस प्रकार की धमकी की रक्षा बहुत आवश्यक है।

परमाणु रहित तथा गुट निरपेक्ष देशों की सुरक्षा का प्रश्न जेनेवा में 18 देशों की निशस्त्रीकरण समिति के विचाराधीन है। भारत सरकार प्रमुख परमाणु शक्ति वाले देशों तथा कुछ परमाणु शक्ति रहित तथा गुट निरपेक्ष देशों से भी इस बारे में विचार विमर्श कर रही है। हम ऐसे विचार विमर्श जारी रखेंगे।

Shri George Fernandes : There is no difference between the statement made after first nuclear explosion by China in 1964 and the statement now made, It seems to be a stock reply. I would like to know whether the Government have reconsidered the question of making an atoms bomb and whether they have made any consultations with the countries bordering China on this subject. I would also like to know the steps taken by the Government to ameliorate the internal conditions and boost the morale of the people.

श्री स्वर्ण सिंह : इस मामले में न केवल हमें बल्कि अन्य बहुत से देशों को चिन्ता है। अपने देश के हित में हमें परमाणु के शान्तिपूर्ण प्रयोग में विकास के लिये तकनीकी तथा वैज्ञानिक जानकारी का विकास करते रहना चाहिये और हम ऐसा कर रहे हैं। हमने चीन के साथ लगने वाले देशों से कोई विचार विमर्श नहीं किया है। देश के लोगों की एकता बढ़ाने के लिये की गई कोई भी कार्यवाही प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने में सहायक होगी।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : China has made great progress in the field of industry, agriculture, science and research, as a result of which she has been able to explode nuclear and hydrogen bombas and also to manufacture missiles. May I know whether there is any scheme to have similar development in India.

श्री स्वर्ण सिंह : हम भी अपने देश में वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक विकास तथा उद्योग और कृषि के विकास को बहुत महत्व दे रहे हैं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : प्रतिरक्षा मंत्री ने इसे छटा परमाणु विस्फोट बताया है परन्तु यह परमाणु बम अथवा अणु बम नहीं है। यह ताप-नामकीय बम है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं। यह वास्तव में ताप-नामकीय बम है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : स्वर्गीय डा० भाभा की अध्यक्षता में एक इलेक्ट्रानिक्स समिति ने चतुर्थ योजना में केवल इलेक्ट्रानिक्स के विकास के लिये ही 75 करोड़ रुपया निर्धारित करने की सिफारिश की थी। परन्तु इसके लिये केवल 50 करोड़ रुपये रखे

गये हैं । यह किस प्रकार की प्रतिरक्षा की तैयारी है । हम इस नये खतरे का सामना करने के लिये अपने आपको किस प्रकार तैयार कर रहे हैं ? क्या समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया गया है । यदि हां, तो उसे कहां तक क्रियान्वित किया गया है ।

श्री स्वर्ण सिंह : इलेक्ट्रानिक्स सम्बन्धी भाभा समिति का प्रतिवेदन बहुत महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है । हमने इसका ध्यान से अध्ययन किया हैं और विभिन्न प्रकार की बाद की कार्यवाहियां की जा रही हैं ।

Shri Shiv Chand Jha (Madhubani) : After the explosion of atomic bomb by China Shri Bhabi had said that India can produce and explode an atom bomb within eighteen months. Eighteen months have already passed. I would like to know the latest position in this regard.

श्री स्वर्ण सिंह : यह ठीक है कि श्री भाभा ने एक ऐसा वक्तव्य दिया था परन्तु हम अपनी इस नीति पर दृढ़ है कि परमाणु शक्ति का विकास शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये ही किया जायेगा ।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : भारत को चीन से बने इस खतरे को देखते हुये क्या सरकार उसके साथ राजनयिक सम्बन्ध तोड़ने के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है ? देश की प्रादेशिक अखण्डता को बने इस खतरे को देखते हुये क्या हमारे लिये अमरीकी प्रधान के इस प्रस्ताव पर विचार करना उचित नहीं होगा कि परमाणु आक्रमण होने पर अमरीकी शस्त्र भारत की प्रतिरक्षा के लिये उपलब्ध होंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध तोड़ने के प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं । हमें अमरीकी प्रधान के ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है । ऐसे आश्वासनों पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता ।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : क्या मैं जान सकता हूं कि वे गैर-परमाणु गुट निरपेक्ष राष्ट्र कौन से हैं जिनके साथ बातचीत की गई है ? क्या आप परमाणु देशों के साथ मिल कर यह बम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : अन्य देशों के साथ मिलकर परमाणु शस्त्र बनाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । हमारे पास इसके निर्माण की क्षमता है ।

हम 18 राष्ट्रों की निःशस्त्रीकरण समिति के सदस्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र में महासभा के अधिवेशन के समय हम अन्य गुट निरपेक्ष अफ्रीकी-एशियाई तथा लातीनी अमरीकी देशों के साथ भी इस विषय पर बातचीत करते रहते हैं ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (पदमनी) : इस वक्तव्य में पूरी जानकारी नहीं दी गई है । इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि यह बम कितने टी० एन० टी० का था ।

श्री समर गुह : हमें भी अवसर मिलना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की इच्छा का अनुमान लगाने के पश्चात ही हमने निर्णय लिया है।

कुछ माननीय सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। आपकी बातें सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं की जायेंगी।

अन्तर्बाधायें ***

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सभा की इच्छा का अनुमान लगाया है और सभा के सदस्यों की एक बड़ी संख्या आधे घंटे की चर्चा को आरम्भ करने के पक्ष में है।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : I suggest you to give some more time for this discussion either just now or after the half an hour discussion is over.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक अथवा दो प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता हूँ।

श्री ही. ना. मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तरपूर्व) : ऐसे ही पहले एक अवसर पर सदस्यों की एक बड़ी सख्या ने हस्ताक्षर कर अध्यक्ष को एक अधियाचिका दी थी तो अध्यक्ष महोदय ने चर्चा के लिए विशेष समय देने का निर्णय किया था। जब तक आप यह निर्णय नहीं करते कि यह मामला विशेष महत्व का नहीं है तब तक...... ...

उपाध्यक्ष महोदय : इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए मैंने आरम्भ में कहा था कि विभिन्न ग्रुपों को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

Dr. Ram Manohar Lohia : In view of the explosion of Hydrogen Bomb by China our position has become very critical, therefore, we have to decide either way i.e. to manufacture Atom Bomb or to have Japan or East Berlin like agreement with America or Russia respectively. So some times must be allotted either before or after the half an hour discussion.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप का यही सुझाव है कि और आगे चर्चा की जानी चाहिए तो मैं सभा की इच्छा से अध्यक्ष महोदय को सूचित कर दूंगा।

प्रति-रक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : परन्तू सभा की ऐसी इच्छा नहीं है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं का उत्तर न देने की प्रवृत्ति बन गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत अनुचित बात है। मंत्री महोदय ने व्यापक वक्तव्य दिया है और फिर प्रश्न आदि भी पूछे गये हैं।

*** कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*** Not recorded.

श्री हेम बरुग्रा : एक बार ध्यान दिलाने वाली सूचना की अनुमति के बाद सूची में दिये गये सभी सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जानी चाहिए। जानबूझकर इस मामले को पांच बजे लिया गया है जिससे कि सदस्य समय के अभाव के कारण प्रश्न न पूछ सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले को कल उठाया जाना चाहिए था जब इस बारे में निर्णय किया गया था। सदस्यों के अनुदान की मांगों के समय भी प्रश्न पूछने के अवसर मिलेंगे। हम इस प्रकार आधे घंटे की चर्चा के लिये समय खो रहे हैं क्योंकि मैं सभा को छः बजे स्थगित कर दूंगा।

श्री समर गुह (कन्हाई) : उन्होंने स्थिति की गम्भीरता को महसूस नहीं किया है**

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा। (अन्तर्बाधायें)

श्री स्वर्णसिंह : हम यहां पर नाटक जैसी गतिविधियों को देखने नहीं आये हैं। इनका अन्त होना चाहिए।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली–सदर) : मैं इस पर आपत्ति उठाता हूं।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : On a point of order. You have just stated that one or two Members from each group will be allowed to put questions. Just after fifteen minutes you have revised your decision and you are taking Half-an-hour discussion.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आरम्भ में ही यह कहा था कि समय सीमित है क्योंकि आधे घंटे की चर्चा को लेना है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण–दिल्ली) ; सभा में यह प्रथा है कि ध्यान दिलाने वाली सूचना पर सभी सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है। आपने जो आधे घंटे का समय दिया है वह पर्याप्त नहीं है। इस प्रश्न का देश की सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा से सम्बन्ध है और लोग उस पर क्षुब्ध हैं। आप इस प्रश्न पर चर्चा के लिए कल एक घंटे का समय दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : समय का निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। मैं सभा की इच्छा से अध्यक्ष महोदय को सूचित कर दूंगा।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : आप सदस्यों के अधिकारों पर आक्षेप कर रहे हैं। प्रत्येक सदस्य को अधिकार दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं सभा की इच्छाओं से अध्यक्ष महोदय को सूचित कर दूंगा।

** कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not recorded.

सरकारी पदों पर आरूढ़ व्यक्तियों की सम्पति के बारे में

RE : WEALTH OF PERSONS HOLDING PUBLIC OFFICES

Shri George Fernandes (Bombay-South) : The Privilege Committee was oppointed to look into the charges of corruption levelled against Shri Mudgal, Member of constituent Assembly in 1957. The charges were proved and the Member concerned resigned from his seat in the Assembly. Since then the corruption has not diminished but instead it is on the increase. Corruption is rampant amongst the public servants.

Recently many charges have been levelled in and out side the House against the Chief Ministers of various States and also against the Members of this House. It has been said that two Central Ministers are on the pay roll of Birlas. No proper enquiry has been held to look into those charges.

The question of corruption amongst the public servants should be taken up seriously. It is a matter of regret that the recommendations of the Santhanan Committee has not been implemented in full.

A provision has been made in the code of conduct meant for the Ministers that the Prime Minister will look into the charges levelled against any of the Central Ministers and similarly the Chief Minister concerned look into the charges levelled against his Ministers. But who will investigate the charges of corruption levelled against the Chief Minister of a State ? Charges were levelled almost against all the Chief Ministers of States but the charges/never ner looked into. I would, therefore, say that such a code of conduct is useless.

It has been said in the report of the Santhanan Committee that if ten legislatures or ten Members of parliament may charges against a Chief Minister or Prime Minister those charges should be looked into. Twenty eight Members of the Mysore Legislative Assembly made allegations against the Chief Minister but no enquiry has been held as yet.

The recommendation of the Santhanan Committee in regard to the appointment of 'National Panel' to look into the charges corrugtion against the public servants should be implemented immediately. In fact I would say that all the recommendations of the said Committee should be implemented charges of corruption made against the public servants should be looked into properly.

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : I am surprised to see that on one hand we talk of Socialism and on the other hand wealth of the Ministers is increasing day by day. I would, therefore, like to know why a permanent Commission is not appointed to look into the accumulated wealth of the public servants ? The wealth accumulated by the publie servants illegally should be confiscated.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I would like to know whether it is a fact that the ex-Home Minister has stated that about fifty Members of Lok Sabha are on the pay roll of the Birlas. Secondly I would also like to know whether the Prime Minister in a statement has said that a Committee of three Ministers was appointed to look into the

* आधे घंटे की चर्चा ।

* Half an Hour Discussion

charges levelled against Servashri Satya Narain Sinha and Pant and that Committee has found no truth in the charges ? I would also like to have a clarification whether Shri Aroara has not been given an opportunity to prove the allegations made by him against the said two Ministers ?

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I would like to know whether special powers will be given to the Government under Section 5 of the Prevention of Corruption Act to confiscate the disproportionate wealth accumulated by the public servants. Whether cieling of the income will also be fixed as has been said in the resolution of the Congress "Working" Committee ?

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : मेरा नाम भी सूची में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम के अनुसार वही सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं जिन्होंने इसकी सूंचना दी हो ।

श्री क० लकप्पा : मैंने आधे घंटे की चर्चा उठाने के बारे में सूचना दी है । गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि यदि विशिष्ठ आरोप लगाये जाते हैं और प्रत्यक्षतः मामला सिद्ध हो जाता है तो उस पर कार्यवाही की जायेगी तथा जांच की जायेगी । सतानम् समिति के प्रतिवेदन के पैरा 102 तथा 103 में यह किया गया है कि यदि मंत्रियों के विरुद्ध आरोप लगाये जाते हैं तो उनकी जांच के लिए तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की राष्ट्रीय समिति बनाई जानी चाहिए । मेरे पास एक आरोप पत्र है । यह अब एक सार्वजनिक दस्तावेज हैं । मैं उसको यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

उनके विरुद्ध 16 आरोप लगाये गये हैं । उड़ीसा विधान सभा के अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के नेता की बात मानकर इस विषय को एक समिति के समक्ष जांच के लिये सौंपा है । अतः इस बारे में कार्यवाही होनी चाहिये ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : श्री फर्नेन्डीज ने इस चर्चा में प्रश्न उठाया है कि हम सन्थानम समिति की सिफारिशों के बारे में क्या कर रहे हैं और सार्वजनिक पदों पर आरुढ़ व्यक्तियों के विरुद्ध आरोपों के बारे क्या कदम उठा रहे हैं । सरकार ने इस बारे में बहुत सी सिफारिशें सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर ली गई है और कुछ को तो कार्यान्वित भी कर दिया गया है । यह बात गलत है कि मंत्रियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती है । पंजाब का उपाहरण हमारे समक्ष है । वहां जांच हुई थी और बाद में आवश्यक कार्यवाही भी की गई थी ।

इस प्रकार उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर एक उपसमिति ने विचार किया था और उस मामले में भी उनको त्यागपत्र देने को कहा गया था । मैसूर के मुख्य मंत्री श्री निलिंगप्पा के विरुद्ध आरोपों की जांच एक उपसमिति ने की थी और श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 22 फरवरी, 1965 में यहां सदन में कहा था कि आरोप निराधार हैं । मैं समझता हूँ कि कई बार तो राजनैतिक कारणों से आरोप लगाये जाते हैं ।

सरकार आरोपों पर पहले विचार करती है और यदि आवश्यक समझा जाये तो जांच कराती है ।

Shri George Fernandes : I want to know whether there is any procedure laid down for the cases where Chief Minister are involved ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुख्य मंत्रियों के बारे में प्रधान मंत्री स्वयं देखती है और निर्णय करती है। हां राज्यों के मंत्रियों के मामलों में मुख्य मंत्रियों को निर्णय करना होता है। हां, यह अन्तिम निर्णय नहीं हो सकता। इस संबन्ध में हमें और विचार करना होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल और लोक आयुक्त का सुझाव दिया है। केन्द्रीय सरकार इन विषयों पर मुख्य मंत्रियों से मश्विरा करेगी। इस बारे में कुछ बातचीत भी हुई थी। कुछ मुख्य मंत्रियों की प्रतिक्रिया इस प्रकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति के पक्ष में थी और शेष ने इस पर विचार करने को कहा था। मुझे आशा है कि मुख्य मंत्रियों से हमें शीघ्र ही उत्तर प्राप्त हो जायेंगे। डा० लोहिया ने सुझाव दिया है कि इस कार्य को देखने के लिये एक स्थायी आयोग होना चाहिये। ऐसा करना ठीक नहीं है। हम नहीं समझते कि सभी लोग भ्रष्ट हैं और स्थायी रूप से जांच की व्यवस्था की जानी चाहिये।

लोकपाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव बहुत अच्छा सुझाव है। इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या श्री अर्जुन अरोड़ा को अपनी बात कहने का अवसर दिया गया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य भ्रम में हैं।

इस समय मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। गैर-कानूनी धन के बारे में हम सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। किसी के पास गैर-कानूनी धन नहीं होना चाहिये। हां वैसे एक व्यक्ति के पास धन की सीमा निर्धारित की बात मैं मानता हूं। इस बारे में संवैधानिक पहलू पर विचार करना होगा।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 22 जून, 1967/आषाढ़ 1, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, June 22, 1967/ Asadha 1, 1889 (Saka)

2950 49